



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 217]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सा.का.नि. 365(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लेखा मानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति से विचार-विमर्श करके कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
“(छ) ‘गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी’ से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है और इसमें आवास वित्त कंपनियां, वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनियां, सूक्ष्म वित्त कंपनियां, पारस्परिक फायदा कंपनियां, जोखिम पूंजी निधि कंपनियां, स्टॉक ब्रोकर या उप ब्रोकर कंपनियां, निधि कंपनियां, चिट कंपनियां प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण कंपनियां, बंधक गारंटी कंपनियां, भविष्य निधि कंपनियां, आस्ति प्रबंधन कंपनियां और कोर विनिधान कंपनियां शामिल हैं।”
3. मूल नियमों के नियम 4 में,—
उप नियम (1) में,—
(क) खंड (झ) में ‘किसी कंपनी’ शब्दों के स्थान पर ‘कोई कंपनी और इसकी नियंत्री, समनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी’ शब्द रखे जाएंगे;
(ख) खंड (iii) के पश्चात् एक नया खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(iv) खंड (i) से (iii) की अपेक्षाओं के होते हुए भी, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारतीय लेखा मानकों (इंडएस) का पालन अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने और लेखा परीक्षा हेतु क्रमशः निम्नलिखित रीति से करेंगी, अर्थात्—
(क) निम्नलिखित गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनियां 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2018 और उसके बाद की लेखा अवधि के तुलनात्मक आँकड़ों के साथ भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का अनुपालन करेंगी-
(अ) पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक निवल मूल्य वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां;

(आ) सिवाय नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) के अधीन शामिल कंपनियों के मद (अ) के अधीन कंपनियों की नियंत्री, समनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

(ख) निम्नलिखित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च, 2019 और उसके बाद की लेखा अवधि के तुलनात्मक आँकड़ों के साथ भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का अनुपालन करेंगी—

(अ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जिनकी साम्य और/या ऋण प्रतिभूति भारत या भारत के बाहर किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में है और जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये से अधिक है;

(आ) ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जो असूचीबद्ध कंपनियां हैं और जिनका निवल मूल्य 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक किन्तु 500 करोड़ रुपये से कम है; और

(इ) नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (अ) और (आ) और (ई) या नियम 4 (1) (iv) (क) (ii) के अधीन शामिल कंपनियों के अलावा उपर्युक्त नियम 4 (1) (iv) (ख) (i) या 4 (1) (iv) (ख) (ii) के अधीन शामिल कंपनियों की नियंत्री, समनुषंगी, संयुक्त उद्यम, या सहयोगी कंपनियां।

स्पष्टीकरण- खंड (iv) के प्रयोजन के लिए यदि किसी कंपनियों के समूह में से कुछ कंपनियां कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के उपाबंध में निर्दिष्ट लेखांकन मानक का प्रयोग करती हैं और अन्य कंपनियां इन नियमों के उपाबंध में निर्दिष्ट लेखांकन मानक का प्रयोग करती हैं तो ऐसी स्थिति में निकाय निजी वित्तीय विवरण तैयार करने में उन पर लागू संबंधित मानकों का उपयोग करेंगे। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा—

(i) यदि गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी मूल कंपनी (अंतिम स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर) है और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अनुलग्नक में निर्दिष्ट लेखांकन मानक के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है तो इसकी समनुषंगी, सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनियां, यदि वह नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) के अधीन आती हैं; समायोजन उद्देश्य के लिए मूल कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुसरण में संबंधित वित्तीय विवरण डाटा तैयार करेंगी। (जब तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नियम 4 के उप नियम(1) के खंड (iv) के तहत आती है);

(ii) यदि मूल कंपनी नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (i) , (ii) और (iii) के अधीन आती है और समनुषंगी, सहायक, संयुक्त उद्यम कंपनी एक गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी है तो मूल कंपनी भारतीय लेखांकन मानक अनुपालित समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी और समनुषंगी, सहायक और संयुक्त उद्यम गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी समायोजन उद्देश्य के लिए मूल कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुसरण में संबंधित वित्तीय विवरण डाटा तैयार करेंगी। (जबतक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (iv) के अधीन आती है)

(iv) खंड (i) से (iv) में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों (आरआबी के अलावा) के नियंत्री, समनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनियों को तुलनात्मक दस्तावेजों सहित लेखांकन अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2018 या उसके बाद की अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है।

(ii) उप नियम 2 में “उप नियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं “उपनियम (1) के खंड (i) , (ii) और (iii)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप नियम 2 के बाद निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2क) उप नियम (1) के खंड (iv) के अधीन आने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की निवल संपत्तियों का परिकलन करने के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित सिद्धांत लागू किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) निवल संपत्तियों का परिकलन तारीख 31 मार्च, 2016 के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एकल वित्तीय विवरण के अनुसार या उस तारीख के बाद की लेखांकन अवधि के लिए पहले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार किया जाएगा;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो 31 मार्च, 2016 को अस्तित्व में नहीं हैं या 31 मार्च , 2016 के बाद पहली बार आने वाली एक वर्तमान गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी के लिए की निवल संपत्तियों की गणना इसकी अवसीमा तक पहुंचने के संबंध में उस तारीख के बाद के प्रथम लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण:- उपखंड (ख) के उद्देश्यों के लिए, उपनियम (1) के खंड (iv) के उपखंड (ख) में दी गई निर्दिष्ट अवसीमा को एक लेखांकन वर्ष के अंत तक पहली बार पूरा करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तत्काल अगले लेखांकन वर्ष से उप नियम (1) के खंड (iv) के उपखंड (ख) में उल्लिखित तरीके से भारतीय लेखांकन मानक (इंडएस) लागू करेंगी ।

उपदर्श - (i) 31 मार्च, 2019 को पहली बार अवसीमा पूरी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय वर्ष 2019-20 से भारतीय लेखांकन मानक लागू करेंगी।

(ii) 31 मार्च, 2020 को पहली बार अवसीमा पूरी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय वर्ष 2020-21 से भारतीय लेखांकन मानक लागू करेंगी।

(IV) नियम 4 के स्पष्टीकरण में,—

(क) '1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक (इंडएस)' शब्दों, अंकों और अक्षर के बाद "या 1 अप्रैल 2018, जैसा भी मामला हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी" शब्दों के बाद भी "या 31 मार्च, 2019 या जैसा भी मामला हो" शब्द जोड़े जाएंगे।

(V) उप नियम (5), उप नियम (6) और उप नियम (9) के परंतुक में "या स्वैच्छा से या अनिवार्य रूप से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. नियम 5 को निम्नानुसार रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"(5) बैंकिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक को लागू करेगा। तथापि एक बीमाकर्ता / बीमा कंपनी अपने मूल / निवेशक / उद्यमी द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार मूल/ निवेशक / उद्यमी द्वारा अपेक्षित अनुसार इंड एस अनुवर्ती वित्तीय विवरण आंकड़े उपलब्ध कराएगा।"

5. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 101" में :-

(i) अनुच्छेद 30 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"30 यदि प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद, एक अमूर्त आस्ति (देखें अनुच्छेद घ 5 तथा घ 7) के लिए मानी गयी लागत के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग करता है तो प्रतिष्ठान प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र की प्रत्येक रेखीय मद के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :

(क) उन उचित मूल्यों का कुल जोड़; तथा

(ख) पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अग्रणीत राशियों के प्रति कुल समायोजन।"

(ii) परिशिष्ट घ में,

(क) अनुच्छेद घ 1 मे मद (ड) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ड) भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट क सेवा रियायत व्यवस्थाएं अनुसरण में लेखांकित वित्तीय आस्तियां या अमूर्त आस्तियां (अनुच्छेद घ 22);"

(ख) अनुच्छेद घ 7 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"घ7 अनुच्छेद घ 5 एवं घ 6 में किए गए चयन निम्नलिखित के लिए भी उपलब्ध (प्राप्य) हैं:

(क) लोपित*

(ख) अमूर्त आस्तियां जो निम्नलिखित को पूरा करती हैं:

(i) भारतीय लेखा मानक 38 में मान्यता मानदण्ड (मूल लागत के विश्वसनीय माप सहित);

(ii) भारतीय लेखा मानक 38 में पुनर्मूल्यांकन मानदण्ड (सक्रिय बाजार की मौजूदगी सहित)

प्रतिष्ठान इन चयनों का प्रयोग अन्य आस्तियों या दायित्वों के लिए नहीं करेगा।"

(ग) अनुच्छेद घ 22 में प्रारम्भिक अनुच्छेद में, जो "प्रथमबार अंगीकर्ता" से प्रारम्भ होकर, "कर सकता है:" पर समाप्त होता है, उसे शीर्ष सहित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

* देखें परिशिष्ट 1

"भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट 'क', सेवा रियायत व्यवस्थाएं के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ

घ 22 प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट 'क' का प्रयोग करते समय निम्नलिखित उपबन्धों का प्रयोग कर सकता है: "

(घ) अनुच्छेद घ 34, घ 34 कक तथा घ 35 को लोप किया जाएगा,

(ङ) अनुच्छेद घ 35 कक के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष तथा अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"ग्राहकों से आस्तियों का अन्तरण

घ 36 प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 18 के परिशिष्ट 'ग' को हस्तान्तरण की तिथि से या उसके बाद ग्राहकों से प्राप्त आस्तियों के हस्तांतरण की तिथि से भावी प्रभाव से लागू करेगा। इसे पहले भी लागू करने के लिए अनुमति है बशर्ते परिशिष्ट को लागू करने के लिए उन आवश्यक मूल्यांकनों तथा अन्य सूचना उन हस्तांतरणों के घटित होने के समय प्राप्त कर लिए गये थे। प्रतिष्ठान उस तिथि को प्रकट करेगा जिस तिथि से भारतीय लेखा मानक 18 का परिशिष्ट 'घ' लागू किया गया था।"

(iii) परिशिष्ट 1 में—

(क) अनुच्छेद 10 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"10 'आई एफ आर एस' 9, *वित्तीय लिखतें* 1 जनवरी 2018 को या उसके बाद से प्रारम्भ वार्षिक अवधि से प्रभावी है। चूंकि उपर्युक्त मानक अभी प्रभावी नहीं है, इसलिए इस मानक के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों को 'आई एफ आर एस' 1 के वर्तमान पाठ में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें* को अन्य भारतीय लेखा मानकों के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के साथ जारी कर दिया गया है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 109 के परिणामस्वरूपी संशोधन भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित कर लिये गये हैं।"

(ख) अनुच्छेद 12 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"13 अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40, *निवेश संपत्ति* लागत मॉडल तथा उचित मूल्य मॉडल (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर) दोनों की प्रारंभिक मान्यता के बाद निवेश संपत्तियों की माप के लिए अनुमति देता है। भारतीय लेखा मानक 40, *निवेश संपत्ति* केवल लागत मॉडल की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 30 को संशोधित किया गया है तथा अनुच्छेद घ 7 (क) को हटा दिया गया है।

14. अनुच्छेद घ 34-घ 35 भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर चर्चा करते हैं। चूंकि भारतीय लेखा मानक 115 अभी प्रभावी नहीं है, इसलिए इस मानक में इन अनुच्छेदों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि आई एफ आर एस 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 101 की अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।"

6. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 103" में अनुच्छेद 56 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"56 प्रारंभिक मान्यता के उपरांत और जब तक दायित्व का निपटान नहीं हो जाता या वह रद्द या समाप्त नहीं हो जाता, अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में मान्य आकस्मिक दायित्व का माप निम्नलिखित में जो राशि अधिक है उस पर करेगा :

(क) वह राशि जो कि भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होती है; और

(ख) प्रारंभ में मान्य राशि में से, यदि उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 18, *राजस्व* के अनुसार मान्य संचित परिशोधन राशि को घटाकर शेष राशि।

यह अपेक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा किया जाने वाले अनुबंधों पर लागू नहीं होती है।"

7. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 104" में:—

(i) अनुच्छेद 4 में मद (क) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(क) एक निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी उत्पाद वारंटियां (देखें भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व एवं भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां)।"

(ii) अनुच्छेद 4 में मद (ग) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(ग) अनुबंधात्मक अधिकार अथवा अनुबंधात्मक बाध्यताएं जो एक गैर-वित्तीय मद के भावी उपयोग अथवा उपयोग के अधिकार (उदाहरण के लिए कुछ लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टियां, आकस्मिक पट्टा भुगतान तथा इसी प्रकार की अन्य मदें) तथा इसी तरह एक वित्त पट्टे में पट्टाधारी की सन्निहित अवशिष्ट मूल्य गारंटी पर आकस्मिक हैं। (देखें भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व एवं भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियां)।"

(iii) परिशिष्ट ख में,—

(क) अनुच्छेद ख 7 में मद (ख) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"ख7 (ख) यदि भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व लागू होता है तो सेवा प्रदानकर्ता के राजस्व को कार्य-पूर्ति के स्तर पर (और अन्य निर्धारित मानदंडों के अधीन) मान्यता देगा। वह दृष्टिकोण इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अंतर्गत भी स्वीकार्य है जो सेवा प्रदानकर्ता को (i) इन अनुबंधों के लिए इसकी विद्यमान लेखा नीतियों को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक वे अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध व्यवहार में लिप्त न हो तथा (ii) इसकी लेखा नीतियों में सुधार के लिए अनुमति देता है बशर्ते ऐसा अनुच्छेद 22-30 के द्वारा अनुमति है।"

(ख) अनुच्छेद ख 18 में मद (ज) के लिए निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(ज) उत्पाद वारंटियां। निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे गए माल के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा जारी उत्पाद वारंटियां इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्य क्षेत्र के अंदर आती हैं। तथापि, निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा सीधे जारी की गयी उत्पाद वारंटियां इसके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 18 तथा भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं।"

(ग) अनुच्छेद ख 21 में निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"ख 21 यदि अनुच्छेद ख 19 में वर्णित अनुबंध वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों को सृजित नहीं करते हैं तो भारतीय लेखा मानक 18 लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 18 के अंतर्गत सेवाएं देने वाले लेन-देन संबद्ध राजस्व लेन-देन पूरा होने की अवस्था का संदर्भ देकर मान्यता प्राप्त करता है वशर्ते लेन-देन के परिणाम को विश्वसनीय रूप से प्राक्कलित किया जाता है।"

8. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105" में ; —

(i) अनुच्छेद 26 तथा इसके शीर्ष के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"बिक्री की योजना में परिवर्तन अथवा स्वामियों में वितरण की योजना में परिवर्तन"

26 यदि प्रतिष्ठान ने एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के रूप में वर्गीकृत है लेकिन उसने अनुच्छेद 7-9 में (बिक्री के लिए धारित के रूप में) अथवा अनुच्छेद 12 क (स्वामियों में वितरण के लिए धारित) में दिये गये मानदंड पूरे नहीं किये हैं तो प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में (क्रमशः) वर्गीकृत करना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान इस परिवर्तन का लेखा करने के लिए अनुच्छेदों 27-29 में दिये गये दिशा-निर्देश का पालन करेगा लेकिन वह ऐसा तब नहीं करेगा जब अनुच्छेद 26क लागू होता हो।"

(ii) अनुच्छेद 26 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः—

"26क यदि प्रतिष्ठान एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को सीधे बिक्री के लिए धारित होने से स्वामियों में वितरण के लिए धारित होने तक अथवा सीधे स्वामियों में वितरण के लिए धारित होने से, बिक्री के लिए धारित होने तक पुनर्वर्गीकृत करता है, तो उसके वर्गीकरण में परिवर्तन को निपटान की मूल योजना को जारी रखना समझा जाएगा। प्रतिष्ठानः

(क) इस परिवर्तन का लेखा करने के लिए अनुच्छेद 27-29 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा। प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक में वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा मापन की अपेक्षाओं को लागू करेगा जो निपटान की नई विधि के लिए लागू हैं।

(ख) अनुच्छेद 15 (यदि बिक्री के लिए धारित के रूप में पुनर्वर्गीकृत है) अथवा 15क (यदि स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में पुनर्वर्गीकृत है) की अपेक्षाओं के अनुपालन द्वारा गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) का माप

करेगा तथा अनुच्छेदों 20-25 में की गई अपेक्षाओं के अनुपालन द्वारा गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री लागतों/वितरण लागतों को घटाकर उचित मूल्य में हुई किसी कटौती (कमी) या वृद्धि को मान्यता देगा।

- (ग) अनुच्छेद 8 तथा 12क के अनुसरण में वर्गीकरण की तिथि में परिवर्तन नहीं करेगा। यदि अनुच्छेद 9 में दी गई शर्तें पूरी हो जाती हैं तो यह बिक्री पूरी होने या स्वामियों में वितरण करने के लिए अपेक्षित अवधि के विस्तार को बाधित नहीं करेगा।"

(iii) अनुच्छेद 27 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"27 प्रतिष्ठान एक गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने को बंद करने पर (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में या स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान-समूह में शामिल करने को बंद कर निम्नलिखित में जो कम होगा, उस पर माप करेगा :

(क) जब आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में या स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया था, तब उससे पूर्व अग्रणीत (कैरिंग) राशि को किसी मूल्यह्रास, परिशोधन अथवा पुनर्मूल्यांकन में इस तरह समायोजित किया जाता है व मान्यता दी जाती मानो आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया ही नहीं गया ; है तथा

(ख) बिक्री अथवा वितरण न करने के बाद के निर्णय की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि।⁵"

(iv) अनुच्छेद 28 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"28 प्रतिष्ठान गैर चालू आस्ति को जो बिक्री के लिए धारित के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जाती है, अग्रणीत (कैरिंग) राशि के अपेक्षित समायोजन को उस अवधि के जारी परिचालन से लाभ अथवा हानि⁶ में सम्मिलित करेगा जिसमें अनुच्छेद क्रमशः 7-9 अथवा 12क के मानदंड पूरे नहीं हुए हैं। बिक्री के रूप में धारित में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की बाद की अवधियों के वितरणों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा बशर्ते निपटान समूह अथवा गैर चालू सम्पत्ति जो बिक्री के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किये जाने से बन्द हो जाती है एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त परिचालन, संयुक्त उद्यम, सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित का एक भाग है। उस समायोजन को लाभ तथा हानि के विवरण में उसी शीर्ष में प्रस्तुत करेगा जैसेकि अनुच्छेद 37 के अनुसार मान्य एक लाभ अथवा हानि को, यदि कोई है, प्रस्तुत किया जाता है।"

(v) अनुच्छेद 29 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"29 बशर्ते एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह से एक आस्ति अथवा दायित्व को हटाता है, तो निपटान समूह की शेष आस्ति तथा दायित्व, जिसे बेचा जाना है, एक समूह के रूप में माप जारी रहेगा बशर्ते समूह अनुच्छेद 7-9 के मानदंड को पूरा करता है। यदि एक प्रतिष्ठान स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह से एक आस्ति या दायित्व को हटा देता है तो निपटान समूह की वितरित की जाने वाली शेष आस्तियों एवं दायित्वों को केवल समूह के रूप में मापा जाना जारी रहेगा बशर्ते वह समूह अनुच्छेद 12क में दिए गए मानदंड को पूरा करता है। अन्यथा, समूह की शेष गैर चालू आस्तियां, जो व्यक्तिगत रूप से बिक्री के लिए धारित आस्ति के रूप में अथवा स्वामियों में वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत मानदंड को पूरा करती है उस तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत (या वितरण करने की लागत) को घटाकर उचित मूल्य, इन दोनों में जो कम है, उस पर मापा जायेगा। कोई भी गैर चालू आस्ति, जो बिक्री के लिए धारित के रूप में मानदंड को पूरा नहीं करती तो वह अनुच्छेद 26 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होनी बंद हो जाएगी। गैर चालू आस्ति जो वितरण के लिए धारित के रूप में मानदंड को पूरा नहीं करती है तो वह अनुच्छेद 26 के अनुसार वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होनी बंद हो जायेगी।"

9. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 107" में;—

(i) अनुच्छेद 5क के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

⁵ यदि गैर चालू आस्ति एक नकद सृजन इकाई का भाग है, इसकी वसूली योग्य राशि ही अग्रणीत (कैरिंग) राशि है जिसे भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस नकद सृजन इकाई से उत्पन्न किसी क्षतिग्रस्तता हानि के आवंटन के पश्चात् मान्यता दी गयी है।

⁶ जब तक आस्ति, एक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर अथवा अमूर्त आस्ति नहीं है जिसे भारतीय लेखा मानक 16 अथवा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत से पूर्व पुनः मूल्यांकित किया गया है, उस मामले में, समायोजन को पुनः मूल्यांकन की वृद्धि अथवा कमी के रूप में माना जायेगा।

- "5क अनुच्छेद 35क - 35ढ में ऋण जोखिम की प्रकटन अपेक्षाएं उन अधिकारों पर लागू होती हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व, यह विनिर्दिष्ट करता है कि उनका लेखा क्षतिग्रस्तता के लाभों या हानियों की मान्यता के प्रयोजन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का अनुसरण किया जाता है। इन अनुच्छेदों में वित्तीय आस्तियों या वित्तीय लिखतों के प्रति कोई संदर्भ इन अधिकारों में तब तक शामिल रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो।"
- (ii) अनुच्छेद 21 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- "21 भारतीय भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* के अनुच्छेद 117 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान अपनी महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का प्रकटन करता है जिसमें वह वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त माप आधार (आधारों) सहित तथा अन्य प्रत्युक्त लेखा नीतियों को प्रकट करता है जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक होती हैं।"
- (iii) परिशिष्ट ख में :-
- (क) अनुच्छेद ख 5 में प्रारम्भिक अनुच्छेद में, जो "अनुच्छेद 21 में " से प्रारम्भ होकर, "शामिल किया जा सकता है:" पर समाप्त होता है, उसे शीर्ष सहित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- "ख 5 अनुच्छेद 21 में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रयुक्त अन्य लेखागत नीतियों में प्रयुक्त माप आधार (अथवा आधारों) के प्रकटन की अपेक्षा की गयी है जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है। वित्तीय लिखतों के लिए, इस प्रकार के प्रकटन में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :
- (ख) अनुच्छेद ख 5 में अन्तिम अनुच्छेद में, जो "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 के अनुच्छेद 122 में " से प्रारम्भ होकर, "महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है " पर समाप्त होता है, उसे शीर्ष सहित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 के अनुच्छेद 122 में प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महत्वपूर्ण नीतियों या अन्य टिप्पणियों में प्राक्कलनों को शामिल करने के अलावा उन निर्णयों का प्रकटन करें जो प्रबंधन ने प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिये गये हैं, और उनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।"
- (ग) अनुच्छेद ख 30 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- "ख 30 एक प्रतिष्ठान की अन्तरित वित्तीय आस्ति में निरन्तर संलिप्तता नहीं होती है, यदि अन्तरण के भाग के रूप में, वह न तो अन्तरित वित्तीय आस्ति में अंतर्निहित कोई अनुबंधात्मक अधिकारों या बाध्यताओं को धारण करता है और न ही अन्तरित वित्तीय आस्ति से संबंधित किन्हीं नए अनुबंधात्मक अधिकारों या बाध्यताओं को अधिग्रहण करता है। प्रतिष्ठान की अन्तरित वित्तीय आस्ति में निरन्तर संलिप्तता नहीं होती है यदि इसे न तो अन्तरित वित्तीय आस्ति के भावी कार्य-निष्पादनों में अभिरूचि होती है और न भविष्य में किसी भी परिस्थितियों में अन्तरित वित्तीय आस्ति के संबंध में किन्हीं भुगतानों का उत्तरदायित्व होता है। इस संदर्भ में 'भुगतान' शब्द के अर्थ में अन्तरित वित्तीय आस्ति के उन नकदी प्रवाह को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिन्हें प्रतिष्ठान एकत्र करता है तथा उन्हें प्रतिष्ठान अन्तरित को प्रेषित करना अपेक्षित होता है।"
- (घ) अनुच्छेद ख 30 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- "ख30क एक प्रतिष्ठान जब वित्तीय आस्ति का अन्तरण करता है और उस वित्तीय अपयव सेवा के अधिकार को प्रतिष्ठान वह शुल्क के रूप में उदाहरण के लिए सेवा अनुबंध में सम्मिलित करता है। सुरक्षित रख लेता है। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 42ग तथा ख30 के दिशानिर्देश के अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए सेवा करार के परिणामस्वरूप अन्तरित वित्तीय आस्ति में प्रतिष्ठान की निरन्तर संलिप्तता है या नहीं यह निर्णय करने के लिए वह सेवा अनुबंध का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए, प्रकटन अपेक्षाओं के प्रयोजन से अन्तरित वित्तीय आस्ति में सेवा प्रदाता की निरन्तर संलिप्तता होगी, यदि अन्तरित वित्तीय आस्ति एकत्र किये गये सेवा शुल्क या नकदी प्रवाह के समय पर निर्भर होता है। इसी प्रकार, प्रकटन अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए एक सेवा प्रदाता की निरन्तर संलिप्तता होती है, यदि अन्तरित वित्तीय आस्ति के गैर-निष्पादन के कारण निश्चित शुल्क पूर्णतः प्रदत्त (अदा) नहीं होगा। इन उदाहरणों में अन्तरित वित्तीय आस्ति के भावी निष्पादन में सेवा प्रदाता का हित निहित होता है। यह निर्धारण इसलिए अलग होता है क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला शुल्क प्रतिष्ठान को सेवा निष्पादन के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्याशित है।"
- (iv) अनुच्छेद 2 के लिए परिशिष्ट 'ग' में निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- "2 भारतीय लेखा मानक 11, *निर्माण ठेके* में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' सेवा रियायत व्यवस्थाएं"

10. मुख्य नियमों में, “उपाबंध” में, “ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)” शीर्ष के अंतर्गत, “भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 109” में:-

(i) अनुच्छेद 2.1 में मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“(ज) भारतीय लेखा मानक 11, *निर्माण ठेके* तथा भारतीय लेखा मानक 18, *राजस्व* के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों एवं बाध्यताओं का, लेकिन उन्हें छोड़कर जो इन मानकों में विनिर्दिष्ट हैं, वित्तीय लिखतों का, लेकिन भारतीय लेखा मानक 11 तथा भारतीय लेखा मानक 18, में विनिर्दिष्ट हैं, को लेखा इस मानक के अनुसार किया जाता है।”

(ii) अनुच्छेद 2.2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“2.2 इस मानक की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं उन अधिकारों के लिए लागू होंगी जो भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 में विनिर्दिष्ट हैं और जिनका लेखा क्षतिग्रस्तता हानियों या लाभों की मान्यता के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।”

(iii) अनुच्छेद 4. 2.1 में मद (ग) में, उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(ii) प्रारम्भिक मान्य राशि (देखें अनुच्छेद 5.1.1) में से, जब उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 18 के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर।”

(iv) अनुच्छेद 4. 2.1 में मद (घ) में, उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(ii) प्रारम्भिक मान्य राशि (देखें अनुच्छेद 5.1.1) में से, जब उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 18 के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर।”

(v) अनुच्छेद 5.1.1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“5.1.1 प्रारम्भिक मान्यता पर, प्रतिष्ठान, ऐसे मामले में जब वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का इसके उचित मूल्य में से उन लेन-देन लागतों का मूल्य जोड़कर या घटाकर माप करेगा जो वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अधिग्रहण या निर्गम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित हैं।”

(vi) “अनुच्छेद 5.1.3 का लोप किया जाएगा”

(vii) अनुच्छेद 5.5.1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“5.5.1 प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति पर, जिसे अनुच्छेद 4.1.2 या 4.1.2 क के अनुसार मापा जाता है *प्रत्याशित ऋण हानियों* के लिए *हानि* रियायत, पट्टा से प्राप्य राशि, ऋण वचनबद्धता और वित्तीय गारंटी अनुबंध को, जिन पर अनुच्छेद 2.1 (छ), 4.2.1 (ग) या 4.2.1 (घ) के अनुसार क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं लागू होती हैं, मान्यता देगा।”

(viii) अनुच्छेद 5.5.15 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“5.5.15 अनुच्छेद 5.5.3 तथा 5.5.5 के बावजूद, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के लिए हानि रियायत को सदैव आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापेगा:

(क) व्यापार से प्राप्य राशियां या नकद या दूसरी वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए कोई अनुबंधात्मक अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 11 तथा भारतीय लेखा मानक 18 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लेने-देनों के परिणामस्वरूप हैं।,

(ख) पट्टे पर प्राप्य राशियां जो उन लेन-देनों के परिणामस्वरूप हैं जो भारतीय लेखा मानक 17 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यदि प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने को अपनी लेखा नीति के रूप में चयन करता है। वह लेखा नीति पट्टे से प्राप्य सभी राशियों पर लागू होगी किंतु वह वित्तीय तथा परिचालन पट्टा प्राप्य राशियों के लिए अलग-अलग लागू हो सकती है।”

(ix) परिशिष्ट क में,—

(क) “अनुबंधात्मक आस्तियां” की परिभाषा का लोप किया जाएगा।

(ख) अन्तिम अनुच्छेद के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"निम्नलिखित शब्दावली, जो भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 11, भारतीय लेखा मानक 107 के परिशिष्ट 'क', अथवा भारतीय लेखा मानक 113 के परिशिष्ट 'क' में परिभाषित की गयी है, इस मानक में भारतीय लेखा मानक 32, भारतीय लेखा मानक 107, और भारतीय लेखा मानक 113 में यथाविनिर्दिष्ट प्रयुक्त की गयी है:

(क) ऋण जोखिम¹;

(ख) इक्विटी लिखत;

(ग) उचित मूल्य;

(घ) वित्तीय आस्ति;

(ङ) वित्तीय लिखत

(च) वित्तीय दायित्व; "

(X) परिशिष्ट ख में , -

(क) अनुच्छेद ख 2.2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"ख 2.2 यह मानक उन रॉयल्टी समझौतों से सम्बन्धित अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं करता है जो कि बिक्रियों अथवा सेवा राजस्वों के परिमाण पर आधारित हैं जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए एस) 18, राजस्व के अन्तर्गत किया जाता है।"

(ख) अनुच्छेद ख 2.5 में मद (क) में, उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(ii) प्रारम्भ में मान्य राशि में से भारतीय लेखा मानक 18 [देखें अनुच्छेद 4.2.1(ग)] के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि को, जब उचित हो, घटाकर।"

(ग) अनुच्छेद ख 2.5 में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(ग) यदि माल की बिक्री के सम्बन्ध में कोई वित्तीय गारंटी अनुबंध जारी किया गया है तो जारीकर्ता यह निर्धारित करने के लिए कि कब गारंटी तथा कब वस्तु की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाये भारतीय लेखा मानक 18 को लागू करता है। अन्तरित आस्तियों में निरन्तर संलिप्तता।"

(घ) अनुच्छेद ख 3.2.13 में मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(क) यदि अन्तरित आस्ति पर प्रदान चूक हानियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान करने हेतु दी गई गारंटी, निरन्तर सम्मिलित होने की सीमा तक अन्तरित आस्ति के अमान्य होने से रोकती है, तो अन्तरण की तिथि पर अन्तरित आस्ति का माप (i) आस्ति की अग्रणीत राशि और (ii) अन्तरण में प्राप्त प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे अदा करने के लिए प्रतिष्ठान से अपेक्षा होती है (गारंटी राशि), इन दोनों में, जो कम है उस पर की जाती है। संबंधित दायित्व का माप प्रारम्भिक तौर पर गारंटी के उचित मूल्य और गारंटी राशि पर किया जाता है (जो कि आमतौर पर गारंटी के लिए प्राप्त प्रतिफल है)। तदनन्तर, गारंटी के प्रारम्भिक उचित मूल्य को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है समय अनुपात आधार पर (देखें भारतीय लेखा मानक 18) और आस्ति की अग्रणीत राशि किसी भी हानि की रियायत द्वारा कम हो जाती है।"

(ङ) अनुच्छेद ख 5.4.3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"ख 5.4.3 ऐसे शुल्कों में, जो वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज-दर के अभिन्न अंग नहीं हैं और जिनका भारतीय लेखा मानक 18 द्वारा लेखा किया जाता है, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) ऋण की सेवा (सर्विस) के लिए वसूल शुल्क;

(ख) ऋण देने के लिए वचनबद्धता शुल्क जबकि ऋण वचनबद्धता अनुच्छेद 4.2.1 (क) के अनुसरण में मापी न जाती हो और इसकी कोई संभावना नहीं है कि एक विशिष्ट ऋण प्रबंध प्रारंभ किया जाएगा; और

(ग) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त ऋण सहभागिता शुल्क। इसमें प्रतिष्ठान ऋण का प्रबंध करता है, लेकिन, अपने लिए ऋण पैकेज का कोई भाग नहीं रखता (या फिर अन्य सहभागियों के समान (तुलनीय) जोखिम के लिए उसी प्रभावी ब्याज-दर पर एक भाग रख लेता है)।"

¹ इस शब्दावली को (भारतीय लेखा मानक 107 में यथा परिभाषित) लाभ या हानि (देखें अनुच्छेद 5.7.7) द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट दायित्वों पर ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करने की अपेक्षाओं में प्रयुक्त किया गया है।

(xi) परिशिष्ट ड. में, अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"2 भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट परिशिष्ट क, सेवा रियायत व्यवस्थाएं"

(xii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"3. निम्नलिखित अनुच्छेद भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर चर्चा करते हैं। चूंकि भारतीय लेखा मानक 115 अब प्रभावी नहीं है, इसलिए, ये अनुच्छेद इस मानक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तथापि, 'आई एफ आर एस' 9 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 109 में जारी रखा गया है।:

(i) अनुच्छेद 5.1.3

(ii) 5.5.15 (क)(i)

(iii) 5.2.15 (क)(ii)"

11. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 110" में:-

(i) अनुच्छेद 4 में मद (क) में, उपमद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(iv) इसका अन्तिम या मध्यस्थ मूल प्रतिष्ठान ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करता है जो भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं और सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध है, जिनमें अनुषंगी प्रतिष्ठान समेकित होते हैं और इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।"

(ii) अनुच्छेद 4 में मद (ख) का लोप किया जाएगा*

(iii) अनुच्छेद 4 में मद (ग) का लोप किया जाएगा*

(iv) अनुच्छेद 4 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"4(क) यह भारतीय लेखा मानक नियोजन पश्चात् उन लाभ योजनाओं अथवा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजनाओं पर लागू नहीं होता है जिन पर भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ लागू होता है।"

"4(ख) मूल प्रतिष्ठान, जो एक निवेश प्रतिष्ठान है, समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं करेगा यदि यह लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर इसके सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों को मापने के लिए इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 31 के अनुसार अपेक्षित हो।"

(v) अनुच्छेद 32 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"32 अनुच्छेद 31 की अपेक्षा के बावजूद, यदि एक निवेश प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है जो स्वयं में एक निवेश प्रतिष्ठान नहीं है तथा जिसका मुख्य प्रयोजन और गतिविधियां सेवाएं प्रदान करना हैं और जो निवेश प्रतिष्ठान की निवेश संबंधी गतिविधियों से संबंधित हैं (देखें अनुच्छेद ख 85 ग- ख 85 ड.), वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान का समेकन इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेदों 19-26 के अनुसरण में करेगा और इस प्रकार के अनुषंगी प्रतिष्ठान के अधिग्रहण पर भारतीय लेखा मानक 103 की अपेक्षाओं को लागू करेगा।"

(vi) परिशिष्ट 'ख' में

(क) अनुच्छेद ख 85 ग के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"ख 85 ग एक निवेश प्रतिष्ठान प्रत्यक्षतया या एक अनुषंगी प्रतिष्ठान के माध्यम से तीसरी पार्टियों के साथ-साथ अपने निवेशकों को निवेश-सम्बंधी सेवाएं प्रदान कर सकता है (जैसे कि निवेश परामर्श सेवाएं, निवेश प्रबंधन, निवेश सहायता एवं प्रशासनिक सेवाएं), बेशक ये गतिविधियां प्रतिष्ठान के लिए काफी अधिक क्यों न हों और इस शर्त के साथ कि प्रतिष्ठान एक निवेश प्रतिष्ठान की परिभाषा को पूरा कर रहा है।"

(ख) अनुच्छेद ख 85 ड के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"ख 85 ड यदि निवेश प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है जो स्वयं में एक निवेश प्रतिष्ठान नहीं है और जिसका मुख्य प्रयोजन एवं गतिविधियां निवेश-सम्बंधी सेवाएं देना हैं जो निवेश प्रतिष्ठान की निवेश गतिविधियों से संबंधित हैं, जैसे कि वे अनुच्छेदों

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

ख 85 ग - ख 85 घ में वर्णित हैं, प्रतिष्ठान या अन्य पार्टियों को प्रदान करता है तो वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 32 के अनुसार समेकित करेगा। यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान जो निवेश संबंधी सेवाएं या गतिविधियां प्रदान करता है, वह स्वयं एक निवेश प्रतिष्ठान होता है और तब मूल निवेश प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31 के अनुसार उस अनुषंगी प्रतिष्ठान को लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करेगा।"

(vii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"4 'आई एफ आर एस' 10 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं 'हटाए गए' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ उक्त अनुच्छेदों की संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक में रहने दिया गया है:-

(i) अनुच्छेद 4 (ख)

(ii) अनुच्छेद 4 (ग) "

12. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 112" में अनुच्छेद 6 में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ख) एक प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरण, जिन पर भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* लागू होता लेकिन -

(i) यदि एक प्रतिष्ठान के हित असमेकित संरचित प्रतिष्ठानों में हैं और वह एकमात्र अपने वित्तीय विवरणों के रूप में पृथक वित्तीय विवरण ही तैयार करता है तो वह उन पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अनुच्छेद 24-31 की अपेक्षाओं को लागू करेगा।

(ii) एक निवेश प्रतिष्ठान, जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करता है जिनमें इसके सभी अनुषंगियों को भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 31 के अनुसार लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, इस भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित निवेश प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटनों को प्रस्तुत करेगा।"

13. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115" का लोप किया जाएगा।

14. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1" में,-

(i) अनुच्छेद 10 में मद (ड) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"10(ड) **टिप्पणियां, जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं दी जाती हैं;** "

(ii) अनुच्छेद 30 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"30 क यह तथा अन्य भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करते समय, एक प्रतिष्ठान सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह निर्णय लेगा कि वह वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में सूचना को कैसे संकलित करे। प्रतिष्ठान अमहत्वपूर्ण सूचना देकर या ऐसी महत्वपूर्ण मदों को संकलित करके जिनकी प्रकृति या कार्य भिन्न है या फिर महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर अपने वित्तीय विवरणों की समझ को कम नहीं करेगा।"

(iii) अनुच्छेद 31 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"31. कुछ भारतीय लेखा मानकों में ऐसी सूचना विनिर्दिष्ट होती है जिसे वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित होता है। एक प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित विशिष्ट प्रकटन करने की तब तक आवश्यकता नहीं होती है जब तक प्रकटन के फलस्वरूप वह सूचना महत्वपूर्ण न हो और जब तक कि वह विधि द्वारा अपेक्षित न हो। यह स्थिति तब भी होगी जब एक लेखा मानक की विशिष्ट अपेक्षाओं की सूची में हो या न्यूनतम अपेक्षाओं के रूप में वर्णित किया गया हो। प्रतिष्ठान यह भी विचार करेगा कि उसकी वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन- संबंधी किन्हीं खास लेन-देनों, अन्य घटनाओं तथा स्थितियों के प्रभाव को समझने के लिए भारतीय लेखा मानक की गई विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु अतिरिक्त प्रकटनों को तब दिया जाए या नहीं जब वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को समझने के लिए वे अपर्याप्त हों।"

(iv) अनुच्छेद 34 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

34. भारतीय लेखा मानक 18, *राजस्व*, राजस्व की परिभाषा देता है तथा एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह इसका माप प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर उस राशि को ध्यान में रखते हुए करे जिसे प्रतिष्ठान की प्राप्य राशि किसी व्यापारिक बटुटे और परिमाण छूटों के रूप में देने की अनुमति देता है। एक प्रतिष्ठान अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान वे

लेन-देन भी करता है जो राजस्व तो उत्पन्न नहीं करते लेकिन वे राजस्व-उत्पन्न करने की गतिविधियों के लिए प्रासांगिक होते हैं। एक प्रतिष्ठान लेन-देनों के परिणाम स्वरूप आय में से उन लेन-देनों से संबंधित खर्चों को घटा कर प्रस्तुत करता है जब यह प्रस्तुतिकरण लेन-देन या अन्य घटना के सार को दर्शाता है, उदाहरणार्थः

- (क) एक प्रतिष्ठान निवेशों और परिचालन आस्तियों सहित गैर-चालू आस्तियों के निपटान पर लाभों (गेन्ज) और हानियों को आस्ति की अग्रणीत राशि के निपटान पर होने वाली प्राप्ति व संबंधित व्ययों को घटाकर प्रस्तुत करता है।
 - (ख) एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों के अनुसरण में मान्य एक प्रावधान से संबंधित व्यय जो किसी तीसरे पक्ष के साथ एक अनुबंधात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया गया है, को उस संबंधित प्रतिपूर्ति में से घटा कर प्रस्तुत कर सकता है (उदाहरणार्थ एक आपूर्तिकर्ता का वारंटी करार)।
- (V) अनुच्छेद 54में प्रारम्भिक अनुच्छेद में, जो "तुलनपत्र में" से प्रारम्भ होकर, "प्रस्तुत करती है" पर समाप्त होता है, उसे शीर्ष सहित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"54 तुलन-पत्र में वे रेखीय मदें सम्मिलित होंगी जो निम्नलिखित राशियां प्रस्तुत करती हैं : "

- (vi) अनुच्छेद 55 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"55 एक प्रतिष्ठान तुलन पत्र में अतिरिक्त रेखीय मदों, (अनुच्छेद 54 में सूचीबद्ध रेखीय मदों के पृथक्कीकरण सहित) शीर्षकों और उपजोड़ों को प्रस्तुत करेगा जब उस प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए ऐसा प्रस्तुतिकरण सुसंगत हो।"

- (vii) अनुच्छेद 55 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"55 क जब प्रतिष्ठान अनुच्छेद 55 के अनुसार उपजोड़ों को प्रस्तुत करता है तो वे उपजोड़ निम्न प्रकार होंगे:

- (क) इनमें भारतीय लेखा मानक के अनुसार मान्य तथा मापी गई राशियों की रेखीय मद होंगी;
- (ख) ये इस तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे तथा दिखाए जाएंगे कि उनकी रेखीय मदें स्पष्ट तथा समझने योग्य होंगी;
- (ग) अनुच्छेद 45 के अनुसार वे अवधि से अवधि तक सुसंगत होंगे ; तथा
- (घ) तुलन-पत्र के लिए भारतीय लेखा मानक में अपेक्षित उपजोड़ों तथा जोड़ों की तुलना में इन्हें अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।"

- (viii) अनुच्छेद 82क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"82 क अन्य व्यापक आय खंड निम्नलिखित अवधि की राशियों की रेखीय मदों को इस प्रकार प्रस्तुत करेगा :

- (क) अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार प्रकृतिवश वर्गीकृत तथा समूहबद्ध अन्य व्यापक आय मदें [अनुच्छेद (ख) में दर्शायी गई राशियों को छोड़कर]:
 - (i) जिन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा; और
 - (ii) जब विशिष्ट शर्तें पूरी होंगी तब बाद में जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ख) अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) तथा संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का शेयर जिसका लेखा इक्विटी विधि द्वारा किया गया है और जो अन्य लेखा मानकों के अनुसार मदों के शेयर से अलग है और-
 - (i) जिन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा; और
 - (ii) जब विशिष्ट शर्तें पूरी होंगी तब बाद में जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।"

- (ix) अनुच्छेद 85 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"85 एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में अतिरिक्त रेखीय मदों, (अनुच्छेद 82 में सूचीबद्ध रेखीय मदों के पृथक्कीकरण सहित) शीर्षकों और उपजोड़ों को प्रस्तुत करेगा जब ऐसा प्रस्तुतिकरण प्रतिष्ठान के वित्तीय निष्पादन को समझने हेतु संगत है।"

- (x) अनुच्छेद 85 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"85 क प्रतिष्ठान जब अनुच्छेद 85 के अनुसार उपजोड़ों को प्रस्तुत करता है ,तब वे उपजोड़ इस प्रकार होंगे:

- (क) भारतीय लेखा मानक के अनुसार मान्यता प्राप्त तथा मापी गई राशियों से बनी रेखीय मदें सहित ;
- (ख) उपजोड़ इस ढंग से प्रस्तुत किए जाएंगे तथा दिखाए जाएंगे कि उनकी रेखीय मदें स्पष्ट और समझने योग्य हों ;

- (ग) ये उपजोड़-अनुच्छेद 45 के अनुसार अवधि दर अवधि तक सुसंगत हों; और
- (घ) लाभ-हानि विवरण के लिए भारतीय लेखा मानक में अपेक्षित उपजोड़ों तथा जोड़ों की तुलना में इन्हें अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

"85 ख एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में रेखीय मदों को प्रस्तुत करेगा जो भारतीय लेखा मानक में अपेक्षित उपजोड़ों अथवा जोड़ों के साथ अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रस्तुत किए गए किन्हीं उपजोड़ों का मिलान करता है।"

(xi) अनुच्छेद 113 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"113 एक प्रतिष्ठान सुव्यवस्थित ढंग-से टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारण करने में, प्रतिष्ठान इसके वित्तीय विवरणों को समझने और उसकी तुलना के प्रभाव पर विचार करेगा। तुलन-पत्र, लाभ या हानि विवरण, 'इक्विटी' में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण में प्रत्येक मद को टिप्पणियों में दी जाने वाली सूचना को प्रति-संदर्भित करेगा।"

(xii) अनुच्छेद 114 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"114 सुव्यवस्थित क्रमबद्धता अथवा समूहीकरण के उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) प्रतिष्ठान अपने जिस वित्तीय निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति को समझने के लिए उसकी गतिविधियों के जिन क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रासंगिक समझता है उन्हें प्रमुखता दी जाए, जैसेकि किसी विशेष परिचालन की गतिविधियों के बारे में सूचना एक साथ देना
- (ख) एक जैसी मापी गई मदों के बारे में सूचना को एक साथ देना, जैसे कि उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियां अथवा-
- (ग) लाभ-हानि विवरण तथा तुलन-पत्र में रेखीय मदों के क्रम का अनुसरण करना, जैसे-कि
- i. भारतीय लेखा मानकों के साथ अनुपालन विवरण (देखें अनुच्छेद 16)
 - ii. लागू की गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (देखें अनुच्छेद 117)
 - iii. तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, 'इक्विटी' में परिवर्तनों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत मदों के लिए सहायक सूचना ठीक उसी क्रम में प्रस्तुत करना जिसमें कि प्रत्येक विवरण व प्रत्येक रेखीय मद प्रस्तुत की जाती है; और
 - iv. अन्य प्रकटन निम्नलिखित सहित :
 - (1) आकस्मिक दायित्व [देखें भारतीय लेखा मानक 37] और गैर-मान्य अनुबंधात्मक वचनबद्धताएं; और
 - (2) गैर-वित्तीय प्रकटन, उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान के वित्तीय जोखिम प्रबन्धन के उद्देश्य और नीतियां [देखें भारतीय लेखा मानक 107]"

(xiii) अनुच्छेद 115 का लोप किया जाएगा।*

(xiv) अनुच्छेद 117 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"117 एक प्रतिष्ठान अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में निम्नलिखित प्रकट करेगा :

- (क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त माप आधार, और
- (ख) वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रयुक्त अन्य प्रासंगिक लेखा नीतियां।"

(xv) अनुच्छेद 119 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"119 यह निर्णय लेते समय कि क्या किसी विशेष लेखा नीति का प्रकटन किया जाये, प्रबन्धन यह विचार करता है कि क्या प्रकटन उपयोगकर्ताओं के लिए यह समझने में सहायक होगा कि किस प्रकार लेन-देन, अन्य घटनाएं और परिस्थितियां रिपोर्ट किये गये वित्तीय निष्पादन और वित्तीय स्थिति में प्रतिबिंबित हैं। प्रत्येक प्रतिष्ठान अपने उन परिचालनों की प्रकृति तथा नीतियों पर विचार करता है कि इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उस प्रतिष्ठान से यह आशा करेंगे। विशिष्ट वित्तीय लेखा नीतियों का प्रकटन उपयोगकर्ताओं के लिए तब उपयोगी हो जाता है, जब वे नीतियां भारतीय लेखा मानकों द्वारा स्वीकृत विकल्पों में से चयनित हों। इसका एक उदाहरण है व्यापार-तिथि लेखा या

* देखें परिशिष्ट 1

निपटान-तिथि लेखा में से किसी एक का प्रयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों का नियमित आधार पर खरीद या बिक्री का प्रकटन। [देखें भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*] कुछ भारतीय लेखा मानक विशेष रूप से विशिष्ट लेखा नीतियों के प्रकटन की अपेक्षा करता है जिनमें उनके द्वारा अनुमत विभिन्न लेखा नीतियों में से प्रबन्धन द्वारा किये गये चयनों के बारे में प्रकटन सम्मिलित होते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 16, *सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर* की श्रेणियों में प्रयुक्त माप आधारों के प्रकटन की अपेक्षा करता है।"

(xvi) अनुच्छेद 120 का लोप किया जाएगा *

(xvii) अनुच्छेद 122 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"122. एक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण लेखानीतियों या अन्य टिप्पणियों के साथ-साथ उन निर्णयों का भी प्रकटन करेगा जो अनुमानों (देखें अनुच्छेद 125) के अलावा प्रबन्धन द्वारा प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के लागू करने की प्रक्रिया में लिये गये निर्णयों, और जो कि वित्तीय विवरणों में मान्य धनराशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।"

(xviii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 6 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"6 अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाए गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ उक्त अनुच्छेदों की संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक में रहने दिया गया है:-

- (i) अनुच्छेद 12
- (ii) अनुच्छेद 39-40
- (iii) अनुच्छेद 81
- (iv) अनुच्छेद 82 (ड)
- (v) अनुच्छेद 82 (च)-(झ)
- (vi) अनुच्छेद 83-84
- (vii) अनुच्छेद 106 (ग)
- (viii) अनुच्छेद 123 (क)
- (ix) अनुच्छेद 115
- (x) अनुच्छेद 120"

15. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 2" में:-

(i) अनुच्छेद 2 में मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(क) प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सेवा अनुबंधों सहित निर्माण ठेकों से उत्पन्न निर्माणाधीन कार्य (देखिए भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 11, *निर्माण ठेके*); "

(ii) अनुच्छेद 8 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"8 सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में, क्रय की गयी तथा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें, उदाहरण के लिए, एक खुदरा व्यापारी द्वारा क्रय किया गया और पुनः बिक्री के लिए रखा गया व्यापार का सामान अथवा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी भूमि या अन्य संपत्ति सम्मिलित है। सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित तैयार वस्तुएं, निर्माणाधीन वस्तुएं और वह सामग्री या आपूर्ति भी शामिल है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लायी जानी है। एक सेवा प्रदानकर्ता के मामले में, सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में अनुच्छेद 19 में यथावर्णित सेवा की लागत भी सम्मिलित है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अभी संबंधित राजस्व को मान्यता नहीं दी है। (देखिए भारतीय लेखा मानक, 18 *राजस्व*)।"

* देखें परिशिष्ट 1

(iii) अनुच्छेद 19 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"19 जहाँ तक कि सेवा प्रदानकर्ताओं के पास सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) है वे इसे उत्पादन की लागत पर मापते हैं। इन लागतों में मुख्यतः श्रम तथा पर्यवेक्षी कर्मियों सहित सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न कर्मियों की अन्य लागतें तथा संबंधित उपरिव्यय शामिल हैं। हालांकि, बिक्री तथा सामान्य प्रशासकीय कर्मियों से जुड़ी श्रम तथा अन्य लागतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है परंतु अवधि के दौरान खर्च किए व्यय को मान्यता दी जाती है। एक सेवा-प्रदानकर्ता की इंवेंट्री की लागत को लाभ मार्जिन अथवा गैर-निहित उपरिव्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन्हें प्रायः सेवा प्रदानकर्ता द्वारा वसूल की जाने वाली कीमत में जोड़ दिया जाता है।"

(iv) अनुच्छेद 29 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"29 सूचीबद्ध सामान को सामान्यतया शुद्ध वसूली-योग्य मूल्य तक मद-दर-मद अपलिखित किया जाता है। तथापि, कुछ परिस्थितियों में, एक -जैसी और संबंधित मदों को समूहबद्ध करना उपयुक्त हो सकता है। यह समान उत्पादन रेखा से संबंधित सूचीबद्ध सामान की मदों के मामलों में हो सकता है, जिनका उद्देश्य या अंतिम उपयोग एक ही है और जो समान भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित और विपणित की जाती है और जिन्हें व्यवहार में उस उत्पादन रेखा में अन्य मदों से अलग मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। सूचीबद्ध सामान के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध सामान को अपलिखित करना उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के लिए, जैसे कि तैयार माल या विशिष्ट परिचालन खंड में सभी (सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज))। आमतौर पर सेवा प्रदाता प्रत्येक सेवा के संबंध में लागतों को संचित करते हैं जिसके लिए पृथक विक्रय मूल्य प्रभारित किया जाता है। इसलिए, ऐसी प्रत्येक सेवा को एक पृथक मद के रूप में समझा जाता है।"

(v) अनुच्छेद 37 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"37 सूचीबद्ध सामान के विभिन्न वर्गीकरणों में रखी गई सूचीबद्ध सामान की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की सूचना और इन आस्तियों में परिवर्तन की सीमा से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। सूचीबद्ध सामान के सामान्य वर्गीकरण में व्यापार की वस्तुएं, उत्पादन की आपूर्तियां, निर्माणाधीन एवं तैयार वस्तुएं आती हैं। एक सेवा प्रदाता का सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) एक निर्माणाधीन वस्तु के रूप में समझा जा सकता है।"

(vi) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 2 का लोप किया जाएगा।

16. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 10 के पश्चात्, निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 11

निर्माण ठेके

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)।

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य निर्माण ठेकों से संबंधित राजस्व तथा लागतों के लेखांकन व्यवहार को निर्धारित करना है। निर्माण ठेके में की गयी गतिविधि की प्रकृति के कारण तिथि जिस पर निर्माण गतिविधि को आरंभ किया जाता है तथा तिथि जब गतिविधि पूर्ण होती है वे प्रायः भिन्न लेखा अवधियों में आती हैं। इसलिए, निर्माण ठेके के लेखांकन में प्रमुख मुद्दा है निर्माण कार्य के निष्पादन की लेखा अवधि, ठेका-राजस्व और ठेका लागतों का आवंटन। यह मानक यह निर्धारित करता है कि कब ठेका-राजस्व तथा ठेका लागत को लाभ तथा हानि के विवरण में राजस्व तथा व्यय के रूप में मान्यता देनी चाहिए। यह मानक 'भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान' द्वारा जारी 'वित्तीय विवरण तैयार करने और उनकी प्रस्तुति की रूपरेखा' में निर्धारित मान्यता मानदंडों का उपयोग करता है। यह इन मानदंडों के उपयोग पर व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

कार्यक्षेत्र

1. यह मानक ठेकेदारों की निर्माण ठेकों के वित्तीय विवरणों के लेखांकन पर लागू होगा।

1क इस मानक से उत्पन्न होने वाली नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए किसी संविदात्मक अधिकार की हानि पर भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों के अनुसार निपटान किया जाएगा।

2.

परिभाषाएं

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

एक 'निर्माण ठेका' एक आस्ति अथवा एक से अधिक आस्तियों के संयोजन के निर्माण के लिए, जो अपने डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा कार्य अथवा अपने अंततः प्रयोजन अथवा उपयोग के संदर्भ में एक दूसरे से नजदीकी रूप से जुड़े हैं अथवा एक दूसरे पर निर्भर हैं, विशेष रूप से बातचीत द्वारा तय की जाती है।

एक 'निश्चित कीमत ठेका' एक ऐसा निर्माण ठेका है जिसमें ठेकेदार एक निश्चित ठेके की कीमत अथवा आउटपुट की प्रत्येक इकाई की निश्चित दर पर सहमत होता है जो कुछ मामलों में ठेके की लागत में वृद्धि से संबंधित खंडों के तहत भी होती है।

'लागत-जमा ठेका' एक ऐसा निर्माण ठेका है जिसमें ठेकेदार को स्वीकार्य अथवा अन्यथा निर्धारित लागतों के साथ-साथ जमा इन लागतों का प्रतिशत अथवा निश्चित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. एक एकल आस्ति, जैसे पुल, भवन, बाँध, पाइपलाइन, सड़क, जहाज अथवा सुरंग के निर्माण के लिए एक निर्माण ठेके को बातचीत द्वारा तय की जा सकता है। निर्माण ठेके में एक से अधिक आस्तियों के निर्माण के लिए भी समझौते हो सकते हैं जो अपने डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा कार्य अथवा अपने अंतिम उपयोग अथवा प्रयोजन के संदर्भ में एक दूसरे से नजदीकी रूप से जुड़े होते हैं अथवा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के ठेके के उदाहरणों में रिफाइनरी तथा अन्य जटिल प्रकार के संयंत्र अथवा उपकरणों के निर्माण के लिए किये गये ठेके भी सम्मिलित हैं।

5. इस मानक के प्रयोजनों के लिए निर्माण ठेके में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) सेवा प्रदान करने के लिए ठेके जो सीधे रूप से आस्ति के निर्माण से संबंधित हैं, उदाहरण के लिए, परियोजना प्रबंधकों तथा वास्तुविदों की सेवाओं के लिए किये गये ठेके; तथा
- (ख) आस्तियों के नष्ट करने या उनकी पुनर्बहाली तथा आस्तियों के ध्वस्त करने के बाद पर्यावरण की पुनर्बहाली के लिए किये गये ठेके।

6. निर्माण ठेके की संरचना कई तरीकों से की जा सकती है जो इस मानक के प्रयोजन के लिए इन्हें निश्चित कीमत ठेके तथा लागत-जमा ठेके के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ निर्माण ठेके में निश्चित कीमत ठेका तथा लागत जमा ठेका दोनों की विशेषताएं होती हैं, उदाहरण के लिए, सहमत अधिकतम कीमत के साथ लागत-जमा ठेका। इस प्रकार की परिस्थितियों में, एक ठेकेदार को यह निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 23 तथा 24 में दी गयी सभी शर्तों पर विचार करने की आवश्यकता है कि ठेके के राजस्व और व्यय को कब मान्यता देनी चाहिए।

निर्माण ठेके का संयोजन तथा विखंडन

7. इस मानक की अपेक्षाओं को प्रायः प्रत्येक निर्माण ठेके पर पृथक रूप से लागू किया जाता है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में मानक को एक ठेका अथवा ठेके के समूह को एक साथ पृथक रूप से पहचान योग्य घटकों पर लागू करना आवश्यक है जिससे कि ठेके अथवा ठेके के सारत्व प्रतिबिंबित हो सके।

8. जब ठेके में अनेक आस्तियां सम्मिलित होती हैं, तो प्रत्येक आस्ति के निर्माण को एक पृथक निर्माण ठेके के रूप में माना जायेगा, जब ---

- (क) प्रत्येक आस्ति के लिए पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो ;
- (ख) प्रत्येक आस्ति पृथक समझौता के रूप में है तथा ठेकेदार तथा ग्राहक प्रत्येक आस्ति से संबंधित ठेके के उस भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने में समर्थ हैं; तथा
- (ग) प्रत्येक आस्ति की लागतों तथा राजस्व की पहचान की जा सकती है।

9. ठेके के एक समूह को, चाहे वह एक एकल ग्राहक के साथ हों अथवा कई ग्राहकों के साथ हो, एक एकल निर्माण ठेके के रूप में माना जायेगा जब :

- (क) ठेके के समूह की एक एकल पैकेज के रूप में समझौता हुआ हो ;

* देखें परिशिष्ट 1

- (ख) ठेके इतनी नजदीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हों कि वे वास्तव में एक समग्र लाभ मार्जिन के साथ एक एकल परियोजना का ही भाग हों ;
- (ग) ठेके को संगामी या निरंतर क्रम में निष्पादित की जानी हों ।
10. एक ठेके के ग्राहक के विकल्प पर एक अतिरिक्त आस्ति के निर्माण के लिए प्रदान की जा सकती है अथवा एक अतिरिक्त आस्ति के निर्माण में सम्मिलित करने के लिए संशोधित की जा सकती है। अतिरिक्त आस्ति का निर्माण एक पृथक निर्माण ठेका माना जाएगा, जब -
- (क) आस्ति मूल ठेके में व्याप्त आस्ति अथवा आस्तियों के आकार (डिजाइन), प्रौद्योगिकी अथवा कार्य उल्लेखनीय रूप से भिन्न हो ; अथवा
- (ख) आस्ति की कीमत में मूल ठेके की कीमत को ध्यान में रखे बिना समझौता किया गया हो।

ठेका राजस्व

11. ठेका राजस्व में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :
- (क) ठेके में सहमत राजस्व की आरंभिक राशि ; तथा
- (ख) ठेके के कार्य, दावों तथा प्रोत्साहन भुगतानों में परिवर्तन ;
- (i) उस सीमा तक जिस सीमा तक यह संभावना हो कि उनसे राजस्व प्राप्त होगा ; तथा
- (ii) उन्हें विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो ।
12. ठेका-राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। ठेका-राजस्व का माप कई अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है जो भविष्य की घटनाओं के परिणाम पर निर्भर करती हैं। अनुमानों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि घटनाएं घटती हैं और अनिश्चितताएं दूर हो जाती हैं। अतः, ठेका-राजस्व की राशि एक अवधि से अगली अवधि में बढ़ अथवा घट सकती है। उदाहरण के लिए :-
- (क) एक ठेकेदार तथा ग्राहक उन परिवर्तनों अथवा दावों पर सहमत हो सकते हैं जिससे उस तदोपरान्त अवधि में ठेका-राजस्व में वृद्धि या कमी हो सकती है जिसमें ठेके के आरंभ में सहमति हुई थी ।
- (ख) एक निश्चित कीमत ठेके में सहमत राजस्व की राशि लागत में वृद्धि के खण्डों के परिणामस्वरूप बढ़ सकती है।
- (ग) ठेकेदार द्वारा ठेके की पूर्णता में की गयी देरी से उत्पन्न दंडों (पेनेल्टी) के परिणामस्वरूप ठेका-राजस्व की राशि कम हो सकती है।
- (घ) जब एक निश्चित कीमत ठेके में प्रति इकाई आउटपुट के अनुसार निश्चित कीमत अन्तर्निहित हो तो जैसे-जैसे इकाईयों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, ठेका-राजस्व में भी वृद्धि होती जाती है।
13. परिवर्तन से आशय एक ग्राहक का वह निर्देश है जिसमें ठेके के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले कार्य के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन है। एक परिवर्तन से ठेके के राजस्व में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। परिवर्तनों के उदाहरणों में आस्ति के आकार (डिजाइन) अथवा विशेषताओं में या ठेके की अवधि में परिवर्तन हैं।
- ठेका-राजस्व के परिवर्तन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं जब :
- (क) यह संभावना हो कि ग्राहक परिवर्तन और परिवर्तन से उत्पन्न राजस्व की राशि को अनुमोदित करेगा ; तथा
- (ख) राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा भी जा सकता है।
14. एक दावा वह राशि है जिसे ठेकेदार ग्राहक अथवा दूसरे पक्ष से प्रतिपूर्ति के रूप में उगाही के लिए मांग करता है जो ठेके की कीमत में लागत के रूप में सम्मिलित नहीं होती है। एक दावा तब उत्पन्न होता है, जब, उदाहरण के लिए, ग्राहक के कारण कार्य में विलम्ब होता है, विशिष्टियों अथवा आकार (डिजाइन) में गलतियां, या ठेका-कार्य में कोई विवादास्पद परिवर्तन हो। दावों से उत्पन्न राजस्व की राशि का माप अनिश्चितता के उच्च स्तर अधीन तथा प्रायः समझौता के परिणाम पर निर्भर करता है। अतः, दावे को ठेका-राजस्व में केवल तभी सम्मिलित किया जाता है, जब :
- (क) समझौता उस अंतिम चरण तक पहुँच गयी हो जहां यह संभावना बन जाती है कि ग्राहक दावे को स्वीकार कर लेगा ; तथा
- (ख) वह राशि, जिसे ग्राहक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है, विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

15. प्रोत्साहन भुगतान वे अतिरिक्त राशियां हैं जो ठेकेदार को तभी अदा की जाती हैं जब वह कार्य को निर्दिष्ट निष्पादन मानक के अनुरूप या और बेहतर ढंग से पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए, एक ठेकेदार को ठेके के कार्य को समय से पूर्व पूरा करने पर प्रोत्साहन के भुगतान की अनुमति दे सकता है। प्रोत्साहन भुगतान ठेका-राजस्व में तब सम्मिलित होते हैं जब
- (क) यह संभावना है कि विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों के अनुसार ठेके के कार्य काफी आगे हैं तथा निर्धारित समय में अथवा इससे पहले पूरा कर लिया जाएगा ; तथा
- (ख) प्रोत्साहन भुगतान की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ठेके की लागतें

16. ठेका लागतों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगी :-

- (क) लागतें जो विशिष्ट ठेके से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों ।
- (ख) लागतें जो सामान्य रूप से ठेके की गतिविधि से जुड़ी हैं तथा ठेके से आवंटित हो सकती हैं ; तथा
- (ग) इस प्रकार की अन्य लागतें जो विशेष रूप से ठेके की शर्तों के अन्तर्गत ग्राहक से वसूल करने योग्य हैं।

17. लागतें जो विशिष्ट ठेके से प्रत्यक्षतया जुड़ी हैं और उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

- (क) स्थल पर्यवेक्षण सहित स्थल श्रमिक लागतें ;
- (ख) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागत ;
- (ग) ठेके में प्रयुक्त संयंत्र तथा उपस्कर का मूल्यह्रास ;
- (घ) ठेके के स्थल तक संयंत्र, उपस्कर तथा सामग्री को लाने और ले जाने की लागतें ;
- (ङ) संयंत्र व उपस्करों को किराया पर लेने की लागतें ;
- (च) ढांचा तथा तकनीकी सहायता की लागतें जो ठेके से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं ;
- (छ) अपेक्षित वारंटी लागतों सहित सुधार व गारंटी कार्य की अनुमानित लागतें ; तथा
- (ज) तृतीय पक्षों के दावे ।

इन लागतों को किसी प्रासंगिक आय से कम किया जा सकता है जिनका उल्लेख ठेका-राजस्व में नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए, अतिरिक्त सामग्री की बिक्री से प्राप्त आय तथा ठेके की समाप्ति पर संयंत्र तथा उपस्करों की बिक्री से प्राप्त राशि ।

18. लागतें, जो ठेके की गतिविधि से सामान्य रूप से जुड़ी हों तथा किसी विशिष्ट ठेके को आवंटित की जा सकती हों, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) बीमा
- (ख) ढांचा तथा तकनीकी सहायता की लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट ठेके से जुड़ी नहीं हैं।
- (ग) निर्माण उपरिव्यय

इस प्रकार की लागतों को प्रणाली व तर्कसंगत विधियों के उपयोग द्वारा आवंटित किया जाता है जिन्हें एक प्रकार की विशेषताओं की लागतों पर सतत रूप से लागू किया जाता है। आबंटन निर्माण गतिविधि के सामान्य स्तर पर आधारित होता है। निर्माण उपरिव्यय की लागतों में निर्माण ठेके से सम्बंधित तैयारी, प्रक्रिया व निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों का वेतन (पे रोल) सम्मिलित है। ठेके की गतिविधि से जुड़ी लागतों में विशिष्ट ठेके में आवंटित लागतों में ऋण लागतें भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

19. ठेके की शर्तों के अनुसार लागतों में ग्राहक से विशिष्ट रूप से प्रभारित करने योग्य लागतें भी हैं, जिनमें कुछ सामान्य प्रशासकीय लागतें तथा विकास सम्बन्धी लागतें भी सम्मिलित हैं और जिनकी प्रतिपूर्ति ठेके की शर्तों में विनिर्दिष्ट होती है।

20. लागतें जो एक ठेके की गतिविधि से सम्बन्धित नहीं हैं अथवा जिन्हें एक ठेके को आवंटित नहीं किया जा सकता, उन्हें निर्माण ठेके की लागतों से अलग रखा जाता है। इन लागतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) सामान्य प्रशासकीय लागतें जिनकी प्रतिपूर्ति ठेके में निर्दिष्ट नहीं की जाती;
- (ख) बिक्री लागतें
- (ग) अनुसंधान तथा विकास लागतें जिनकी प्रतिपूर्ति ठेके में निर्दिष्ट नहीं की जाती ; तथा
- (घ) ऐसे अप्रयुक्त संयंत्र तथा उपस्कर का मूल्यह्रास जो ठेके विशेष में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

21. ठेके कि लागतों में ठेके की प्राप्ति की तिथि से ठेके के अंतिम रूप से पूरा होने तक की अवधि की ठेके से जुड़ी सभी लागतें शामिल होती हैं। तथापि, वे लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से एक ठेके से संबंधित हैं तथा ठेके को प्राप्त करने के लिए खर्च की गई हैं उन्हें ठेके की लागत के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है, यदि, उनकी पृथक् रूप से पहचान की जा सकती हो, तथा उन्हें विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो और यह संभावना हो कि ठेका प्राप्त कर ली जाएगी। जब एक ठेके को प्राप्त करने के लिए लागतें खर्च की जाती हैं तो उस अवधि के लिए खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं तथा उन ठेके की लागतों में शामिल नहीं की जाती हैं जब ठेके को परवर्ती अवधि में प्राप्त की जाती है।

ठेका राजस्व तथा व्यय की मान्यता

22. जब किसी निर्माण ठेके के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता हो, तो निर्माण ठेके से सम्बंधित ठेका-राजस्व तथा ठेका लागतों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ठेके की गतिविधि की पूर्णता की चरण के संदर्भ में क्रमशः राजस्व तथा व्यय के रूप में मान्यता दी जायगी। एक निर्माण ठेके पर प्रत्याशित हानि को अनुच्छेद 36 के अनुसार तुरंत एक व्यय के रूप में मान्यता दी जायगी।
23. एक निश्चित कीमत ठेके के मामले में, निर्माण ठेके के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, जब निम्नलिखित सभी शर्तों की पूर्ति होती हो -
- (क) कुल ठेका-राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
 - (ख) यह संभावना है कि ठेके से सम्बंधित आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे।
 - (ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ठेके को पूरा करने तथा ठेके को पूरा करने की स्थिति, दोनों ठेके की लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; तथा
 - (घ) ठेके से सम्बंधित ठेके लागत की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है तथा उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ताकि खर्च हुई वास्तविक ठेके की लागत के पूर्व अनुमान के साथ तुलना की जा सके।
24. लागत जमा ठेके के मामले में, निर्माण ठेके के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों -
- (क) जब यह संभावना हो कि ठेके से सम्बंधित आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे; तथा
 - (ख) ठेके से सम्बंधित ठेका लागतों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है चाहे वे विशेष रूप से प्रतिपूर्ति योग्य हैं अथवा नहीं तथा उन्हें विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
25. एक ठेके की पूर्णता के स्थिति के संदर्भ द्वारा राजस्व तथा व्यय की मान्यता को प्रायः पूर्णता विधि के प्रतिशत के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत, ठेका-राजस्व के पूर्णता की स्थिति पर पहुँचने पर खर्च की गयी ठेके की लागत के साथ मिलान किया जाता है और यह देखा जाता है कि जितना कार्य पूरा हुआ है उसके अनुसार राजस्व, व्यय तथा लाभ की क्या स्थिति है। यह विधि अवधि के दौरान ठेके की गतिविधि की सीमा तथा निष्पादन दोनों के सम्बंध में उपयोगी सूचना उपलब्ध कराती है।
26. पूर्णता विधि की प्रतिशतता के अन्तर्गत, ठेका-राजस्व को लेखा अवधि में, जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है, लाभ अथवा हानि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। ठेकों की लागतों को आमतौर पर लेखा अवधि में जिसमें वे कार्य जिससे वे संबंधित हैं निष्पादित किया जाता है, लाभ अथवा हानि में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। यद्यपि, ठेके के लिए कुल राजस्व के ऊपर जो भी अधिक ठेके की लागत आती है उसे अनुच्छेद 36 के अनुसार तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
27. एक ठेकेदार एक ऐसी ठेका लागत खर्च कर सकता है जो ठेके की भावी गतिविधि से संबंधित हो। इस प्रकार की ठेके की लागत को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है बशर्ते इसकी संभावना कि वे वसूल कर ली जाएगी। इस प्रकार की लागतें ग्राहक से प्राप्य राशि होती हैं और इसे प्रायः प्रगति में ठेका-कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
28. एक निर्माण ठेके के परिणाम का अनुमान तभी विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है जब इस बात की संभावना हो कि ठेके से सम्बंधित आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे। तथापि, जब ठेका-राजस्व में पहले से सम्मिलित एक राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है और उसे लाभ अथवा हानि में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है, तो गैर-संग्रहीत राशि अथवा जिस राशि के बारे में वसूली की संभावना खत्म हो गई है उस राशि को ठेका-राजस्व की राशि के रूप में समायोजन की बजाय एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
29. एक प्रतिष्ठान ठेके के संबंध में अपनी सहमति के पश्चात सामान्यतः विश्वसनीय अनुमान लगाने में समर्थ होता है जो निम्नलिखित को स्थापित करता है :
- (क) निर्मित की जाने वाली आस्ति के संबंध में प्रत्येक पक्ष के लागू किये जाने वाले अधिकार;

(ख) विनिमय किया जाने वाला प्रतिफल ; तथा

(ग) भुगतान की विधि तथा शर्तें ।

एक प्रतिष्ठान के लिए आमतौर पर यह आवश्यक है कि उसकी एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय बजटिंग तथा रिपोर्टिंग प्रणाली हो । जैसे-जैसे संविदात्मक कार्य आगे बढ़ता है, प्रतिष्ठान प्रगति की समीक्षा करता है और जब आवश्यक हो ठेके के राजस्व के प्राक्कलनों और ठेके की लागतों में पुनरीक्षण करता है। इस प्रकार के पुनरीक्षण की आवश्यकता से ये संकेत नहीं मिलते कि ठेके के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

30. ठेके की पूर्णता के स्थिति का निर्धारण कई तरीकों से किया जा सकता है। प्रतिष्ठान उस विधि का उपयोग करता है जो निष्पादित कार्य का विश्वसनीय रूप से माप करती है। ठेके के स्वरूप के अनुसार विधि में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :-

(क) कुल ठेके की अनुमानित लागतों के अनुपात में अद्यतन तिथि तक निष्पादित कार्य के लिए खर्च की गयी ठेके की लागतें ;

(ख) निष्पादित कार्य के सर्वेक्षण ; अथवा

(ग) ठेके के कार्य की पूर्णता का भौतिक अनुपात ।

ग्राहकों से प्राप्त प्रगति भुगतान एवं अग्रिम प्रायः निष्पादित कार्य को परिलक्षित नहीं करते ।

31. जब पूर्णता की अवधि का निर्धारण अद्यतन तिथि तक खर्च की गयी ठेके लागतों के संदर्भ में लगाया जाता है तो केवल उन्हीं ठेके की लागतों को विचार में शामिल किया जाता जो निष्पादित कार्य को परिलक्षित करती है और अद्यतन खर्च हो चुकी होती है। नीचे उन ठेके की लागतों के उदाहरण दिये जा रहे हैं जिन्हें अलग रखा जाता है -

(क) ठेके की लागतें जो ठेके की भावी गतिविधि से संबंधित हैं जैसे उस सामग्री की लागतें जिसे ठेके स्थल पर सुपुर्द कर दिया गया है अथवा ठेके के उपयोग से अलग रखा गया है लेकिन अभी तक संस्थापित नहीं किया गया है, किन्तु ठेके के निष्पादन के दौरान प्रयुक्त या उपयोग किया गया है अथवा सामग्री को विशेष रूप से ठेके के लिए न बनाया गया हो ।

(ख) उपठेका के अन्तर्गत, कार्य के निष्पादन से पहले ही उप ठेकेदार को अग्रिम के रूप में किया गया भुगतान ।

32. जब निर्माण ठेका के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता तो -

(क) राजस्व को केवल खर्च की गयी ठेके की लागतों की सीमा तक मान्यता दी जायगी बशर्तें जब यह संभावना हो कि वे लागतें वसूली योग्य होंगी ; तथा

(ख) ठेके की लागतें जिस अवधि में खर्च की जाती हैं उसमें उनको व्यय के रूप में मान्यता दी जायगी ।

निर्माण ठेके पर एक प्रत्याशित हानि को अनुच्छेद 36 के अनुसार तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जायगी ।

33. ठेके के प्रारम्भिक स्थिति के दौरान, आमतौर पर ऐसी भी स्थिति आती है कि ठेके के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता । फिर भी, यह संभावना है कि प्रतिष्ठान खर्च की गयी ठेके लागतों को वसूल कर लेगा । इसलिए, ठेका-राजस्व को केवल खर्च की गयी उन लागतों तक ही मान्यता दी जाती है जिनकी वसूली हो सकती है। हालांकि ठेके के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अतः किसी लाभ को मान्यता नहीं दी जाती । फिर भी, चाहे ठेके के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह संभावना हो सकती है कि कुल ठेका लागत कुल ठेका-राजस्व से अधिक हों जाएगी । इस प्रकार के मामले में, ठेके के लिए कुल ठेके के राजस्व से ऊपर कुल ठेके की लागतों के प्रत्याशित आधिक्य को अनुच्छेद 36 के अनुसार तुरंत एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

34. जिन ठेके की लागतों के वसूल होने की संभावना नहीं है उन्हें तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। नीचे उन परिस्थितियों के उदाहरण दिये गये हैं जिनमें खर्च की गयी ठेके के लागतों की वसूली की संभावना नहीं होती है तथा जिनमें ठेके के लागतों को तुरंत व्यय के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता हो सकती है। उन ठेके में शामिल हैं :-

(क) जो पूर्ण रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं अर्थात् उनकी वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह हैं।

(ख) जिनकी पूर्णता लम्बित मुकदमे के निर्णय अथवा कानून बनने के परिणाम के अधीन है ;

(ग) उन सम्पत्तियों से संबंधित हैं जिनके अस्वीकृत होने या स्वत्व-अधिकार छिनने की संभावना है ;

(घ) जहां पर ग्राहक अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है; अथवा

(ङ) जहां पर ठेकेदार ठेके को पूर्ण करने में अथवा अन्यथा ठेके के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है।

35. ऐसी अनिश्चितताएं जो ठेके के परिणाम को विश्वसनीय रूप से अनुमानित करने में बाधक होती हैं, या विद्यमान नहीं रहती हैं तो निर्माण ठेके से सम्बंधित राजस्व तथा व्यय को अनुच्छेद 32 की बजाय अनुच्छेद 22 के अनुसार मान्यता दी जाएगी ।

प्रत्याशित हानियों की मान्यता

36. जब यह संभावना होती है कि कुल ठेके की लागतें कुल ठेका-राजस्व से अधिक हो जायेंगी, तो प्रत्याशित हानि को तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जायगी।
37. इस प्रकार की हानि की राशि का निर्धारण निम्नलिखित पर विचार किये बिना होगा :
- क्या ठेके पर कार्य आरंभ हो गया है ;
 - ठेके की गतिविधि की पूर्णता किस चरण पर है ; अथवा
 - अन्य ठेके पर उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित लाभ की राशि जिसे अनुच्छेद 9 के अनुसार एक एकल निर्माण ठेके के रूप में नहीं माना जाता।

प्राक्कलनों में परिवर्तन

38. पूर्णता विधि की प्रतिशतता ठेका-राजस्व तथा ठेकें की लागतों के चालू प्राक्कलन (अनुमान) में प्रत्येक लेखा अवधि में संचित आधार पर लागू होती है। इसलिए, ठेका-राजस्व अथवा ठेके लागत के अनुमान में परिवर्तन का प्रभाव अथवा एक ठेके के परिणाम के प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव को लेखा प्राक्कलन (अनुमान) में परिवर्तन के रूप में लेखांकित किया जाता है (देखें भारतीय लेखा मानक 8) 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां'। परिवर्तित प्राक्कलनों (अनुमानों) को जिस अवधि में परिवर्तन किया गया है उस अवधि तथा बाद की अवधि के लाभ या हानि में मान्य राजस्व तथा व्यय की राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

प्रकटन

39. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :
- दी गयी अवधि में राजस्व के रूप में मान्य ठेका-राजस्व की राशि
 - दी गयी अवधि में मान्य ठेका-राजस्व के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधियां; तथा
 - प्रगति में ठेके की पूर्णता की स्थिति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधियां
40. एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रगति में ठेके की निम्नलिखित प्रत्येक को प्रकट करेगा :
- अद्यतन तिथि तक खर्च की गयी लागतों तथा मान्य लाभों (घटायें मान्य हानियां) की सकल राशि
 - प्राप्त अग्रिमों की राशि ; तथा
 - रोकी गई राशि
41. रोकी गई राशियां प्रगति बिलों की वे राशियां हैं जिनका भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ठेके में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ऐसी राशियों के लिए भुगतान नहीं हो जाता या पायी गयी त्रुटियों को ठीक नहीं कर लिया जाता। प्रगति में कार्य के बिलों की राशियां एक ठेके पर निष्पादित कार्य की वे राशियां हैं जिनका चाहे ग्राहक ने भुगतान किया है अथवा नहीं। अग्रिम वे राशियां हैं जो ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्य के निष्पादन से पूर्व ही प्राप्त कर ली जाती हैं।
42. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :
- ग्राहकों से ठेके के कार्य के लिए प्राप्य सकल राशि को एक आस्ति के रूप में ; तथा
 - ग्राहकों को ठेके के कार्य के लिए देय सकल राशि को एक देयता के रूप में
43. ठेके के कार्य के ग्राहकों से प्राप्य सकल राशि में निम्नलिखित की शुद्ध राशि है :
- खर्च की गयी लागतें जमा मान्य लाभ; घटायें
 - मान्य हानियों तथा प्रगति में कार्य के बिलों की राशि
- उन सभी प्रगति पर ठेके के लिए जिनकी खर्च की गयी लागतें जमा मान्य लाभ (घटाइए मान्य हानियां) की राशि प्रगति पर कार्य के बिलों की राशि से अधिक है।
44. ठेके के कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि निम्नलिखित की शुद्ध राशि है :
- खर्च की गयी लागतें जमा मान्य लाभ; घटायें
 - मान्य हानियां तथा प्रगति पर कार्य के बिलों की राशि

उन सभी प्रगति पर ठेके के लिए जिनकी प्रगति पर कार्य के बिलों की राशि खर्च की गयी लागतों जमा मान्य लाभ (घटाइए मान्य हानियाँ) से अधिक है।

45. कोई प्रतिष्ठान किसी भी आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियों को भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुसरण में प्रकट करता है। आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ वारंटी लागतें, दावे, अर्थदंड अथवा संभावित हानियाँ जैसी मदों से उत्पन्न हो सकती हैं।

परिशिष्ट 'क'

सेवा रियायत व्यवस्था

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

- सार्वजनिक सेवाओं की मूलभूत संरचना, जैसे सड़कें, पुल, सुरंगें, जेल, अस्पताल, हवाई अड्डे, जल वितरण सुविधाएं, ऊर्जा आपूर्ति तथा दूरसंचार नेटवर्क को पारम्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्मित व परिचालित किया गया है और उसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है तथा उसे सार्वजनिक बजट विनियोजन के जरिये वित्त प्रदान किया गया है।
- हाल ही में, सरकार ने इस प्रकार की मूलभूत संरचना के विकास, वित्त पोषण, परिचालन तथा अनुरक्षण (रखरखाव) में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए संविदात्मक सेवा व्यवस्था को प्रस्तुत किया है। मूलभूत संरचना पहले से ही विद्यमान हो सकती है अथवा उसे सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान निर्मित किया गया हो सकता है। इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंदर की गई व्यवस्था विशिष्ट रूप से सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने अथवा सुधारने (उदाहरण के लिए क्षमता में वृद्धि) के लिए प्रयुक्त मूलभूत संरचना का निर्माण करने के लिए तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए उस मूलभूत संरचना के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान (एक परिचालक) को सम्मिलित करता है। परिचालक को व्यवस्था की अवधि में इसकी सेवा के लिए भुगतान किया जाता है। व्यवस्था का एक ठेके द्वारा संचालन होता है जो कार्य निष्पादन मानक, कीमत के समायोजन के लिए तंत्र तथा विवादों के निपटान के लिए पंचाट विवाद की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रायः 'निर्माण - परिचालन-अंतरण', 'पुनर्वास-परिचालन-अंतरण' अथवा 'सार्वजनिक से निजी' सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इस सेवा व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में परिचालक द्वारा लिये गये दायित्व की प्रकृति में सार्वजनिक सेवा है। सार्वजनिक नीति निजी सेवा को परिचालित करने वाले पक्ष की पहचान पर विचार किये बिना जनता को प्रदान की जाने वाली मूलभूत संरचना से संबंधित सेवा है। सेवा-व्यवस्था संविदात्मक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान की तरफ से परिचालक जनता को सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। अन्य सामान्य बातें या विशेषताएं इस प्रकार हैं :-
 - जो पक्ष सेवा व्यवस्था प्रदान करता है (प्रदानकर्ता) वह एक सरकारी निकाय सहित एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान अथवा एक निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान भी हो सकता है जिसके लिए सेवा के निर्वहन का दायित्व सौंपा जाता है।
 - परिचालक मूलभूत संरचना तथा संबंधित सेवा के कम-से-कम कुछ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है तथा वह केवल सेवा प्रदानकर्ता की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि ही नहीं होता।
 - ठेके के परिचालक द्वारा लगाये जाने वाले आरंभिक कीमत को निर्धारित करती है तथा सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान कीमत के पुनरीक्षण को भी विनियमित करती है।
 - परिचालक बिना किसी कमोवेश प्रतिफल पर व्यवस्था की अवधि के अंत में निर्दिष्ट स्थिति में प्रदानकर्ता का मूलभूत संरचना को सौंपने के लिए उत्तरदायी है, इस पर चाहे किसी भी पक्ष ने आरंभ में वित्त प्रदान किया था।

कार्यक्षेत्र

- यह परिशिष्ट 'सार्वजनिक-से-निजी' सेवा रियायत व्यवस्था के लिए परिचालकों द्वारा लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है।
- यह परिशिष्ट 'सार्वजनिक-से-निजी' सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है, यदि -
 - प्रदानकर्ता नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या-क्या सेवाएं प्रदान करनी हैं, किन्हें प्रदान करनी हैं तथा ये किस कीमत पर प्रदान की जाएंगी; तथा -
 - प्रदानकर्ता स्वामित्व, हितग्राही हकदारी अथवा अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में किसी उल्लेखनीय अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है।

6. इसकी समस्त उपयोगी जीवन (समस्त जीवन आस्तियाँ) के लिए 'सार्वजनिक -से-निजी' सेवा रियायत व्यवस्था में प्रयुक्त मूलभूत संरचना यदि इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 5(क) में शर्तें पूरी होती हैं तो इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है इस परिशिष्ट के प्रयोग सम्बंधी मार्गदर्शन के अनुच्छेद प्रमा 1-प्रमा 8 इस निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या 'सार्वजनिक -से-निजी' रियायत व्यवस्था इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है तथा किसी सीमा तक है।
7. यह परिशिष्ट निम्नलिखित दोनों पर लागू होता है -
 - (क) मूलभूत संरचना जिसे परिचालक सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए निर्मित करता है अथवा तृतीय पक्ष से अधिग्रहीत करता है; तथा
 - (ख) मौजूदा मूलभूत संरचना जिसे प्रदानकर्ता परिचालक को सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अनुमति देता है।
8. यह परिशिष्ट सेवा करार से पूर्व उस मूलभूत संरचना के लिए लेखा-प्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं करता है जिसे सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर के रूप में धारित व मान्य किया गया है। लेखा मानकों की गैरमान्य अपेक्षाएं भारतीय लेखा मानक 16 में यथा निर्धारित इस प्रकार की मूलभूत संरचना पर लागू होती हैं।
9. यह परिशिष्ट प्रदानकर्ता द्वारा लेखांकन को विनिर्दिष्ट नहीं करता है।

मुद्दे

10. यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था में दायित्वों तथा संबंधित अधिकारों की मान्यता तथा माप पर सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। सेवा रियायत व्यवस्था के बारे में सूचना को प्रकट करने की अपेक्षाएं इस भारतीय लेखा मानक की परिशिष्ट 'ख' में दी गयी हैं। इस परिशिष्ट में जिन मुद्दों का वर्णन किया गया है वे इस प्रकार हैं :
 - (क) मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार ;
 - (ख) व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप ;
 - (ग) निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं ;
 - (घ) परिचालन सेवाएं ;
 - (ङ) उधार की लागतें ;
 - (च) एक वित्तीय आस्ति तथा एक अमूर्त आस्ति के परवर्ती लेखांकन का व्यवहार ; तथा
 - (छ) प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की जाने वाली मदें ।

लेखा सिद्धांत

मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार

11. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मूलभूत संरचना की परिचालक की सम्पत्ति, संयंत्र प्लांट तथा उपस्कर के रूप में मान्यता नहीं दी जायगी क्योंकि संविदात्मक सेवा व्यवस्था परिचालक को सार्वजनिक सेवा मूलभूत संरचना के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार नहीं देता है। परिचालक के पास ठेके में निर्दिष्ट शर्त के अनुसार प्रदानकर्ता की तरफ से सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की अनुमति होती है।

व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप

12. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संविदात्मक व्यवस्था की शर्तों के अधीन, परिचालक एक सेवा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करता है। परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त मूलभूत संरचना (निर्माण या उन्नयन सेवाएं) को निर्मित अथवा उन्नयन करता है तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए मूलभूत संरचना (परिचालन सेवाएं) को परिचालित करता है और उसका रखरखाव करता है।
13. परिचालक अपने द्वारा निष्पादित की गयी सेवा के लिए भारतीय लेखा मानक 11 तथा भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसरण में राजस्व की मान्यता तथा माप करेगा। यदि परिचालक एकल ठेका अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत एक से अधिक सेवाएं (अर्थात् निर्माण अथवा उन्नयन सेवा तथा परिचालन सेवा) का निष्पादन करता है, तो प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल को प्रदान की गयी सेवा के सापेक्ष उचित मूल्य के संदर्भ में आबंटित किया जायगा बशर्ते राशियां पृथक् रूप से पहचान योग्य हों। प्रतिफल का स्वरूप इसके बाद के लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है। वित्तीय आस्ति के रूप में तथा एक अमूर्त आस्ति के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बाद के लेखा का विवरण नीचे अनुच्छेद 23-26 में दिया गया है।

निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं

14. परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाओं से संबंधित राजस्व तथा लागतों को इस मानक के अनुसार लेखांकित करेगा।

प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिया जाने वाला प्रतिफल

15. यदि परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं प्रदान करता है और इसके लिए वह प्रतिफल प्राप्त करता है अथवा उसे प्राप्य है तो इस प्रतिफल की मान्यता इसके उचित मूल्य पर की जायगी। प्रतिफल निम्नलिखित के अधिकार स्वरूप है ---
- (क) एक वित्तीय आस्ति; अथवा
- (ख) अमूर्त आस्ति।
16. परिचालक वित्तीय आस्ति को एक सीमा तक ही मान्यता देगा जो इस निर्माण सेवा के लिए प्रदानकर्ता के निर्देश पर नकद अथवा एक अन्य वित्तीय आस्ति के रूप में प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार रखता है, प्रदानकर्ता के पास भुगतान को रोकने का बहुत कम, यदि कोई है, विवेकाधिकार है क्योंकि आमतौर पर करार कानून द्वारा बाध्यकारी है। परिचालक के पास नकद को प्राप्त करने का बिना शर्त का अधिकार है यदि प्रदानकर्ता संविदात्मक रूप से परिचालक को (क) विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के भुगतान की गारंटी देता है; अथवा (ख) सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ता से प्राप्त राशि तथा विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के बीच यदि कोई कमी है, तो भी वह भुगतान करेगा, बेशक भुगतान परिचालक के लिए इस रूप में आकस्मिक है क्योंकि उसे मूलभूत संरचना की निर्दिष्ट गुणवत्ता अथवा कुशलता की अपेक्षाओं को पूरा करना है।
17. परिचालक अमूर्त आस्ति को इस सीमा तक मान्यता देगा कि उसे सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार (लाइसेंस) प्राप्त है। उपयोगकर्ताओं से नकद रूप से वसूलने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि राशियां उस सीमा तक ही आकस्मिक हैं जहां तक जनता सेवा का उपयोग करती है।
18. यदि परिचालक को आंशिक रूप से वित्तीय आस्ति के द्वारा तथा आंशिक रूप से अमूर्त आस्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि परिचालक की प्रतिफल के प्रत्येक भाग का पृथक् रूप से लेखांकन किया जाए। दोनों भागों के लिए प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल को आरंभ में प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मान्यता दी जायगी।
19. प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिये गये प्रतिफल की प्रकृति का निर्धारण ठेके की शर्तों तथा मौजूदा प्रासंगिक ठेके को कानून के संदर्भ द्वारा किया जायगा।

परिचालन सेवाएं

20. परिचालक भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसार परिचालन सेवा से संबंधित राजस्व तथा लागतों को लेखा करेगा।

सेवा के एक विशिष्ट स्तर तक मूलभूत संरचना को रखने का संविदात्मक दायित्व

21. परिचालक का यह संविदात्मक दायित्व है कि वह एक लाइसेंस की उन शर्तों को अवश्य पूरा करे कि वह (क) सेवा को विशिष्ट स्तर तक रखने के लिए मूलभूत संरचना का रखरखाव करे अथवा (ख) सेवा व्यवस्था के अंत में प्रदानकर्ता को मूलभूत संरचना सौंपने से पूर्व निर्धारित स्थिति तक रखे। उन्नयन तत्व (देखिए इस परिशिष्ट का अनुच्छेद 14) को छोड़कर मूलभूत संरचना को बनाये रखने अथवा इसे पुनर्बहाल करने के संविदात्मक दायित्व भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होंगे तथा मापे जायेंगे अर्थात् व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा।

परिचालक द्वारा खर्च की गयी उधार की लागतें

22. भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसरण में व्यवस्था से सम्बंधित उधार की लागतों को उस अवधि के अन्त में एक व्यय के रूप में तब तक मान्यता दी जायगी जिसमें वह खर्च होती है जब तक कि परिचालक के पास एक अमूर्त आस्ति को प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार न हो (सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार)। इस मामले में व्यवस्था से सम्बंधित उधार की लागतों को उस मानक के अनुसार व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान पंजीकृत किया जायेगा।

वित्तीय आस्ति

23. भारतीय लेखा मानक 32, भारतीय लेखा मानक 107 तथा भारतीय लेखा मानक 109 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 16 तथा 18 के अन्तर्गत मान्य वित्तीय आस्ति पर लागू होता है।
24. प्रदानकर्ता से प्राप्य अथवा उसके निर्देश पर प्राप्य राशि का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार निम्नलिखित पर किया जाता है:
- (क) परिशोधित लागत
- (ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य; अथवा
- (ग) लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य।
25. यदि प्रदानकर्ता से देय राशि को अन्य व्यापक आय पर परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर मापा जाता है तो भारतीय लेखा मानक 109 यह अपेक्षा करता है कि प्रभावी ब्याज विधि द्वारा की गयी ब्याज की गणना को लाभ या हानि में मान्यता दी जाए।

अमूर्त सम्पत्ति

26. भारतीय लेखा मानक 38 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 17 तथा 18 के अनुसार मान्य अमूर्त आस्ति पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 45-47 गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक आस्तियों के संयोजन में विनिमय में अधिगृहीत अमूर्त आस्तियों के माप पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की गयीं मदें

27. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 11 के अनुसार, मूलभूत संरचना मदें जिन पर सेवा व्यवस्था के प्रयोजन से प्रदानकर्ता द्वारा परिचालन की अनुमति दी जाती है, उन्हें परिचालक की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर नहीं माना जाता। प्रदानकर्ता परिचालक को अन्य मदें भी प्रदान कर सकता है जिन्हें परिचालक अपने पास रख सकता है अथवा जैसा चाहे उनका लेनदेन कर सकता है। यदि इस प्रकार की आस्तियां सेवा के लिए प्रदानकर्ता के द्वारा भुगतान योग्य प्रतिफल का भाग बनता है तो उन्हें भारतीय लेखा मानक 20 में यथा परिभाषित सरकारी अनुदान नहीं माना जाता। उन्हें आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के माप पर परिचालक की आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालक अपूर्ण दायित्व के संबंध में एक देयता के रूप में मान्यता देगा जिसे आस्तियों के बदले में माना गया है।

परिशिष्ट 'क' के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन

यह प्रयोग-मार्गदर्शन (प्रमा) परिशिष्ट 'क' का अभिन्न अंग है।

कार्यक्षेत्र परिशिष्ट 'क' के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन

- प्रमा1: परिशिष्ट 'क' का अनुच्छेद 5 विनिर्दिष्ट करता है कि मूलभूत संरचना परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है बशर्ते जब निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं :

- (क) प्रदानकर्ता यह नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, उन्हें ये सेवाएं अनिवार्यतया किसे प्रदान करनी चाहिए तथा किस कीमत पर करनी चाहिए, तथा
- (ख) प्रदानकर्ता व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में स्वामित्व, हितग्राही अधिकार अथवा अन्य मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के द्वारा नियंत्रित करता है।

- प्रमा2: उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्त में संदर्भित नियंत्रण अथवा विनियमन ठेके अथवा अन्य रूप से (जैसे एक विनियामक द्वारा) हो सकता है तथा इसमें वे परिस्थितियां सम्मिलित हैं जिनमें प्रदानकर्ता सभी उत्पादन खरीद लेता है तथा जिसमें कुछ अथवा सभी उत्पादन अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इस शर्त को लागू करने में, प्रदानकर्ता तथा अन्य संबंधित पक्षों पर एक साथ ही विचार किया जाएगा। यदि प्रदानकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक हित में कार्यरत कोई विनियामक इस परिशिष्ट 'क' के प्रयोजन के लिए प्रदानकर्ता से संबंधित ही माना जायगा।

- प्रमा3: उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्त के प्रयोजन के लिए प्रदानकर्ता के पास कीमत का पूर्ण नियंत्रण होने की आवश्यकता नहीं है। कीमत को प्रदानकर्ता, ठेके अथवा विनियामक कोई भी विनियमित कर सकता है, उदाहरण के लिए, जैसे कि कैपिंग तंत्र। यद्यपि, शर्त करार के सार अनुसार लागू होगी। गैर-सारवान विशेषताओं जैसे कि सीमा यानि 'कैप' का प्रयोग बहुत ही कम परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि उदाहरण के लिए एक ठेका परिचालक को कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है और जो भी अतिरिक्त लाभ होगा उसे प्रदानकर्ता को वापिस करना है, तो ऐसे में परिचालक का प्रतिफल सीमित हो जाएगा और साथ ही नियंत्रण जांच के कीमत तत्व भी पूरा हो जाता है।

- प्रमा4: उपर्युक्त 'ख' की शर्त के प्रयोजन के लिए, प्रदानकर्ता का किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित पर नियंत्रण परिचालक की बिक्री अथवा मूलभूत संरचना को गिरवी रखने की व्यावहारिक समर्थता दोनों ही सीमित हो जाती है तथा प्रदानकर्ता को व्यवस्था की अवधि में सतत उपयोग का अधिकार देता है। मूलभूत संरचना का अवशिष्ट हित मूलभूत संरचना का वह अनुमानित चालू मूल्य है मानो कि व्यवस्था की अवधि के अन्त का समय हो गया है और यह उस समय की प्रत्याशित परिस्थिति है।

- प्रमा5: नियंत्रण और प्रबन्धन दोनों अलग-अलग हैं। यदि प्रदानकर्ता परिशिष्ट 'क' के अनुच्छेद 5 (क) में वर्णित नियंत्रण की डिग्री तथा मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित दोनों को रखता है, तो परिचालक प्रदानकर्ता की तरफ से मूलभूत संरचना का प्रबन्ध ही कर रहा है, चाहे कई मामलों में इसमें कई तरह के प्रबन्धकीय स्वविवेकाधिकार हो सकते हैं।

- प्रमा6: उपर्युक्त 'क' और 'ख' दोनों की शर्तें एक साथ इस बात की पहचान करती हैं कि कब मूलभूत संरचना, किसी अपेक्षित पुर्नस्थापना सहित (देखिए परिशिष्ट 'क' का अनुच्छेद 21), समस्त आर्थिक जीवन प्रदानकर्ता द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। उदाहरणतया, यदि परिचालक को मूलभूत संरचना की एक मद का एक भाग व्यवस्था की अवधि के दौरान पुर्नस्थापित करना पड़ता है (जैसे कि सड़क की ऊपरी सतह या परत या भवन की छत) तब मूलभूत संरचना की वह मद सम्पूर्ण रूप से विचार में ली जाएगी। इस प्रकार 'ख' की शर्त पूरी मूलभूत संरचना के लिए लागू होगी और इसमें वह भाग भी सम्मिलित रहेगा जिसे पुर्नस्थापित किया जाता है।

- प्रमा7: कभी-कभी मूलभूत संरचना का प्रयोग परिशिष्ट 'क' के अनुच्छेद 5(क) में यथावर्णित तरीके से अंशतः विनियमित किया जाता है और कुछ कुछ भाग अनियमित रह जाता है। लेकिन, इस व्यवस्था के अनेक रूप हैं :-

- (क) एक मूलभूत संरचना जिसे भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है और वह स्वतंत्र रूप से परिचालित की जा सकती है और वह भारतीय लेखा मानक 36 में यथावर्णित एक नकदी-सृजक इकाई की परिभाषा को पूरा करती है, उसका विश्लेषण अलग से किया जाएगा यदि इसे पूरी तरह से अविनियमित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरणतया इसे एक अस्पताल के प्राइवेट स्कंध पर लागू किया जा सकता है जब कि पूरा अस्पताल प्रदानकर्ता द्वारा आम रोगियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- (ख) जब पूरी तरह से अनुषंगी गतिविधियां (जैसे कि अस्पताल की एक दुकान) अविनियमित होती है तो नियंत्रण जांच इस तरह से की जाती जैसे कि वे सेवाएं विद्यमान ही न हों क्योंकि ऐसे मामलों में प्रदानकर्ता इन सेवाओं को नियंत्रण ठीक वैसे करता

है जैसे कि परिशिष्ट 'क' के अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया है। अनुषंगी गतिविधियों का अस्तित्व मूलभूत संरचना के प्रदानकर्ता के नियंत्रण को कम नहीं करता।

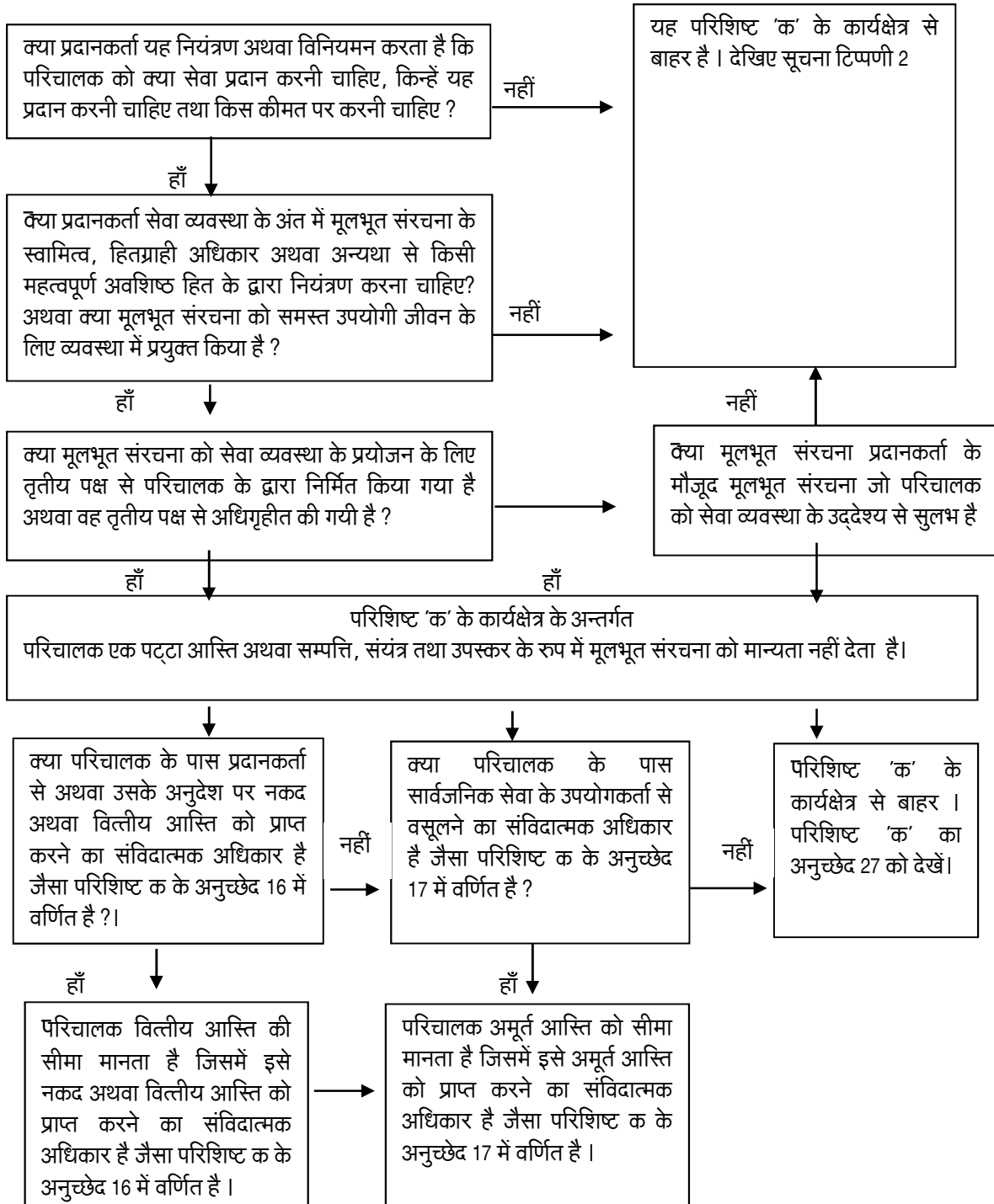
प्रमाण: एक परिचालक अनुच्छेद प्रमाण 7(क) में यथावर्णित अलग मूलभूत संरचना के प्रयोग का अधिकार रखता है। वह इस बात का भी अधिकार रखता है कि अनुच्छेद प्रमाण 7(ख) में यथावर्णित अनुषंगी अविनियमित सेवाओं को देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का प्रयोग करें। दोनों में से प्रत्येक मामले में प्रदानकर्ता की ओर से परिचालक के लिए एक पट्टा होगा जिसका लेखा भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में किया जाएगा।

सूचना टिप्पणी - 1

सार्वजनिक-से-निजी सेवा व्यवस्था के लिए लेखा ढांचा

यह टिप्पणी परिशिष्ट 'क' के साथ संलग्न है

परन्तु उसका अंग नहीं है। नीचे आरेख परिशिष्ट 'क' द्वारा स्थापित सेवा व्यवस्था के लिए लेखा का सार प्रस्तुत है।



सूचना टिप्पणी - 2

भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ जो सार्वजनिक से निजी व्यवस्था के विशिष्ट प्रकारों पर लागू होते हैं।

यह टिप्पणी परिशिष्ट 'क' का संलग्नक है परन्तु इसका अंग नहीं है।

यह सारणी सार्वजनिक क्षेत्र सेवा के प्रावधान में निजी क्षेत्र सहभागिता की व्यवस्था के विशिष्ट प्रकारों को निर्धारित करती है तथा भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ प्रदान करती है जो उन व्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। व्यवस्था प्रकारों की सूची विस्तृत नहीं है। सारणी का प्रयोजन व्यवस्था की निरन्तरता को प्रकट करना है। परिशिष्ट 'क' का यह प्रभाव देने का आशय नहीं है कि सार्वजनिक से निजी व्यवस्था की लेखा अपेक्षाओं के बीच कोई स्पष्ट रेखा विद्यमान है।

श्रेणी	पट्टाधारी	सेवा प्रदानकर्ता			स्वामी	
विशिष्ट व्यवस्था प्रकार	पट्टा (उदाहरणतया प्रदानकर्ता से परिचालक को पट्टा आस्ति)	सेवा तथा/अथवा अनुरक्षण ठेका (विशिष्ट कार्य उदाहरणतया ऋण संग्रहण)	पुनर्वास परिचालन अंतरण	निर्माण-परिचालन-अंतरण	निर्माण-स्वामित्व - परिचालन	100% विनिवेश/निजीकरण/निगम
आस्ति स्वामित्व	प्रदानकर्ता				परिचालक	
पूंजी निवेश	प्रदानकर्ता			परिचालक		
मांग जोखिम	अंशतः	प्रदानकर्ता	परिचालक तथा/अथवा प्रदानकर्ता		परिचालक	
विशिष्ट अवधि	8-20 वर्ष	1-5 वर्ष	25-30 वर्ष		अनिश्चित (अथवा लाइसेंस द्वारा सीमित हो सकती है)	
अवशिष्ट हित	प्रदानकर्ता				परिचालक	
प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 17	भारतीय लेखा मानक 18	यह परिशिष्ट 'क'		भारतीय लेखा मानक 16	

परिशिष्ट 'ख'**सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन**

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 11 का अभिन्न अंग है।

मुद्दे

1. एक प्रतिष्ठान (परिचालक) ऐसी सेवा जो जनता को प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है, प्रदान करने के लिए एक अन्य प्रतिष्ठान (प्रदानकर्ता) के साथ व्यवस्था में कर सकता है। प्रदानकर्ता एक सरकारी संस्था सहित सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान हो सकता है। सेवा रियायत व्यवस्था के उदाहरण हैं, जल उपचार तथा आपूर्ति सुविधा, मोटरवे, कार पार्क, सुरंगें, पुल, हवाई जहाज तथा दूरसंचार नेटवर्क हैं। व्यवस्था के उदाहरण सेवा रियायत व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें अपनी आंतरिक सेवाओं के परिचालन को आउटसोर्स करने के लिए एक प्रतिष्ठान सम्मिलित होता है। (इन सेवाओं के उदाहरण हैं कर्मचारी कैफेटेरिया, भवन अनुरक्षण, लेखांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्य)

2. एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रायः एक प्रदानकर्ता होता है जो परिचालक को रियायत की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रदान करता है:-
 - (क) सेवाओं को प्रदान करने का अधिकार जो जनता को आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है;
 - (ख) कुछ मामलों में, परिचालक के लिए विनिमय में विशिष्ट मूर्त आस्तियों, अमूर्त आस्तियों अथवा वित्तीय आस्तियों के उपयोग का अधिकार;
 - (ग) रियायत अवधि के दौरान कुछ शर्तों के अनुसार सेवा को प्रदान करने की प्रतिबद्धता, तथा
 - (घ) जब लागू हों, रियायत अवधि के आरंभ में प्राप्त तथा/ अथवा रियायत अवधि के दौरान अधिगृहीत अधिकार को रियायत अवधि के अंत में वापसी करने की प्रतिबद्धता
3. सभी सेवा रियायत व्यवस्था मामलों की सामान्य विशेषता यह है कि परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए अधिकार को प्राप्त करता है तथा जन सेवा प्रदान करने के दायित्व का वहन करता है।
4. मुद्दा यह है कि एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में क्या सूचना प्रकट करें।
5. कुछ सेवा रियायत व्यवस्था के मामलों में कुछ पक्षों तथा प्रकटनों का लेखा मानकों द्वारा वर्णन किया जाता है (उदाहरणतः सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 16, आस्तियों के पट्टों के लिए भारतीय लेखा मानक 17 तथा अमूर्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 38 लागू होता है। लेकिन, एक सेवा रियायत व्यवस्था में कार्य-निष्पादक ठेके व्याप्त हो सकते हैं जो लेखा मानकों से संबंधित नहीं हैं बशर्ते वे ठेके दुर्भर न हों, जिनमें भारतीय लेखा मानक 37 लागू होता है, अतः यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था के अतिरिक्त प्रकटनों का वर्णन करता है।

लेखा सिद्धांत

6. टिप्पणियों में एक सेवा रियायत व्यवस्था के सभी पहलुओं के उपयुक्त प्रकटन के निर्धारण पर विचार किया जाये। एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता प्रत्येक अवधि में निम्न को प्रकट करेगा--
 - (क) व्यवस्था का विवरण
 - (ख) व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें जो भावी नकद प्रवाहों की राशि, समय तथा निश्चितता को प्रभावित कर सकती हैं (उदाहरणतः रियायत की अवधि, पुनः कीमत की तिथियां तथा वे आधार जिन पर पुनः कीमत तथा पुनः समझौता का निर्धारण किया जाता है।
 - (ग) निम्नलिखित की प्रकृति व सीमा (जैसे मात्रा, समय-अवधि या यथोचित राशि)
 - i) विशिष्ट आस्ति के उपयोग का अधिकार
 - ii) सेवा प्रदान करने के दायित्व अथवा सेवा प्रदान करने की अवज में प्रत्याशित अधिकार
 - iii) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों के अधिग्रहण अथवा बनाने के दायित्व
 - iv) रियायत अवधि के अंत में विशिष्ट आस्तियों को प्राप्त करने के अधिकार अथवा सुपुर्द करने के दायित्व
 - v) नवीकरण तथा निरस्तीकरण के विकल्प; तथा
 - vi) अन्य अधिकार तथा दायित्व (उदाहरणतः प्रमुख ओवरहाल) की प्रकृति तथा हद
 - (घ) अवधि के दौरान व्यवस्था में होने वाले बदलाव; तथा
 - (ङ) किस प्रकार से सेवा व्यवस्था का वर्गीकरण किया जाना है।
- 6क एक परिचालक एक वित्तीय आस्ति अथवा एक अमूर्त आस्ति के लिए निर्माण सेवा के विनिमय पर अवधि में मान्य राजस्व तथा लाभ अथवा हानि की राशि को प्रकट करेगा।
7. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 6 के अनुसार, अपेक्षित प्रकटन प्रत्येक सेवा रियायत व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा सेवा रियायत व्यवस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक साथ किया जायेगा। एक श्रेणी एक जैसी प्रकृति की सेवाओं का सेवा रियायत व्यवस्था समूह है (उदाहरण के लिए महसूल का संग्रहण, दूरसंचार तथा जल उपचार सेवाएं)

परिशिष्ट 'ग'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 11 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची दे रहा है जो अन्य लेखा मानकों का भाग हैं और भारतीय लेखा मानक 11 'निर्माण ठेके' के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट 'क' - अमूर्त आस्तियां - वेबसाइट लागतें भारतीय लेखा मानक 38 'अमूर्त आस्तियां' में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन यह है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 11 और तदनुसारी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 11 'निर्माण ठेके' 'आई एफ आर आई सी' 12 'सेवा रियायत व्यवस्था' तथा एस आई सी 29 'सेवा रियायत व्यवस्था प्रकटन' के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 11 'निर्माण ठेके', 'आई एफ आर आई सी' 12 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं' और 'एस आई सी' 29 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन' के साथ तुलना।

1. 'आई एफ आर आई सी' 12 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 11 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया है, भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथम बार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं जो कि 'आई एफ आर एस' 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के अनुरूप है।
2. इस मानक में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 11 का अनुच्छेद 2 यह वर्णन करता है कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 11 इसी लेखा मानक (यानि आई ए एस 11) के पूर्ववर्ती पाठ का अधिक्रमण करता है। अतः इसे भारतीय लेखा मानक 11 से इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि यह इस लेखा मानक अर्थात् इंड ए एस 11 में यह प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 11 में अनुच्छेद संख्या 2 को इसलिए रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 11 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे।
17. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12 में, अनुच्छेद 59 में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
 "(क) रॉयल्टी अथवा लाभांश राजस्व बकाया राशियों में प्राप्त होता है तथा भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व या भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतें, जो भी प्रासंगिक हो, के अनुसार समय विभाजन के आधार पर लेखा लाभ में सम्मिलित किया जाता है, परन्तु नकदी आधार पर करयोग्य लाभ (कर हानि) में सम्मिलित किया जाता है; और"
18. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16", -
 (i) अनुच्छेद 68 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
 "68.क लेकिन, यदि प्रतिष्ठान द्वारा अपने सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत और नेमी (रुटीन) रूप में, ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों की मदों की बिक्री की जाती है जो उसने दूसरों को किराए पर देने के लिए धारित की थीं, अब उन्हें किराए पर न देकर बिक्री के लिए धारित करता है तो ऐसी आस्तियों को वह अग्रणीत मूल्य पर सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में अंतरित करेगा। ऐसी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व के अनुसरण में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। जब व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी आस्तियों को सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में अंतरित किया जाता है तो इस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 105 लागू नहीं होगा।"
- (ii) अनुच्छेद 69 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
 "69. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों की किसी मद का निपटान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है [उदाहरणतया, बिक्री द्वारा, वित्तीय पट्टे (लीज) द्वारा अथवा दान द्वारा]। एक मद के निपटान की तारीख का निर्धारण करने में एक प्रतिष्ठान वस्तुओं की बिक्री से आने वाले राजस्व को मान्यता देने के लिए भारतीय लेखा मानक 18 में दिए गए मानदंड को लागू करता है। भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री तथा वापसी पट्टे (लीज बैक) द्वारा निपटान की स्थिति में लागू होता है।"

(iii) अनुच्छेद 72 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"72. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के निपटान पर प्राप्य प्रतिफल को प्रारंभ में इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। यदि मद का भुगतान आस्थगित हो जाता है तो प्राप्त प्रतिफल को प्रारंभ में नकद मूल्य के सममूल्य पर मान्यता दी जाती है। प्रतिफल की नाममात्र (नामिनल) राशि तथा नकद मूल्य की समतुल्य राशि के बीच के अंतर की प्राप्य राशि को प्रभावी लाभ प्रदर्शित करके भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसार ब्याज-स्वरूप आय के रूप में मान्यता दी जाती है।"

(iv) परिशिष्ट ग में -

(क) अनुच्छेद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"1 परिशिष्ट 'क' सेवा रियायत व्यवस्थाएं - भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके"

(ख) अनुच्छेद 2 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"2 परिशिष्ट 'ख' सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटन - भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके"

19. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 17" में,

(i) परिशिष्ट ख में अनुच्छेद 8 में प्रारंभिक अनुच्छेद में, जो "भारतीय लेखा मानक 115" से प्रारंभ होकर "सही नहीं होगा: "पर समाप्त होता है, उसे प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"8 भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व के अनुच्छेद 20 में मानदंड प्रत्येक व्यवस्था की परिस्थितियों एवं तथ्यों के निर्धारण करने में प्रयुक्त होगी कि प्रतिष्ठान को शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय को कब मान्यता दी जाए। ऐसे कारक, जैसे कि, क्या शुल्क अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भावी कार्य-निष्पादन दायित्वों के रूप में लगातार संलग्न रहना आवश्यक है, क्या जोखिम प्रतिधारित है, यह कि, किसी गारंटी व्यवस्था की शर्त है और शुल्क के पुनर्भुगतान का कोई जोखिम है आदि सभी पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार के संकेत, जो व्यक्तिगत रूप से दर्शाते हैं कि समस्त शुल्क, जब आय के रूप में मान्य हो, यदि व्यवस्था के आरंभ में प्राप्त हो तो निम्नलिखित को उनमें शामिल करना सही नहीं होगा :- "

(ii) परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 4(ख) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ख) भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके के परिशिष्ट 'क' सेवा रियायत व्यवस्थाएं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाएं।"

(iii) परिशिष्ट घ के-

(क) अनुच्छेद 1 निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

"1 भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' सेवा रियायत व्यवस्थाएं।"

(ख) अनुच्छेद 1 निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

"2 भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट परिशिष्ट 'ख' सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटन।"

20. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 17 के पश्चात्, निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 18

राजस्व

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप दो प्रकार के अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप के अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक कार्य-पद्धति में दी गयी आय की परिभाषा, 'इक्विटी' सहभागियों के अंशदानों को छोड़कर, एक लेखा अवधि में आस्तियों के अन्तर्प्रवाह अथवा वृद्धि के रूप में अथवा देयताओं में कमी के परिणामस्वरूप 'इक्विटी' में वृद्धि होने से आर्थिक लाभों में वृद्धि के रूप में गयी है। आय में राजस्व तथा अर्जन दोनों ही सम्मिलित हैं। राजस्व वह आय है जो एक प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होती है तथा इसे बिक्री, शुल्क, ब्याज, लाभांश तथा रॉयल्टी

सहित विभिन्न नामों द्वारा संदर्भित किया जाता है। इस मानक का उद्देश्य, कुछ इस प्रकार के लेनदेनों तथा घटनाओं से उत्पन्न राजस्व के लेखा व्यवहार को निर्धारित करना है।

राजस्व के लेखा में प्राथमिक मुद्दा यह निर्धारित करना है कि राजस्व को कब मान्यता दी जाए। राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में प्रतिष्ठान में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे तथा इन लाभों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यह मानक उन परिस्थितियों की पहचान करता है जिनमें ये मानदंड पूरे किये जाएंगे तथा और, इस कारण, राजस्व को मान्यता दी जायगी। यह इन मानदंडों के प्रयोग पर भी व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

कार्य-क्षेत्र

1. यह मानक निम्नलिखित लेनदेनों तथा घटनाओं से उत्पन्न राजस्व के लेखा पर लागू होता है¹:
 - क) वस्तुओं की बिक्री;
 - ख) सेवाएं प्रदान करना; तथा
 - ग) प्रतिष्ठान की आस्तियों का अन्य के द्वारा उपयोग करने से प्राप्त ब्याज और रॉयल्टियां
- 1क यह मानक ब्याज की मान्यता पर चर्चा/ विचार करता है तथापि, निम्नलिखित पर भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों के अनुसार चर्चा (विचार) किया जाता है:
 - (क) प्रतिष्ठान को देय नकदी अथवा नकदी समतुल्य या राशियों के उपयोग के लिए ब्याज प्रभारों का माप; तथा
 - (ख) लाभांश की मान्यता एवं माप
- 1ख इस मानक से उत्पन्न होने वाली नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए किसी संविदात्मक अधिकार की क्षतिग्रस्तता पर भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतों* के अनुसार विचार किया जाएगा।
2. *
3. वस्तुओं में वे वस्तुएं सम्मिलित हैं जो प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री के प्रयोजन के लिए उत्पादित की जाती हैं तथा पुनः बिक्री के लिए क्रय की जाती हैं, जैसे कि, खुदरा व्यापारी द्वारा क्रय वाणिज्यिक वस्तुएं अथवा पुनः बिक्री के लिए धारित भूमि तथा अन्य सम्पत्ति।
4. सेवाएं प्रदान करने में विशेष रूप से एक प्रतिष्ठान द्वारा एक संविदात्मक सहमति के अनुसार एक समय अवधि में एक कार्य के निष्पादन की कुशलता व्याप्त है। सेवाएं एक एकल अवधि में अथवा एक-से अधिक अवधियों में प्रदान की जा सकती हैं। सेवाएं प्रदान करने की कुछ अनुबंधों निर्माण ठेकों से सीधे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, परियोजना प्रबन्धक तथा वास्तुविद, की सेवाओं से सम्बंधित अनुबंधों। इन अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व की इस मानक में चर्चा नहीं की जाती परन्तु उन पर भारतीय लेखा मानक 11 'निर्माण ठेके' में विनिर्दिष्ट निर्माण ठेकों की अपेक्षाएं लागू होती हैं। भारतीय लेखा मानक 11 में दी गयी निर्माण ठेके की परिभाषा में भू- सम्पदा के विकास के करार भी सम्मिलित होते हैं। तदनुसार, इन करारों से उद्भूत राजस्व की चर्चा इस मानक में नहीं की गई है।
5. प्रतिष्ठान की आस्ति का अन्य के द्वारा उपयोग निम्नलिखित रूप में राजस्व को उत्पन्न करता है:
 - क) ब्याज - नकद अथवा नकदी तुल्य के उपयोग अथवा प्रतिष्ठान को देय राशियों का प्रभार;
 - ख) रॉयल्टियां - प्रतिष्ठान की दीर्घकालीन आस्तियों के उपयोग के लिए प्रभार, उदाहरण के लिए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर; तथा
 - ग) लाभांश - 'इक्विटी' निवेशों के धारकों को उनकी पूंजी की एक विशेष श्रेणी में उनकी धारिता के अनुपात में लाभ का वितरण।
6. यह मानक निम्नलिखित से उत्पन्न राजस्व को चर्चा में सम्मिलित नहीं करता :
 - क) पट्टा करार [देखें भारतीय लेखा मानक 17 'पट्टे'];

¹ भू-संपदा विकासकर्ताओं के लिए, राजस्व का लेखा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इस विषयक दिशा-निर्देश नोट के अनुसरण में किया जायेगा।

* देखिए परिशिष्ट 1

- ख) निवेशों से उत्पन्न लाभांश जिन्हें इक्विटी विधि के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। [देखें भारतीय लेखा मानक 28 'सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश']
- ग) भारतीय लेखा मानक 104 'बीमा अनुबंध' के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बीमा अनुबंधों;
- घ) वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन अथवा उनका निपटान; [देखें भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय लिखतें']
- ङ) अन्य चालू आस्तियों के मूल्य में बदलाव
- च) कृषि गतिविधियों से संबंधित जैविक आस्तियों की आरंभिक मान्यता और उचित मूल्य में परिवर्तन [देखें भारतीय लेखा मानक 41 कृषि।
- छ) कृषि उत्पादों की आरंभिक मान्यता [देखें भारतीय लेखा मानक 41]; तथा
- ज) खनिज धातुओं का खनन।

परिभाषाएं

7. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

राजस्व एक प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों के दौरान एक अवधि में आर्थिक लाभों का सकल अन्तर्प्रवाह है, जब इन अन्तर्प्रवाहों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि होती है, लेकिन यह इक्विटी के सहभागियों के अंशदान से संबंधित वृद्धि के अतिरिक्त है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच क्रमिक लेन-देन में आस्तियों की बिक्री के लिए प्राप्त होने अथवा देयताओं के अंतरण के लिए प्रदत्त होंगे (देखें भारतीय लेखा मानक 113, उचित मूल्य माप)

8. राजस्व में प्रतिष्ठान का अपने खाते में प्राप्त अथवा प्राप्य आर्थिक लाभ का केवल सकल अन्तर्प्रवाह सम्मिलित है। तृतीय पक्ष की ओर से एकत्रित राशि, जैसे बिक्री कर, वस्तु तथा सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धन कर आर्थिक लाभ नहीं है जो प्रतिष्ठान में प्रवाहित तो होते हैं लेकिन उसकी 'इक्विटी' में वृद्धि नहीं करते हैं। इसलिए, उन्हें राजस्व से अलग रखा जाता है। इसी तरह, एक एजेंसी के संबंध में, आर्थिक लाभों के सकल अन्तर्प्रवाह में वह राशि भी सम्मिलित है जो प्रमुख (प्रिंसीपल) की ओर से संग्रहित की गयी है लेकिन वह प्रतिष्ठान की 'इक्विटी' में वृद्धि नहीं करती है। प्रमुख की ओर से संग्रहीत राशि राजस्व नहीं है। इसके बजाय, प्राप्त कमीशन राजस्व राशि है।

राजस्व का माप

9. राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जायगा।²

10. एक लेनदेन से उत्पन्न राजस्व की राशि प्रायः प्रतिष्ठान तथा आस्ति के क्रेता अथवा उपयोगकर्ता के बीच करार (समझौता) के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे प्रतिष्ठान द्वारा दी गयी किसी व्यापारिक बट्टा की राशि तथा परिमाण छूट को विचार में लेते हुए प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

11. ज्यादातर मामलों में, प्रतिफल नकद अथवा नकद तुल्य के रूप में होता है तथा राजस्व की राशि प्राप्त अथवा प्राप्य नकद अथवा नकद तुल्य के रूप में होती है। लेकिन, जब नकद अथवा नकद तुल्य के अन्तर्प्रवाह को आस्थगित किया जाता है तो प्रतिफल का उचित मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य नकदी की नाममात्र राशि से कम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वस्तुओं की बिक्री के लिए क्रेता से प्रतिफल के रूप में ब्याज-मुक्त उधार प्रदान कर सकता है अथवा बाजार ब्याज दर से कम दर पर प्राप्य नोट को स्वीकार कर सकता है। जब व्यवस्था प्रभावी रूप से एक वित्तपोषण संबंधी लेनदेन (सौदा) बनाती है, प्रतिफल के उचित मूल्य को ब्याज की आकलनीय दर का उपयोग कर सभी भावी प्राप्ति को बट्टे पर निर्धारित किया जाता है। ब्याज की आकलनीय दर निम्नलिखित में से किसी एक पर अधिक स्पष्ट निर्धारण योग्य है :

क) एक जैसी क्रेडिट रेटिंग पर जारीकर्ता की एक समान लिखत की प्रचलित दर; अथवा

ख) एक ब्याज दर जो वस्तुओं अथवा सेवाओं की चालू नकद बिक्रियों पर लिखत अंकित राशि को बट्टाकृत करती है।

प्रतिफल के उचित मूल्य तथा नाममात्र की राशि के बीच अंतर को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार ब्याज राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

² इस मानक का परिशिष्ट 'क' 'राजस्व - विज्ञापन सेवा युक्त वस्तु विनिमय लेनदेन' भी देखें।

12. जब वस्तुओं अथवा सेवाओं का ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं से विनिमय या अदला-बदली की जाती है जो एक ही तरह की प्रकृति तथा मूल्य की हैं, तो उस विनिमय को एक लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इससे कोई राजस्व सृजित नहीं होता है। यह प्रायः तेल अथवा दूध जैसी वस्तुओं के साथ होता है जहां पर आपूर्तिकर्ता एक विशेष स्थान पर समय आधारित पर मांग को पूरा करने के लिए विनिमय करता है। जब वस्तुओं को बेचा जाता है अथवा सेवाओं को प्रदान किया जाता है और इसके लिए असमान प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं का विनिमय किया जाता है तो इस विनिमय को एक लेनदेन के रूप में माना जाएगा क्योंकि इससे राजस्व सृजित होता है। राजस्व को प्राप्त वस्तु अथवा सेवा के मूल्य पर मापा जाता है जिसे हस्तांतरित किसी नकद अथवा नकद तुल्य राशि द्वारा समायोजित किया जाता है। जब प्राप्त वस्तु अथवा सेवा को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता, राजस्व को बदले में दी गयी वस्तु अथवा सेवा के उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसे हस्तांतरित किसी नकद अथवा नकद तुल्य की राशि द्वारा समायोजित किया जाता है।

लेनदेनों की पहचान

13. इस मानक के मान्यता मानदंड को प्रायः प्रत्येक लेनदेन पर पृथक रूप से लागू किया जाता है। यद्यपि, कुछ परिस्थितियों में, एक एकल लेनदेन के अलग से पहचान योग्य घटकों पर मान्यता मानदंड को लागू करना आवश्यक होता है ताकि लेनदेन के सारत्व को परिलक्षित किया जा सके। उदाहरण के लिए, जब एक उत्पाद की बिक्री कीमत में बाद में दी जाने वाली सेवा की पहचान योग्य राशि भी सम्मिलित होती है तो उस राशि को आस्थगित रखा जाता है तथा वह उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्य होती है जिसके दौरान वह सेवा दी जाती है। इसके विपरीत, मान्यता मानदंड एक साथ दो अथवा अधिक लेनदेनों पर भी लागू किया जाता है जब उसे इस तरह जोड़ा जाता है कि वाणिज्यिक प्रभाव को लेनदेनों की श्रृंखला के संदर्भ समग्र रूप के बिना समझा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वस्तुओं को बेचता है तथा उसी समय बाद की तिथि पर और उन्हीं वस्तुओं को पुनः क्रय करने के लिए एक पृथक समझौता करता है इस तरह वह यह लेनदेन के सारपूर्ण प्रभाव को नकारता है। लेकिन, इस प्रकार के मामले में, दोनों लेनदेनों पर एक साथ विचार किया जाता है।

वस्तुओं की बिक्री

14. वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता तब दी जायगी जब नीचे दी गयी सभी शर्तें पूरी होती हैं :
- प्रतिष्ठान ने क्रेता को वस्तुओं के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अन्तरित कर दिये हैं ,
 - प्रतिष्ठान सामान्य रूप से स्वामित्व की हैसियत से सम्बन्धित प्रबन्धकीय कार्य न तो बरकरार रखता है और न ही बेची गयी वस्तुओं पर कोई प्रभावी नियंत्रण रखता है ;
 - राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ;
 - यह संभावना है कि लेनदेन से सम्बन्धित आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे; और
 - लेनदेन के संबंध में खर्च की गयी अथवा खर्च की जाने वाली लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
15. यह निर्धारित करना कि एक प्रतिष्ठान ने क्रेता को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार कब हस्तांतरित किये हैं; यह सम्बन्धित लेनदेन की परिस्थितियों की जांच से ही पता चलता है। ज्यादातर मामलों में, स्वामित्व के जोखिम तथा पुरस्कार क्रेता को कब्जा देने के समय अथवा कानूनी स्वत्व के हस्तांतरण के साथ ही हो जाता है। ऐसा ज्यादातर खुदरा बिक्रियों के मामले में होता है। अन्य मामलों में, स्वामित्व का जोखिम तथा पुरस्कार का हस्तांतरण, कब्जा अथवा कानूनी स्वत्व के हस्तांतरण से भिन्न तिथि पर हो सकता है।
16. यदि प्रतिष्ठान स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम आपने पास रखता है तो लेनदेन बिक्री नहीं है तथा राजस्व को भी मान्यता नहीं दी जाती है। एक प्रतिष्ठान कई तरीकों से स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम रख सकता है। ऐसी स्थितियों के उदाहरण इस प्रकार हैं जिनमें एक प्रतिष्ठान स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अपने पास रखता है :
- जब प्रतिष्ठान सामान्य वारंटी प्रावधानों के बिना असंतोषजनक निष्पादन के लिए एक दायित्व रखता है ;
 - जब एक विशेष बिक्री से राजस्व की प्राप्ति क्रेता के द्वारा वस्तु की बिक्री से राजस्व की प्राप्ति पर आकस्मिक है ;
 - जब वस्तुओं को स्थापना के लिए भेजा जाता है तथा स्थापना का कार्य अनुबंध का महत्वपूर्ण अंग है जिसे प्रतिष्ठान द्वारा अभी पूरा किया जाना है ;
 - जब क्रेता के पास बिक्री अनुबंध के अनुसार क्रय को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा प्रतिष्ठान वापसी की संभावना के बारे में अनिश्चित है।
17. यदि प्रतिष्ठान स्वामित्व के केवल गैर महत्वपूर्ण भाग को ही रखता है तब लेनदेन को एक बिक्री माना जाता है तथा राजस्व को भी मान्यता दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता प्राप्य राशि की संग्रहणीयता की सुरक्षा के लिए वस्तुओं के कानूनी हक को रख

सकता है। इस प्रकार के मामले में, यदि प्रतिष्ठान ने स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को हस्तांतरित कर दिया है तो लेनदेन एक बिक्री मानी जाएगी है और राजस्व को मान्यता दी जाएगी। एक प्रतिष्ठान का स्वामित्व गैर महत्वपूर्ण जोखिम को रखने का एक अन्य उदाहरण खुदरा बिक्री हो सकता है। जब ग्राहक को विक्रेता द्वारा यह पेशकश की जाती है कि वह वस्तु के क्रय के बाद संतुष्ट न होने पर उसे वापस लौटा सकता है। इस प्रकार के मामले में, राजस्व को बिक्री के समय मान्यता दी जाती है बशर्ते विक्रेता विश्वसनीय रूप से भावी वापसियों का अनुमान लगाने में तथा अपने पूर्व अनुभवों तथा अन्य प्रासंगिक तत्वों के आधार पर वापसी के लिए एक दायित्व को मान्यता दे सके।

18. राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि लेनदेन के साथ जुड़े आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे। कुछ मामलों में, यह संभावना तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रतिफल प्राप्त न हो जाए अथवा अनिश्चितता दूर न हो जाए। उदाहरण के लिए, यह अनिश्चित हो सकता है कि एक सरकारी प्राधिकरण विदेश में बिक्री से प्राप्य प्रतिफल को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करे। लेकिन, जब अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो अनिश्चितता खत्म हो जाती है तथा राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेकिन, जब एक राशि को राजस्व में पहले से ही सम्मिलित किया जा चुका है लेकिन बाद में उसकी संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता हो जाती है तो ऐसे में गैर संग्रहणीय राशि तथा उस राशि जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गयी है राजस्व में समायोजित न करके जो राशि असंग्रहणीय है, उसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।
19. राजस्व तथा व्यय जो एक ही लेनदेन अथवा अन्य घटना से सम्बन्धित हैं तो उनको भी मान्यता एक साथ ही दी जाती है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर राजस्व तथा व्यय के मिलान के रूप में संदर्भित किया जाता है। वस्तुओं को भेजने (शिपमेंट) के बाद वारंटियां व अन्य लागतों सहित खर्च हुए व्यय सामान्यतया विश्वसनीय रूप से मापे जा सकते हैं बशर्ते जब राजस्व की मान्यता की अन्य शर्तें संतुष्ट पूरी होती हों। लेकिन, राजस्व को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में, जब वस्तु की बिक्री से पहले ही प्रतिफल प्राप्त हो जाता है तो उसे देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

सेवाएं प्रदान करना

20. जब सेवा प्रदान करने से संबंधित लेन-देन के परिणाम को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है तो लेनदेन से जुड़े राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर लेनदेन की पूर्णता के चरण के संदर्भ में मान्यता दी जायगी। एक लेनदेन के परिणाम को विश्वसनीय रूप से तभी अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं :
 - क) राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ;
 - ख) यह संभावना है कि लेनदेनों के साथ जुड़े आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे ;
 - ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर लेनदेन की पूर्णता के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; तथा
 - घ) लेनदेन के लिए खर्च लागत तथा लेनदेन को पूर्ण करने की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।³
21. एक लेनदेन के पूर्णता के चरण के संदर्भ में राजस्व की मान्यता के प्रायः पूर्णता की प्रतिशत विधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत, राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवा प्रदान की जाती है। इस आधार पर राजस्व की मान्यता सेवा गतिविधि की सीमा तथा अवधि के दौरान कुशलता पर उपयोगी सूचना प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक 11 भी राजस्व को इस आधार पर मान्यता देने की अपेक्षा करता है। इस मानक की अपेक्षाएं सामान्यतः राजस्व की मान्यता तथा सेवा को प्रदान करने से सम्बन्धित लेनदेन के व्यय पर लागू होती हैं।
22. राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि लेनदेनों के साथ जुड़े आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होंगे। परन्तु, जब पहले से राजस्व में सम्मिलित एक राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता हो तो गैर संग्रहणीय राशि अथवा वह राशि जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गयी हो, तो पहले से मान्य राजस्व राशि के समायोजन की बजाय एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।
23. एक प्रतिष्ठान लेनदेनों के अन्य पक्षों से निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होने के पश्चात विश्वसनीय अनुमान लगाने में सामान्यतया समर्थ होता है:
 - क) सेवा प्रदान करने और पक्षों (पार्टियों) द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवा के संबंध में प्रत्येक पक्ष (पार्टी) के प्रवर्तनीय अधिकार;
 - ख) विनिमय किये जाना वाला प्रतिफल ; तथा
 - ग) निपटान का तरीका तथा शर्तें।

³ इस मानक का परिशिष्ट 'क' - राजस्व-विज्ञापन सेवा युक्त वस्तु विनिमय लेनदेन एवं भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट 'ख' पट्टे के विधिक स्वरूप युक्त लेनदेनों के सारत्व का मूल्यांकन भी देखें।

आमतौर पर यह भी आवश्यक है कि एक प्रतिष्ठान के पास उसके प्रभावी आंतरिक वित्तीय बजटिंग तथा रिपोर्टिंग प्रणाली हो। जैसे-जैसे सेवा निष्पादित होती है, प्रतिष्ठान राजस्व के अनुमान की समीक्षा करता है और जब आवश्यक हो अनुमान को पुनरीक्षित भी करता है। इस प्रकार के पुनरीक्षण से यह संकेत नहीं मिलता कि लेनदेन के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता है।

24. एक लेनदेन की पूर्णता के चरण का निर्धारण कई विधियों से किया जा सकता है। प्रतिष्ठान उस विधि का उपयोग करता है जो निष्पादित सेवाओं को विश्वसनीय रूप से माप सकती है। लेनदेन की प्रकृति के अनुसार, विधियों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

- क) निष्पादित कार्य के सर्वेक्षण ;
- ख) एक तिथि पर निष्पादित की जाने वाली सेवा का कुल निष्पादित की जाने वाली सेवा में प्रतिशत ; अथवा
- ग) एक तिथि पर लेनदेन की कुल अनुमानित लागतों में से वहन की गयी लागतों का अनुपात। इनमें केवल वही लागतें परिलक्षित होंगी जो निष्पादित सेवा से संबंधित हैं लेकिन, जो लागतें निष्पादित की गयी सेवा या निष्पादित की जाने वाली सेवा से संबंधित हैं वे लेनदेन की कुल लागतों में अनुमानित की जाएंगी।

कार्य प्रगति भुगतान और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रायः निष्पादित सेवाओं को परिलक्षित नहीं करते हैं।

25. व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए जब सेवाओं को समय की विशेष अवधि में एक अस्थिरचित पक्ष द्वारा कई कार्यों के रूप में निष्पादित किया जाता है, तब राजस्व को उस विशेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, जब तक इस बात का साक्ष्य न हो कि कुछ अन्य विधियां पूर्णता चरण का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। जब एक विशेष कार्य किन्हीं अन्य कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्व की मान्यता को तब तक स्थगित रखा जाता है जब तक महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित नहीं हो जाता है।
26. जब सेवाएं प्रदान करने में शामिल लेनदेन के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता, राजस्व को केवल व्यय की उसी सीमा तक मान्यता दी जाएगी जो वसूली योग्य होगा।
27. लेनदेन के आरंभिक चरण के दौरान प्रायः यह ऐसा एक मामला है जब लेनदेन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी, यह संभव है कि प्रतिष्ठान लेनदेन पर खर्च हुई लागत की वसूली कर लेगा। अतः राजस्व को केवल खर्च की गयी उस सीमा तक की लागत तक ही मान्यता दी जाती है जो वसूली योग्य हो। क्योंकि, लेनदेनों के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता अतः किसी लाभ को मान्यता नहीं दी जाती।
28. जब एक लेनदेन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा इसकी यह भी संभावना नहीं है कि खर्च की गयी लागत को वसूल कर लिया जायगा, राजस्व को मान्यता नहीं दी जाती तथा खर्च की गयी लागत को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जब वे अनिश्चितताएं विद्यमान नहीं होतीं जो अनुबंध के परिणाम को विश्वसनीय रूप से अनुमानित करने से रोकती हैं तो राजस्व को अनुच्छेद 26 की बजाय अनुच्छेद 20 के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

ब्याज तथा रॉयल्टियां

29. ब्याज तथा रॉयल्टियां पैदा करने वाली प्रतिष्ठान की आस्तियों का उपयोग जब अन्य द्वारा किया जाता है और उससे राजस्व प्राप्त होता है तो उसको अनुच्छेद 30 में निर्धारित आधारों पर मान्यता दी जाएगी, जब:

- क) यह संभावना है कि लेनदेन के साथ जुड़ा आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होगा ; तथा
- ख) राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

30. राजस्व की मान्यता निम्नलिखित आधार पर की जायगी :

- क) ब्याज की मान्यता प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए की जाएगी जैसा कि भारतीय लेखा मानक 109 में निर्धारित है ; तथा
- ख) रॉयल्टियों को सम्बन्धित करार के सारत्व के अनुसार उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाएगी ;
- ग) *

31. *

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

32.

33. रॉयल्टियां सम्बन्धित करार की शर्तों के अनुसार उपार्जित होती हैं तथा उन्हें प्रायः उस आधार पर मान्यता दी जाती है जब तक करार के सारत्व को ध्यान में रख कर यह अधिक उचित लगे कि राजस्व की मान्यता किन्हीं अन्य प्रणालीगत व तर्कसंगत आधार पर की जा सकती है।

34. राजस्व को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना है कि लेनदेनों के साथ जुड़ा आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान में प्रवाहित होगा। लेकिन, पहले से ही मान्य राजस्व में वह राशि सम्मिलित है जिसकी संग्रहणीयता अनिश्चित है अथवा वह राशि जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गयी है, उसे पहले से मान्य राजस्व राशि में समायोजित करने की बजाय एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रकटन

35. एक प्रतिष्ठान यह प्रकट करेगा कि:

क) सेवाएं प्रदान करने वाले लेनदेनों की पूर्ति के चरण के निर्धारण के लिए अपनायी गयी विधियों सहित राजस्व की मान्यता के लिए अपनायी गयी लेखा नीतियां;

ख) निम्नलिखित से उत्पन्न राजस्व सहित अवधि के दौरान मान्य राजस्व की प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रेणी की राशि:

i) वस्तुओं की बिक्री;

ii) सेवाएं प्रदान करना; तथा

iii) *

iv) रॉयल्टियां

v) *

ग) राजस्व की प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रेणी में सम्मिलित वस्तुओं अथवा सेवाओं के विनिमयों से उत्पन्न राजस्व की राशि।

36. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार कोई भी आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों को प्रकट करता है। आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां वारंटी लागतों, दावों, अर्थदंडों अथवा संभावित हानियों जैसी मदों से उत्पन्न हो सकती हैं।

परिशिष्ट 'क'

राजस्व - विज्ञापन सेवा युक्त वस्तु - विनिमय लेनदेन

मुद्दे

1. एक प्रतिष्ठान (विक्रेता) अपने ग्राहक को विज्ञापन सेवा प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी ही सेवा प्राप्त करने के लिए वस्तु विनिमय लेनदेन में प्रविष्ट हो सकता है। विज्ञापन इंटरनेट अथवा पोस्टर साइट, टेलीविजन अथवा रेडियों पर प्रसारण द्वारा या जर्नलों या पत्रिकाओं में प्रकाशन द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
2. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठानों के बीच किसी नकद अथवा अन्य प्रतिफल का विनिमय नहीं किया जाता, जबकि कुछ अन्य मामले में, बराबर अथवा लगभग बराबर नकद राशियां अथवा अन्य प्रतिफल का विनिमय किया जाता है।
3. एक विक्रेता, जो अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान विज्ञापन सेवाएं प्रदान करता है, विज्ञापन का एक वस्तु विनिमय के रूप में लेनदेन करते हुए भारतीय लेखा मानक 18 के अन्तर्गत राजस्व को मान्यता देता है जब अन्य मानदंडों में विनिमय की गयी सेवाएं [भारतीय लेखा मानक 18 का अनुच्छेद 12] भिन्न हैं और राजस्व की राशि को [भारतीय लेखा मानक 18 का अनुच्छेद 20 (क) के अनुसार] विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यह परिशिष्ट केवल भिन्न विज्ञापन सेवाओं के विनिमय पर लागू होता है। एक समान विज्ञापन सेवाओं का विनिमय एक ऐसा लेनदेन नहीं है जो भारतीय लेखा मानक 18 के अन्तर्गत राजस्व का सृजित करे।

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

4. मद्दा यह है कि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत एक विक्रेता एक वस्तु विनिमय लेनदेन में प्रदान की गयी अथवा प्राप्त विज्ञापन सेवाओं के उचित मूल्य पर विश्वसनीय रूप से राजस्व को माप सकता है।

लेखांकन सिद्धांत

5. विज्ञापन सहित वस्तु विनिमय लेनदेन से राजस्व को प्राप्त विज्ञापन सेवा के उचित मूल्य पर विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता। फिर भी, एक विक्रेता वस्तु विनिमय लेनदेन में प्रदान की गयी विज्ञापन सेवा के उचित मूल्य पर राजस्व को गैर वस्तु विनिमय लेनदेन के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से माप सकता है, जिसमें:
- क) वस्तु विनिमय लेनदेन में विज्ञापन के समान विज्ञापन सम्मिलित है।
 - ख) बार - बार उत्पन्न होता है।
 - ग) जब विज्ञापन को प्रदान करने के लिए उन सभी लेनदेनों से तुलना की जाती है जो वस्तु विनिमय लेनदेनों में विज्ञापन के समान हैं, राशि तथा लेनदेनों की प्रचुर संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
 - घ) जिसमें नकद तथा/अथवा प्रतिफल का अन्य स्वरूप (उदाहरणतः विपणनयोग्य प्रतिभूतियां, गैर मौद्रिक आस्तियां तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं) और जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; तथा
 - ङ) प्रतिपक्ष में वह शामिल नहीं है जो कि वस्तु विनिमय के लेनदेन में है।

परिशिष्ट 'ख'

ग्राहक - निष्ठा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

1. प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्राहक-निष्ठा कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि वे प्रतिष्ठानों की वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय करें। जब ग्राहक वस्तु अथवा सेवा का क्रय करता है तो प्रतिष्ठान उसे ग्राहक पुरस्कार क्रेडिट (जिसे प्रायः अंक के रूप में वर्णित किया जाता है) प्रदान करता है। ग्राहक इन पुरस्कार क्रेडिटों का विमोचन निशुल्क अथवा बटटागत मूल्य पर वस्तुएं अथवा सेवाएं क्रय करके कर सकता है।
2. ये कार्यक्रम कई तरीकों से परिचालित होते हैं। ग्राहकों को पुरस्कार क्रेडिटों के विमोचन से पूर्व उन्हें एक निश्चित न्यूनतम संख्या अथवा मूल्य तक संग्रहीत करना होता है। पुरस्कार क्रेडिटों को व्यक्तिगत क्रय अथवा समूह क्रय अथवा एक निश्चित अवधि तक जुड़े ग्राहक से जोड़ा जा सकता है। प्रतिष्ठान ग्राहक निष्ठा कार्यक्रमों को स्वयं अथवा तृतीय पक्ष द्वारा परिचालित कर सकता है। पुरस्कारों में प्रतिष्ठान की अपनी वस्तुएं अथवा सेवा तथा/अथवा तृतीय पक्ष की वस्तुओं अथवा सेवाओं के दावों का अधिकार सम्मिलित होता है।

कार्यक्षेत्र

3. यह परिशिष्ट निम्नलिखित प्रकार से ग्राहक-निष्ठा पुरस्कार क्रेडिट पर लागू होता है, जैसे:
 - (क) एक प्रतिष्ठान एक बिक्री के लेनदेनों के भाग के रूप में वस्तुओं की बिक्री, सेवाएं प्रदान करने अथवा आस्ति के उपयोग के रूप में पुरस्कार क्रेडिट प्रदान करता है ; तथा
 - (ख) आगे की किन्हीं अन्य अहर्ता शर्तों को पूरा करने पर, ग्राहक भविष्य में निशुल्क अथवा बटटागत मूल्य पर वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में पुरस्कार क्रेडिटों को विमोचित कर सकता है।
 यह परिशिष्ट उस प्रतिष्ठान के लेखे की चर्चा करता है जो ग्राहकों को पुरस्कार क्रेडिट प्रदान करता है।

मुद्दे

4. इस परिशिष्ट में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाती है:
 - (क) क्या प्रतिष्ठान भविष्य में निःशुल्क अथवा बटटागत मूल्य पर वस्तुएं अथवा सेवाएं (पुरस्कार) प्रदान करने के लिए दायित्व को निम्नलिखित के द्वारा मापता है तथा मान्यता देता है:
 - (i) पुरस्कार क्रेडिट से बिक्री लेनदेन से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के कुछ भाग का आबंटन करना तथा राजस्व की मान्यता आस्थगित रखना [भारतीय लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 13 को लागू करना]; अथवा

- (ii) पुरस्कारों की आपूर्ति की अनुमानित भावी लागत का प्रावधान करना [भारतीय लेखा मानक 18 का अनुच्छेद 19 लागू करना]; तथा
- (ख) यदि प्रतिफल को पुरस्कार क्रेडिट के लिए आबंटित किया जाता है तो वह:
 - (i) कितना आबंटित किया जाएगा ;
 - (ii) राजस्व को कब मान्यता दी जाएगी ; तथा
 - (iii) जब एक तृतीय पक्ष पुरस्कार की आपूर्ति करता है तो राजस्व को किस प्रकार से मापना चाहिए ।

लेखा सिद्धांत

5. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 13 के अनुसार पुरस्कार क्रेडिट को बिक्री लेनदेन, जिस पर उन्हें प्रदान किया गया है (आरंभिक बिक्री), से पृथक रूप से पहचान योग्य भाग के रूप में, लेखांकित करेगा। आरंभिक बिक्री के संबंध में प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल को उचित मूल्य पर पुरस्कार क्रेडिट तथा बिक्री के अन्य भाग में आबंटित किया जायगा।
6. पुरस्कार क्रेडिट में आबंटित प्रतिफल को उसके उचित मूल्य पर मापा जायगा।
7. यदि प्रतिष्ठान पुरस्कार की आपूर्ति स्वयं करता है तो वह पुरस्कार क्रेडिट में आबंटित प्रतिफल को राजस्व के रूप में मान्यता देगा जब पुरस्कार क्रेडिट को विमोचित किया जाता है तथा यह पुरस्कार की आपूर्ति के दायित्व को पूरा करता है। मान्य राजस्व की राशि पुरस्कारों के विनिमय के लिए विमोचित पुरस्कार क्रेडिटों की संख्या, जो कुल संभावित विमोचन संख्या के सापेक्ष पर आधारित होगी।
8. यदि तृतीय पक्ष पुरस्कारों की आपूर्ति करता है तो प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या वह अपनी ओर से पुरस्कार क्रेडिटों के लिए आबंटित प्रतिफल को एकत्र करेगा (अर्थात् लेनदेन में प्रमुख रूप में) अथवा तृतीय पक्ष की तरफ से (अर्थात् तृतीय पक्ष के एजेंट के रूप में)।
 - (क) यदि प्रतिष्ठान तृतीय पक्ष की तरफ से प्रतिफल को एकत्रित करता है, तो यह:
 - (i) प्राप्त शुद्ध राशि अर्थात् पुरस्कार क्रेडिट में आबंटित प्रतिफल तथा पुरस्कार की आपूर्ति के लिए तृतीय पक्ष को भुगतान योग्य राशि के बीच के अंतर के रूप में राजस्व का माप करेगा;
 - (ii) वह इस शुद्ध राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देगा जब तृतीय पक्ष पुरस्कारों की आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है और ऐसा करने के लिए प्रतिफल प्राप्त करने के लिए योग्य है। ये घटनाएं तभी हो सकती हैं जब पुरस्कार दिये जाते हैं। विकल्प के रूप में, यदि ग्राहक प्रतिष्ठान या तृतीय पक्ष से पुरस्कार का दावा करने के लिए चयन कर सकता है तब ये घटनाएं तभी होंगी जब वह ग्राहक तृतीय पक्ष का चयन करता है।
 - (ख) यदि प्रतिष्ठान स्वयं के लिए प्रतिफल एकत्र कर रहा है तो वह राजस्व का माप पुरस्कार क्रेडिटों को आबंटित सकल प्रतिफल के रूप में करेगा तथा राजस्व को मान्यता देगा जब वह पुरस्कार के संबंध में अपने दायित्व को पूरा करता है।
9. यदि किसी समय, पुरस्कारों की आपूर्ति करने के दायित्व को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें उनके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल (अर्थात् रु. आरंभिक बिक्री के समय पुरस्कार क्रेडिटों को आबंटित प्रतिफल, जिसे राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है, जमा कोई आगे का प्राप्य प्रतिफल जब ग्राहक पुरस्कार क्रेडिट को विमोचित करता है) से अधिक हो जाती हैं, प्रतिष्ठान के पास दुर्भर अनुबंध हैं। भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार अधिक राशि को देयता के रूप में मान्यता दी जायगी। इस प्रकार की देयता की मान्यता के लिए आवश्यकता तब उत्पन्न होगी जब पुरस्कारों की आपूर्ति की अपेक्षित लागतें बढ़ जाती हैं, उदाहरण के लिए, जब प्रतिष्ठान पुरस्कार क्रेडिटों के बारे में, जिन्हें विमोचित किया जायगा, अपेक्षाओं को पुनरीक्षित करता है।

परिशिष्ट 'ख' के प्रयोग सम्बंधी - मार्गदर्शन

यह प्रयोग मार्गदर्शन (प्रमाद) परिशिष्ट 'ख' का एक अभिन्न अंग है।

पुरस्कार क्रेडिटों का उचित मूल्य पर माप

- प्रमाद 1. परिशिष्ट 'ख' के अनुच्छेद 6 के अनुसार, पुरस्कार क्रेडिटों को आबंटित प्रतिफल उसके उचित मूल्य के संदर्भ में मापा जाना चाहिए। यदि समरूप पुरस्कार क्रेडिटों के लिए कोई उल्लिखित बाजार मूल्य नहीं होता है तो उचित मूल्य का किसी दूसरे मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके मापा जाना चाहिए।
- प्रमाद 2. एक प्रतिष्ठान विमोचित किये जाने वाले पुरस्कार क्रेडिटों को उचित मूल्य पर मापा जा सकता है। पुरस्कार क्रेडिटों का उचित मूल्य निम्नलिखित को विचार में लेता है; जो उपयुक्त है:

- (क) जिन ग्राहकों ने एक आरंभिक बिक्री से पुरस्कार क्रेडिट अर्जित नहीं किये हैं तथा अन्यथा उन्हें बट्टा अथवा प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी ; तथा
- (ख) उन पुरस्कार क्रेडिटों का अनुपात जिनकी ग्राहकों द्वारा विमोचित करने की आशा नहीं है; तथा
- (ग) गैर-निष्पादक जोखिम ।

यदि ग्राहक विभिन्न पुरस्कारों की सीमा (रेंज) में से चयन कर सकता है तो पुरस्कार क्रेडिटों का उचित मूल्य उपलब्ध पुरस्कारों की सीमा (रेंज) के उचित मूल्य को परिलक्षित करता है जो प्रत्याशित चयनित पुरस्कार की आवृत्ति के अनुपात में भारित होगा । जिसके द्वारा प्रत्येक पुरस्कार के चयन की आशा की जाती है।

प्रमाद 3.

कुछ परिस्थितियों में, अन्य मूल्यांकन तकनीकें उपलब्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि तृतीय पक्ष पुरस्कार की आपूर्ति करता है तथा प्रतिष्ठान उस तृतीय पक्ष को दिये जाने वाले प्रत्येक पुरस्कार क्रेडिट के उचित मूल्य में उचित लाभ मार्जिन का माप कर सके। मूल्यांकन तकनीक को चुनने तथा लागू करने के लिए विवेक की आवश्यकता है ताकि वह परिशिष्ट 'ख' के अनुच्छेद 6 की अपेक्षा को पूरा कर सके तथा दी हुई परिस्थितियों में वह सर्वाधिक उपयुक्त हो ।

परिशिष्ट 'ग'

ग्राहकों से आस्तियों का हस्तांतरण

पृष्ठभूमि

1. जनोपयोगी उद्योगों में, एक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों से सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदें प्राप्त कर सकता है जिन्हें इन ग्राहकों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता तथा उन्हें विद्युत, गैस अथवा जल जैसी वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर रूप से उपलब्ध करता है। वैकल्पिक रूप से, एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की इस प्रकार की मदों के अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिए ग्राहकों से नकदी प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से, ग्राहकों को उपयोग पर आधारित वस्तुओं अथवा सेवाओं के क्रय के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता है।
2. ग्राहकों से आस्तियों का हस्तांतरण जनोपयोगी उद्योगों से भिन्न उद्योगों में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की आउटसोर्सिंग करने वाले प्रतिष्ठान आउटसोर्सिंग प्रदानकर्ता को सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की विद्यमान मदों को हस्तांतरित कर सकता है।
3. कुछ मामलों में, आस्ति का हस्तांतरणकर्ता वह प्रतिष्ठान नहीं हो सकता जिसकी अंततः वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर निरन्तर रूप से पहुँच हो तथा वह उन वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्राप्तकर्ता होगा । फिर भी, सुविधा के लिए, यह परिशिष्ट उस प्रतिष्ठान को संदर्भित करता है जो एक ग्राहक के रूप में आस्ति को हस्तांतरित करता है।

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों के हस्तांतरण के लेखांकन पर लागू होता है जब प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों से इस प्रकार के हस्तांतरण प्राप्त करते हैं ।
5. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करार वे करार हैं, जिनमें एक प्रतिष्ठान ग्राहक से सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद प्राप्त करता है जिन्हें प्रतिष्ठान उन ग्राहकों को नेटवर्क से जोड़ने अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति अथवा दोनों को निरन्तर रूप से पहुँच प्रदान करे ।
6. यह परिशिष्ट उन करारों पर भी लागू होता जिनमें एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक से नकद प्राप्त करता है जब नकद राशि को केवल सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद के निर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए ही प्रयुक्त अवश्य करता हो तथा प्रतिष्ठान को उस सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद को ग्राहक को नेटवर्क से जोड़ने के लिए अथवा ग्राहक को वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति अथवा दोनों की निरन्तर रूप से पहुँच प्रदान करे ।
7. यह परिशिष्ट उन करारों पर लागू नहीं होता जिनमें अन्तरण या तो भारतीय लेखा मानक 20 में यथापरिभाषित सरकारी अनुदान है अथवा भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट 'क' 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं' के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रयुक्त एक मूल संरचना है।

मुद्दे

8. यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करता है:

क) क्या एक आस्ति की परिभाषा पूरी होती है ?

- ख) यदि एक आस्ति की परिभाषा पूरी होती है तो किस प्रकार से आरंभिक मान्यता पर सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद का माप करना चाहिए ?
- ग) यदि सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मद को उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है तो परिणामस्वरूप क्रेडिट का लेखा कैसे किया जाए ?
- घ) प्रतिष्ठान अपने ग्राहक से नकदी का अन्तरण किस प्रकार से लेखांकित करे ?

लेखा नीतियाँ

क्या एक आस्ति की परिभाषा को पूरा किया गया है ?

9. जब एक प्रतिष्ठान ग्राहक से सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद का हस्तांतरण प्राप्त करता है तो वह निर्धारित करेगा कि क्या हस्तांतरित मद भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी *वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक कार्यपद्धति* एक आस्ति की परिभाषा को पूरा करता है। कार्यपद्धति का अनुच्छेद 49(क) यह वर्णित करता है कि 'एक आस्ति विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान द्वारा, नियंत्रित एक ऐसा संसाधन है जिससे भविष्य में प्रतिष्ठान को आर्थिक लाभ होने की आशा है।' ज्यादातर परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करता है। लेकिन, यह जरूरी नहीं कि आस्ति में स्वामित्व का अधिकार अनिवार्य नहीं है। अतः यदि ग्राहक हस्तांतरित मद पर अपना नियंत्रण जारी रखता है तो भी स्वामित्व के हस्तांतरण के बावजूद भी आस्ति की परिभाषा पूरी नहीं होती।
10. एक प्रतिष्ठान, जो एक आस्ति को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उस आस्ति को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान उस आस्ति का अन्य आस्ति के लिए विनिमय कर सकता है, इसे वस्तु अथवा सेवा को उत्पादित करने के लिए प्रयोग कर सकता है, देयता के निपटान के लिए इसे प्रयुक्त कर सकता है, अन्य को प्रयोग के लिए देकर कीमत प्राप्त कर सकता है, धारित कर सकता है अथवा इसे स्वामी को वितरित कर सकता है। जब एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक से सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद का हस्तांतरण प्राप्त करता है तो वह हस्तांतरित मद के नियंत्रण का निर्धारण करते समय सभी प्रासंगिक तथ्य तथा परिस्थिति पर विचार करेगा। उदाहरण के लिए, हालांकि एक प्रतिष्ठान को ग्राहक को एक अथवा अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद का उपयोग करना चाहिए, इसके पास यह निर्णय लेने की योग्यता भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से वह सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद को परिचालित करे, और बनाये रखे तथा कब इसका प्रतिस्थानापन्न करे। इस मामले में, प्रतिष्ठान सामान्यतः यह निष्कर्ष निकालता है कि यह सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद पर उसका नियंत्रण कायम है।

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद को आरंभिक मान्यता पर किस प्रकार से मापना चाहिए ?

11. यदि प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालता है कि एक आस्ति की परिभाषा पूरी हो गयी है तो वह इस हस्तांतरित आस्ति को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 7 के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रूप में मान्यता देगा तथा इसी मानक के अनुच्छेद 24 के अनुसरण में आरंभिक मान्यता पर इसकी लागत को इसके उचित मूल्य पर मापेगा।

क्रेडिट का किस प्रकार लेखा करना चाहिए ?

12. निम्नलिखित चर्चा यह मानती है कि सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद को प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठान ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हस्तांतरित मद को अनुच्छेद 9-11 के अनुसार माना तथा मापा जाना चाहिए।
13. भारतीय लेखा मानक 18 का अनुच्छेद 12 वर्णित करता है कि 'जब वस्तुओं अथवा सेवाओं को भिन्न प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं के साथ विनिमय में बेचा अथवा दिया जाता है तो विनिमय को एक ऐसे लेनदेन के रूप में माना जाता है जो राजस्व सृजित करता है।' इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करार की शर्तों के अनुसार, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद का हस्तांतरण भिन्न प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए एक विनिमय होगा। परिणामतया, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसरण में राजस्व को मान्यता देगा।

पृथक रूप से पहचान योग्य सेवाओं की पहचान

14. एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की हस्तांतरित मद के लिए विनिमय के रूप में एक अथवा अधिक सेवाओं को सुपुर्द करने के लिए सहमत हो सकता है, जैसे कि एक ग्राहक को नेटवर्क से जोड़ना, ग्राहक को वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति की निरन्तर पहुँच प्रदान करना। भारतीय लेखा मानक 9 के अनुच्छेद 13 के अनुसरण में, प्रतिष्ठान करार में सम्मिलित अलग से पहचान योग्य सेवा की पहचान करेगा।
15. विशेषताएं जो संकेत देती हैं कि ग्राहक को एक नेटवर्क से जोड़ना एक अलग-से पहचान योग्य सेवा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- क) एक सेवा कनेक्शन ग्राहक को दिया गया है तथा इस ग्राहक के लिए यह 'स्टैंड अलोन' मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- ख) सेवा कनेक्शन का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

16. एक विशेषता जो यह संकेत देती है कि ग्राहक को वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति की निरन्तर पहुँच को प्रदान करना एक पृथक्कीय पहचानयोग्य सेवा है, जो ग्राहक हस्तांतरण करता है तो उसे निरन्तर पहुँच प्राप्त होती है, और यह कि भविष्य में, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ही कम कीमत पर प्राप्त होगी। ये कीमत ज्यादा होती अगर सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर का हस्तांतरण न होता।
17. इसके विपरीत, एक विशेषता जो यह संकेत देती है कि ग्राहक का वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति की निरन्तर पहुँच प्रदान करने का दायित्व सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के हस्तांतरण से संबंधित करार की बजाय प्रतिष्ठान के परिचालन लाइसेंस अथवा अन्य विनियमन की शर्तों से उत्पन्न होता है जिसके अनुसार ग्राहक जो निरन्तर पहुँच या वस्तुओं या सेवाओं या फिर दोनों की वही कीमत देते हैं जो हस्तांतरण करते हैं और जो हस्तांतरण नहीं करते हैं।

राजस्व मान्यता

18. यदि केवल एक सेवा की ही पहचान की जाती है तो प्रतिष्ठान राजस्व की मान्यता तभी करेगा जब सेवा को भारतीय लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 20 के अनुसार निष्पादित किया जाता है। यदि यह सेवा निरन्तर है तो राजस्व इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 20 के अनुसार मान्य किया जाएगा।
19. यदि एक से अधिक अलग-से पहचानयोग्य सेवा की पहचान की जाती है तो भारतीय लेखा मानक 18 का अनुच्छेद 13 यह अपेक्षा करता है कि करार से प्राप्त अथवा प्राप्य कुल प्रतिफल को उचित मूल्य पर प्रत्येक सेवा के लिए आबंटित किया जाए तथा भारतीय लेखा मानक 18 की मान्यता मानदंड तब प्रत्येक सेवा पर लागू होगा।
20. यदि करार के एक भाग के रूप में निरन्तर सेवा की पहुँच की पहचान की जाती है, अवधि, जिसमें राजस्व को उस सेवा के लिए मान्यता दी जाएगी, सामान्यतः ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाती है। यदि करार अवधि को विनिर्दिष्ट नहीं करता है तो वह राजस्व की मान्यता निरन्तर सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त हस्तांतरित आस्ति के उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होगी।

ग्राहक से नकदी के हस्तांतरण का प्रतिष्ठान किस प्रकार से लेखा करेगा ?

21. जब प्रतिष्ठान एक ग्राहक से नकद का हस्तांतरण प्राप्त करता है तो वह यह निर्धारित करेगा कि क्या करार अनुच्छेद 6 के अनुसार इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। यदि ऐसा है तो प्रतिष्ठान निर्धारित करेगा क्या सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की निर्मित अथवा अधिगृहीत मद अनुच्छेद 9 तथा 10 के अनुसार एक आस्ति की परिभाषा को पूरा करती है। यदि एक आस्ति की परिभाषा पूरी होती है तो प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार लागत पर मान्यता देगा तथा ग्राहक से प्राप्त नकद राशि पर अनुच्छेद 13-20 के अनुसार राजस्व को मान्यता देगा।

परिशिष्ट 'घ'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 18 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची प्रस्तुत करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट क - सेवा रियायत व्यवस्थाएं - भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण ठेके में समाविष्ट
2. परिशिष्ट 'ख' - पट्टों के कानूनी स्वरूप में संलिप्त लेनदेनों के सार का आकलन - भारतीय लेखा मानक 17 पट्टे में समाविष्ट

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 18 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 18 राजस्व एस आई सी 31, 'राजस्व विज्ञापन सेवाओं व्याप्त वस्तु विनिमय लेन देन,' आई एफ आर आई सी 13 ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम एवं आई एफ आर आई सी 18 ग्राहकों से अन्तरित आस्तियों के बीच, यदि कोई अन्तर है, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18 राजस्व, एस आई सी 31, आई एफ आर आई सी 13 एवं आई एफ आर आई सी 18 के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18, 'एस आई सी' 13 और 'आई एफ आर आई सी' 13 के संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 18 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया 'आई एफ आर एस

- 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18 के सिद्धान्तों के आधार पर, 'आई एफ आर आई सी' 15 भूसंपदा के निर्माण के लिए करार यह निर्धारित करता है कि भूसंपदा के निर्माण को वस्तुओं की बिक्री के रूप में लिया जाए और राजस्व को तब मान्यता दी जाए जब प्रतिष्ठान ने स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम व पुरस्कार अन्तरित कर दिये हैं और वह न तो निरन्तर प्रबंधकीय संप्लिप्तता और न ही प्रभावी नियंत्रण रखता है।' आई एफ आर आई सी' 15 भारतीय लेखा मानक 18 में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसकी बजाय, एक फुट-नोट दिया गया है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि इस विषय पर दिशा-निर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुसरण किया जायेगा।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18 का अनुच्छेद 2 यह वर्णन करता है कि चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18 इस मानक (आई ए एस 18) के पूर्व पाठ का अधिक्रमण करता है अतः इसे हटा दिया गया है और अब यह भारतीय लेखा मानक 18 के लिए प्रासंगिक नहीं है। लेकिन भारतीय लेखा मानक 18 के अनुच्छेद संख्या 2 को इस आशय के साथ रहने दिया गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानकों की अनुच्छेद संख्याओं के साथ उसकी क्रमबद्धता बनी रहे।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18 में अनुच्छेद संख्या 31 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 18 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ भारतीय लेखा मानकों की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः भारतीय लेखा मानक 18 में इस अनुच्छेद संख्या (31) को रहने दिया गया है।
5. भारतीय लेखा मानक 18 में अनुच्छेद 30(ग), 32, 35ख (iii), 35ख(V) 'हटा दिए' के रूप में दिखाया गया है जो राजस्व को ब्याज तथा लाभांश के रूप में संबोधित करता है। लाभांश की मान्यता एवं माप भारतीय लेखा मानक 109 में दिया गया है जबकि ब्याज का माप भारतीय लेखा मानक 109 में दिया गया है।
6. अनुच्छेद 1क जोड़ा गया है जो बताता है कि ब्याज की मान्यता पर इस मानक में चर्चा की गई है जबकि ब्याज के माप पर भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों के अनुसार चर्चा की गई है।
7. अनुच्छेद 1ख जोड़ा गया है, जिस पर भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों के अनुसार चर्चा की जाएगी जो इस मानक से उत्पन्न नकदी अथवा दूसरी वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के किसी संविदात्मक अधिकार की क्षतिग्रस्तता को निर्धारित करता है।
21. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 19" में:-
- (i) अनुच्छेद 83 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है, नामतः:-
- "83 नियोजन पश्चात् लाभ बाध्यताओं (निधिकृत तथा अनिधिकृत दोनों), को बट्टागत करने के लिये प्रयुक्त दर, रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में सरकारी बाण्डों पर बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। कार्पोरेट बाण्डों का गहन बाजार है तो उस देश की मुद्रा में मूल्यांकित ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बाण्डों प्रतिफल पर (मार्किट ईल्ड) पर बट्टाकृत करेगी। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल (मार्किट ईल्ड) का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी बाण्डों या कार्पोरेट बाण्डों की मुद्रा और अवधि नियोजन-पश्चात् लाभ बाध्यताओं की मुद्रा तथा प्राक्कलित अवधि के अनुरूप होगी।"
- (ii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 2 निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है, नामतः:-
- "2. भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसरण में नियोजन पश्चात् लाभ बाध्यता को बट्टागत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दर सरकारी बाण्डों की बाजार आय (मार्किट ईल्ड) के संदर्भ में निश्चित की जाएगी जबकि अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 के अधीन सरकारी बाण्डों का प्रयोग उन मुद्राओं के लिए केवल तभी किया जाएगा जब उच्च गुणवत्ता कारपोरेट बाण्डों के लिए कोई गहन बाजार (डीप मार्किट) न हों। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 की इस संबंध में अपेक्षाएं भारतीय रुपये से भिन्न मुद्राओं के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ रहने दी गयी है।"
22. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 23" में, परिशिष्ट क के अनुच्छेद 2 को निम्नलिखित के अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है, नामतः:-
- "2 भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट परिशिष्ट 'क सेवा रियायत व्यवस्थाएं भी इस भारतीय लेखा मानक के लिए संदर्भ हैं।"
23. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 28" में,
- (i) अनुच्छेदों 17(घ) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है, नामतः:-
- "(घ) प्रतिष्ठान का अंतिम या मध्यवर्ती मूल प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार करता है और वे सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं और वे भारतीय लेखा मानकों के अनुसार हैं तथा जिनमें अनुषंगी

ईकाईयां समेकित हैं अथवा भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।"

(ii) अनुच्छेदों 27 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है, नामतः-

"27 एक सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम में एक समूह का अंश (शेयर) मूल प्रतिष्ठान और इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों द्वारा उस सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में धारिताओं का कुल जोड़ होता है। समूह के अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यमों में धारिताओं को इस प्रयोजन के लिए नजरअन्दाज कर दिया जाता है। जब एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम होते हैं तब इक्विटी विधि को लागू करने के लिए उस लाभ अथवा हानि, अन्य व्यापक आय तथा निवल आस्तियों को हिसाब में लिया जाता है जिन्हें सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में (सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों के लाभ अथवा हानि, अन्य व्यापक आय इसके सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों की निवल आस्तियों के अंश सहित) एक समान लेखा नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए किसी प्रकार के आवश्यक समायोजनों के बाद, मान्यता दी गयी है (देखें अनुच्छेद 35- 36क)।"

(iii) अनुच्छेदों 36 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है, नामतः-

"36 अनुच्छेद 36क में यथा वर्णित को छोड़कर, यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम एक - समान परिस्थितियों में एक-जैसे लेन-देनों के लिए अथवा एक-जैसी घटनाओं में प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा-नीतियों का प्रयोग करता है तो सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के समरूपी बनाने के लिए, तब समायोजन किये जाएंगे जब सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान द्वारा इक्विटी विधि लागू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।"

(iv) अनुच्छेद 36 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः-

"36क "अनुच्छेद 36 में की गई अपेक्षाओं के होते हुए भी, यदि एक प्रतिष्ठान में, जो स्वयं में एक निवेश प्रतिष्ठान नहीं है तथा एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में, जो एक निवेश प्रतिष्ठान है, हित रखता है तो वह प्रतिष्ठान इक्विटी प्रणाली को लागू करते समय वह निवेश प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम अनुषंगी इकाईयों में सहयोगी प्रतिष्ठान के या संयुक्त उद्यम के हितों का निवेश प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त उचित मूल्य माप बरकरार रखेगा।"

24. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 32" में,

(i) परिशिष्ट क में, अनुच्छेद दिनि 21 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"दिनि 21 एक अनुबंध जिसमें कि भौतिक आस्तियों की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी शामिल है किसी एक पक्ष (पार्टी) की वित्तीय आस्ति में तथा एक अन्य पक्ष (पार्टी) के वित्तीय दायित्व में वृद्धि नहीं करती जब तक कि कोई समरूपी भुगतान उस तिथि तक आस्थगित नहीं हो जाता जिस तिथि को भौतिक आस्तियां अंतरित की जाती हैं। ऐसा व्यापार ऋण पर माल की खरीद अथवा बिक्री के मामले में भी होता है।"

(ii) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद 1 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित जाएगा, नामतः-

"1 भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट परिशिष्ट 'क', सेवा रियायत व्यवस्थाएं।"

25. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 34" में,

(i) अनुच्छेद 5(ड) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित जाएगा, नामतः-

"5(ड) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित टिप्पणियां;"

(ii) अनुच्छेद 15 ख (ख) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित जाएगा, नामतः-

"(ख) वित्तीय आस्तियों, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों की क्षतिग्रस्तता से हानि को मान्यता तथा ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाना;"

(iii) अनुच्छेद 16क में प्रारंभिक अनुच्छेद में "जो अनुच्छेद 15-15ग" से प्रारंभ होकर "रिपोर्ट की जाएगी" पर समाप्त होता है, उसे निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित जाएगा, नामतः-

"16 क. अनुच्छेद 15-15 ग के अनुसार, महत्वपूर्ण घटनाओं और लेनदेनों को प्रकट करने के अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपने अंतरिम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में अथवा अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में कहीं भी निम्नलिखित सूचना सम्मिलित करेगा। निम्नलिखित प्रकटन या तो अंतरिम वित्तीय विवरणों में दिए जाएंगे या फिर अंतरिम वित्तीय विवरणों से प्रति-संदर्भित कर कुछ अन्य विवरणों (जैसेकि प्रबंधन पर-टिप्पणी अथवा जोखिम रिपोर्ट) में शामिल किये जाएंगे जो अंतरिम वित्तीय विवरणों के रूप में उन्हीं शर्तों पर तथा उसी समय पर वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। यदि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उन्हीं शर्तों पर और उसी समय में प्रति-संदर्भ द्वारा शामिल सूचना नहीं मिलती

है तो अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट पूरी नहीं है। यह सूचना सामान्यता एक वित्तीय वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर रिपोर्ट की जाएगी। "

(iv) अनुच्छेद 16क का लोप किया जाएगा।

26. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 36" में, अनुच्छेद 2 (ख) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ख) निर्माण ठेके से उद्भूत आस्तियां (देखें भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके तथा भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व) "

27. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 37" में,

(i) अनुच्छेद 5 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित जाएगा, नामतः-

"5 जहाँ कोई अन्य मानक किसी विशेष प्रकार के प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्ति पर चर्चा करता है तब प्रतिष्ठान इस मानक की बजाय उसी मानक को लागू करता है। उदाहरणतया, निम्नलिखित प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के प्रावधानों पर चर्चा ऐसे अन्य मानकों में की गयी है :

(क) निर्माण ठेके (देखें भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके)

(ख) आयकर (देखें भारतीय लेखा मानक 12, आयकर)

(ग) पट्टे (देखें भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे) । लेकिन, चूँकि भारतीय लेखा मानक 17 में दूध पर परिचालन पट्टों के लिए कोई विशेष अपेक्षाएँ नहीं हैं, यह मानक ऐसे मामलों पर लागू होता है ;

(घ) कर्मचारी लाभ (देखें भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ);

(ङ.) बीमा अनुबंध (देखें भारतीय लेखा मानक 104, बीमा अनुबंध)। तथापि, यह मानक एक बीमाकर्ता के प्रावधानों, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों पर तो लागू होता है, लेकिन, यह उन पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 104, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंधों के अधीन अनुबंधात्मक बाध्यताओं और अधिकारों से उत्पन्न होते हों; और

(च) एक व्यावसायिक संयोजन में एक अधिग्राहक (अधिग्रहणकर्ता) के आकस्मिक प्रतिफल (देखें भारतीय लेखा मानक 103, व्यावसायिक संयोजन) ।"

(ii) अनुच्छेद 6 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित जाएगा, नामतः-

"6 कुछ राशियाँ जिन्हें प्रावधान के रूप में माना गया है, वे राजस्व की मान्यता से संबंधित हो सकती हैं जैसे की जहाँ प्रतिष्ठान शुल्क के बदले में गारंटियाँ देता है। यह मानक राजस्व की मान्यता पर चर्चा नहीं करता है। भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व उन परिस्थितियों की पहचान करता है जिनमें राजस्व को मान्यता दी जाती है और मान्यता मानदंड के प्रयोग पर व्यावहारिक दिशा-निर्देश देता है। यह मानक भारतीय लेखा मानक 18 की अपेक्षाओं को बदलता नहीं है।"

(iii) परिशिष्ट घ के अनुच्छेद (i) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(i) भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' सेवा रियायत व्यवस्थाएं तथा परिशिष्ट 'ख' सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन ।"

(iv) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"3 'अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक' 37, में निम्नलिखित अनुच्छेदों को 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित किया गया है। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 37, की अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37, के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से इन अनुच्छेदों को भारतीय लेखा मानकों 37 में जारी रखा गया है:

(i) अनुच्छेद 1 (ख)

(ii) अनुच्छेद 4"

28. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 38" में,-

(i) अनुच्छेद 3 (क) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(क) सामान्य व्यवसाय के दौरान, किसी प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री के लिए धारित अमूर्त आस्तियाँ [देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) तथा भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके]।"

(ii) अनुच्छेद 3(झ) को लोप किया जाएगा।

(iii) अनुच्छेद 114 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"114. अमूर्त आस्ति का निपटान कई प्रकार से हो सकता है (उदाहरण के लिए, बिक्री, वित्तीय पट्टे अथवा दान द्वारा)। यदि ऐसी आस्ति के निपटान की तिथि का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने के लिए भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व में दिए गए मानदंडों को लागू करता है। भारतीय लेखा मानक 17, बिक्री तथा वापसी पट्टे द्वारा निपटान पर लागू होता है।"

(iv) अनुच्छेद 114 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"116. अमूर्त राशि का निपटान करने पर प्राप्य प्रतिफल को प्रारंभ में इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। यदि अमूर्त आस्ति के लिए भुगतान आस्थगित हो जाता है तो प्राप्त प्रतिफल को प्रारंभ में नकद मूल्य के सममूल्य मान्यता दी जाती है। प्रतिफल की नाममात्र (नामिनल) राशि तथा नकद मूल्य की सममूल्य राशि के बीच के अन्तर की प्राप्य राशि को प्रभावी राशि प्रदर्शित करके भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसार ब्याज राजस्व में मान्यता दी जाती है।"

(v) परिशिष्ट क का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"6 भारतीय लेखा मानक 38, उन अमूर्त आस्तियों पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 17 के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान बिक्री के लिए (देखें भारतीय लेखा मानक 2 तथा भारतीय लेखा मानक 11) अथवा पट्टे के लिए रखी गयी हों। तदनुसार, यह परिशिष्ट किसी अन्य प्रतिष्ठान को बेची जाने वाली वैबसाइट (अथवा वैबसाइट के सॉफ्टवेयरको) विकसित करने अथवा परिचालन पर किये गये खर्च पर लागू नहीं होता। जब कोई वैबसाइट परिचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टाकर्ता इस परिशिष्ट का प्रयोग करता है। जब कोई वैबसाइट वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टे वाली आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस परिशिष्ट को लागू करता है।"

(vi) परिशिष्ट ख में,-

(क) अनुच्छेद 1 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"1 परिशिष्ट क, सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट।"

(ख) अनुच्छेद 2 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"2 परिशिष्ट ख, सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके में समाविष्ट।"

29. मुख्य नियमों में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस)" शीर्ष के अंतर्गत, "भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए एस) 40" में,-

(i) अनुच्छेद 3 (ख) को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ख) निवेश संपत्ति से पट्टा आय की मान्यता (भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व, को भी देखें);"

(ii) अनुच्छेद 9 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(ख) तीसरी पार्टियों की ओर से निर्माण की जा रही या विकसित की जा रही संपत्ति (देखें भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण ठेके)।"

(iii) अनुच्छेद 67 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"67 एक निवेश संपत्ति का निपटान बिक्री अथवा वित्तीय पट्टे के रूप में किया जा सकता है। निवेश संपत्ति के निपटान की तिथि का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने के लिए भारतीय लेखा मानक 18 में दिए गए मानदंडों को लागू करता है। भारतीय लेखा मानक 17 उस निपटान पर लागू होता है जो वित्तीय पट्टे के रूप में, बिक्री और वापसी पट्टे (लीज बैक) द्वारा किया जाता है।"

(iv) अनुच्छेद 70 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"70 निवेश संपत्ति के निपटान पर प्राप्य प्रतिफल को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। खासकर, जब निवेश का भुगतान आस्थगित हो जाता है तो प्राप्त प्रतिफल के प्रारंभ में नकद मूल्य के सममूल्य पर मान्यता दी जाती है। प्रतिफल की नाममात्र (नामिनल) राशि तथा नकद मूल्य के सममूल्य राशि के बीच के अन्तर को भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसार प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करके ब्याज राजस्व के रूप में मान्यता दे दी जाती है।"

(v) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 7(i) को लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 01/01/2009- सी एल-वी (भाग)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

G.S.R. 365 (E).—In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(g) “Non-Banking Financial Company” means a Non-Banking Financial Company as defined in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and includes Housing Finance Companies, Merchant Banking companies, Micro Finance Companies, Mutual Benefit Companies, Venture Capital Fund Companies, Stock Broker or Sub-Broker Companies, Nidhi Companies, Chit Companies, Securitisation and Reconstruction Companies, Mortgage Guarantee Companies, Pension Fund Companies, Asset Management Companies and Core Investment Companies.’.

3. In the principal rules, in rule 4,—
(I) in sub-rule (1),—

(a) in clause (i), for the words “any company” the words “any company and its holding, subsidiary, joint venture or associate company” shall be substituted;

(b) after clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(iv) Notwithstanding the requirement of clauses (i) to (iii), Non-Banking Financial Companies (NBFCs) shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind ASs) in preparation of their financial statements and audit respectively, in the following manner, namely:—

- (a) The following NBFCs shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for accounting periods beginning on or after the 1st April, 2018, with comparatives for the periods ending on 31st March, 2018, or thereafter—

(A) NBFCs having net worth of rupees five hundred crore or more;

(B) holding, subsidiary, joint venture or associate companies of companies covered under item (A), other than those already covered under clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 4.

- (b) The following NBFCs shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for accounting periods beginning on or after the 1st April, 2019, with comparatives for the periods ending on 31st March, 2019, or thereafter—

(A) NBFCs whose equity or debt securities are listed or in the process of listing on any stock exchange in India or outside India and having net worth less than rupees five hundred crore;

(B) NBFCs, that are unlisted companies, having net worth of rupees two-hundred and fifty crore or more but less than rupees five hundred crore; and

(C) holding, subsidiary, joint venture or associate companies of companies covered under item (A) or item (B) of sub-clause (b), other than those already covered in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) or item (B) of sub-clause (a) of clause (iv).

Explanation.— For the purposes of clause (iv), if in a group of Companies, some entities apply Accounting Standards specified in the Annexure to the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and others apply accounting standards as specified in the Annexure to these rules, in such cases, for the purpose of individual financial statements, the entities should apply respective standards applicable to them. For preparation of consolidated financial statements, the following conditions are to be followed, namely:—

- (i) where an NBFC is a parent (at ultimate level or at intermediate level), and prepares consolidated financial statements as per Accounting Standards specified in the Annexure to the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, and its subsidiaries, associates and joint ventures, if covered by clause (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) has to provide the relevant financial statement data in accordance with the accounting policies followed by the parent company for consolidation purposes (until the NBFC is covered under clause (iv) of sub-rule (1));
- (ii) where a parent is a company covered under clause (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) and has an NBFC subsidiary, associate or a joint venture, the parent has to prepare Ind AS-compliant consolidated financial statements and the NBFC subsidiary, associate and a joint venture has to provide the relevant financial statement data in accordance with the accounting policies followed by the parent company for consolidation purposes (until the NBFC is covered under clause (iv) of sub-rule (1)).

(v) Notwithstanding clauses (i) to (iv), the holding, subsidiary, joint venture or associate companies of Scheduled commercial banks (excluding RRBs) would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from 1st April, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending 31st March, 2018 or thereafter.”;

(II) in sub-rule (2), for the words brackets and figure “sub-rule (1)” the words, brackets and figures “clause (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1)”, shall be substituted, wherever they occur;

(III) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) For the purposes of calculation of net worth of Non-Banking Financial Companies covered under clause (iv) of sub-rule (1), the following principles shall apply, namely:-

- (a) the net worth shall be calculated in accordance with the stand-alone financial statements of the NBFCs as on 31st March, 2016 or the first audited financial statements for accounting period which ends after that date;
- (b) for NBFCs which are not in existence on 31st March, 2016 or an existing NBFC falling first time, after 31st March, 2016, the net worth shall be calculated on the basis of the first audited stand-alone financial statements ending after that date, in respect of which it meets the thresholds.

Explanation.- For the purposes of sub-clause (b), the NBFCs meeting the specified thresholds given in sub-clause (b) of clause (iv) of sub-rule (1) for the first time at the end of an accounting year shall apply Indian Accounting Standards (Ind ASs) from the immediate next accounting year in the manner specified in sub-clause (b) of clause (iv) of sub-rule (1).

Illustration - (i) The NBFCs meeting threshold for the first time as on 31st March, 2019 shall apply Ind AS for the financial year 2019-20 onwards.

(ii) The NBFCs meeting threshold for the first time as on 31st March, 2020 shall apply Ind AS for the financial year 2020-21 onwards and so on.”;

(IV) in the *Explanation* to sub-rule (4),-

(a) after the words, figures and letters ‘the Indian Accounting Standards (Ind AS) for the accounting period beginning on 1st April, 2016’ the words, figures and letters “or 1st April, 2018, as the case may be” shall be inserted;

(b) after the words, figures and letters ‘effective for the financial year ending on 31st March, 2017’ the words, figures and letters ‘or 31st March, 2019, as the case may be’, shall be inserted;

(V) in the proviso to sub-rule (5), sub-rule (6) and sub-rule (9), the words ‘either voluntarily or mandatorily’ shall be omitted.

4. for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

“(5) The Banking Companies and Insurance Companies shall apply the Ind ASs as notified by the Reserve Bank of India (RBI) and Insurance Regulatory Development Authority (IRDA) respectively. An insurer or insurance company shall however, provide Ind AS compliant financial statement data for the purposes of preparation of consolidated financial statements by its parent or investor or venturer, as required by the parent or investor or venturer to comply with the requirements of these rules.”.

5. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)” in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 101”, -

- (i) for paragraph 30, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“30 If an entity uses fair value in its opening Ind AS Balance Sheet as *deemed cost* for an item of property, plant and equipment or an intangible asset (see paragraphs D5 and D7), the entity’s first Ind AS financial statements shall disclose, for each line item in the opening Ind AS Balance Sheet:

- (a) the aggregate of those fair values; and
- (b) the aggregate adjustment to the carrying amounts reported under previous GAAP.”;

- (ii) in Appendix D,-

- (a) in paragraph D1, for item (m), the following item shall be substituted, namely:-

“(m) financial assets or intangible assets accounted for in accordance with Appendix A to Ind AS 11 Service Concession Arrangements (paragraph D22);”;

- (b) for paragraph D7, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“D7 The elections in paragraphs D5 and D6 are also available for:

- (a) Omitted*;
- (b) intangible assets that meet:
 - (i) the recognition criteria in Ind AS 38 (including reliable measurement of original cost); and
 - (ii) the criteria in Ind AS 38 for revaluation (including the existence of an active market).

An entity shall not use these elections for other assets or for liabilities.”;

- (c) in the opening paragraph of paragraph D22, starting with ‘A first-time’ and ending with ‘Ind AS 115’ and its heading, the following heading and opening paragraph shall be substituted, namely:-

“Financial assets or intangible assets accounted for in accordance with Appendix A, Service Concession Arrangements to Ind AS 11”

D22 A first-time adopter may apply the following provisions while applying the Appendix A to Ind AS 11: ”;

- (d) Paragraphs D34, D34AA and D35 shall be omitted*;
- (e) after paragraph D35AA, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“Transfers of Assets from Customers

D36 An entity shall apply Appendix C of Ind AS 18 prospectively to transfers of assets from customers received on or after the transition date. Earlier application is permitted provided the valuations and other information needed to apply the Appendix to past transfers were obtained at the time those transfers occurred. An entity shall disclose the date from which the Appendix D of Ind AS 18 was applied.”;

- (iii) In Appendix 1,-

- (a) for paragraph 10, the following paragraph shall be substituted namely:-

“10. IFRS 9 *Financial Instruments* is effective from annual period beginning on or after January 1, 2018. As the above said standard is not yet effective consequential amendments due to this standard have not been incorporated in current version of IFRS 1. However, corresponding Ind AS 109, *Financial Instruments* has been issued with consequential amendments in other Ind ASs including Ind AS 101. Accordingly, its consequential amendments to Ind AS 109-have been incorporated in Ind AS 101.”;

- (b) after paragraph 12, following paragraphs shall be inserted namely:-

* Refer Appendix 1

* Refer Appendix 1

“13. IAS 40, *Investment Property* permits both cost model and fair value model (except in some situations) for measurement of investment properties after initial recognition. Ind AS 40, *Investment Property* permits only the cost model. As a consequence, paragraph 30 is amended and paragraph D7 (a) is deleted.

14. Paragraphs D34-D35 deal with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*. As Ind AS 115 is not yet effective, therefore, these paragraphs have not been included in this standard. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 101. ”.

6. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 103”, for paragraphs 56, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“56 After initial recognition and until the liability is settled, cancelled or expires, the acquirer shall measure a contingent liability recognised in a business combination at the higher of:

- (a) the amount that would be recognised in accordance with Ind AS 37; and
- (b) the amount initially recognised less, if appropriate, cumulative amortisation recognised in accordance with Ind AS 18, *Revenue*.

This requirement does not apply to contracts accounted for in accordance with Ind AS 109. ”.

7. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 104”,

(i) in paragraph 4, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a) product warranties issued directly by a manufacturer, dealer or retailer (see Ind AS 18, *Revenue*, and Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*). ”;

(ii) in paragraph 4, for item (c), the following item shall be substituted, namely:-

“(c) contractual rights or contractual obligations that are contingent on the future use of, or right to use, a non-financial item (for example, some licence fees, royalties, contingent lease payments and similar items), as well as a lessee’s residual value guarantee embedded in a finance lease (see Ind AS 17, *Leases*, Ind AS 18, *Revenue*, and Ind AS 38, *Intangible Assets*). ”;

(iii) in Appendix B,-

(a) in paragraph B7, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) If Ind AS 18, *Revenue* applied, the service provider would recognise revenue by reference to the stage of completion (and subject to other specified criteria). That approach is also acceptable under this Ind AS, which permits the service provider (i) to continue its existing accounting policies for these contracts unless they involve practices prohibited by paragraph 14 and (ii) to improve its accounting policies if so permitted by paragraphs 22–30.”;

(b) in paragraph B18, for item (h), the following item shall be substituted, namely:-

“(h) product warranties. Product warranties issued by another party for goods sold by a manufacturer, dealer or retailer are within the scope of this Ind AS. However, product warranties issued directly by a manufacturer, dealer or retailer are outside its scope, because they are within the scope of Ind AS 18 and Ind AS 37.”;

(c) for paragraph B21, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“B21 If the contracts described in paragraph B19 do not create financial assets or financial liabilities, Ind AS 18 applies. Under Ind AS 18, revenue associated with a transaction involving the rendering of services is recognised by reference to the stage of completion of the transaction if the outcome of the transaction can be estimated reliably.”.

8. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 105”, -

- (i) for paragraph 26 and its heading, the following paragraph and its heading shall be substituted, namely:-

“Changes to a plan of sale or to a plan of distribution to owners”

26. If an entity has classified an asset (or disposal group) as held for sale or as held for distribution to owners, but the criteria in paragraphs 7–9 (for held for sale) or in paragraph 12A (for held for distribution to owners) are no longer met, the entity shall cease to classify the asset (or disposal group) as held for sale or held for distribution to owners (respectively). In such cases an entity shall follow the guidance in paragraphs 27–29 to account for this change except when paragraph 26A applies.”;

- (ii) after paragraph 26, following paragraph shall be inserted namely:-

“26A. If an entity reclassifies an asset (or disposal group) directly from being held for sale to being held for distribution to owners, or directly from being held for distribution to owners to being held for sale, then the change in classification is considered a continuation of the original plan of disposal. The entity:

- (a) shall not follow the guidance in paragraphs 27–29 to account for this change. The entity shall apply the classification, presentation and measurement requirements in this Ind AS that are applicable to the new method of disposal.
- (b) shall measure the non-current asset (or disposal group) by following the requirements in paragraph 15 (if reclassified as held for sale) or 15A (if reclassified as held for distribution to owners) and recognise any reduction or increase in the fair value less costs to sell/costs to distribute of the non-current asset (or disposal group) by following the requirements in paragraphs 20–25.
- (c) shall not change the date of classification in accordance with paragraphs 8 and 12A. This does not preclude an extension of the period required to complete a sale or a distribution to owners if the conditions in paragraph 9 are met.”;

- (iii) for paragraph 27, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“27. The entity shall measure a non-current asset (or disposal group) that ceases to be classified as held for sale or as held for distribution to owners (or ceases to be included in a disposal group classified as held for sale or as held for distribution to owners) at the lower of:

- (a) its carrying amount before the asset (or disposal group) was classified as held for sale or as held for distribution to owners, adjusted for any depreciation, amortisation or revaluations that would have been recognised had the asset (or disposal group) not been classified as held for sale or as held for distribution to owners, and
- (b) its *recoverable amount* at the date of the subsequent decision not to sell or distribute⁵;

- (iv) for paragraph 28, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“28 The entity shall include any required adjustment to the carrying amount of a non-current asset that ceases to be classified as held for sale or as held for distribution to owners in profit or loss⁶ from continuing operations in the period in which the criteria in paragraphs 7–9 or 12A, respectively, are no longer met. Financial statements for the periods since classification as held for

⁵ If the non-current asset is part of a cash-generating unit, its recoverable amount is the carrying amount that would have been recognised after the allocation of any impairment loss arising on that cash-generating unit in accordance with Ind AS 36.

⁶ Unless the asset is property, plant and equipment or an intangible asset that had been revalued in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38 before classification as held for sale, in which case the adjustment shall be treated as a revaluation increase or decrease.

sale or as held for distribution to owners shall be amended accordingly if the disposal group or non-current asset that ceases to be classified as held for sale or as held for distribution to owners is a subsidiary, joint operation, joint venture, associate, or a portion of an interest in a joint venture or an associate. The entity shall present that adjustment in the same caption in the statement of profit and loss used to present a gain or loss, if any, recognised in accordance with paragraph 37.”;

(v) for paragraph 29, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“29 If an entity removes an individual asset or liability from a disposal group classified as held for sale, the remaining assets and liabilities of the disposal group to be sold shall continue to be measured as a group only if the group meets the criteria in paragraphs 7–9. If an entity removes an individual asset or liability from a disposal group classified as held for distribution to owners, the remaining assets and liabilities of the disposal group to be distributed shall continue to be measured as a group only if the group meets the criteria in paragraph 12A. Otherwise, the remaining non-current assets of the group that individually meet the criteria to be classified as held for sale (or as held for distribution to owners) shall be measured individually at the lower of their carrying amounts and fair values less costs to sell (or costs to distribute) at that date. Any non-current assets that do not meet the criteria for held for sale shall cease to be classified as held for sale in accordance with paragraph 26. Any non-current assets that do not meet the criteria for held for distribution to owners shall cease to be classified as held for distribution to owners in accordance with paragraph 26.”.

9. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 107”,-

(i) for paragraph 5A, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5A The credit risk disclosure requirements in paragraph 35A–35N apply to those rights that Ind AS 18, *Revenue* specifies are accounted for in accordance with Ind AS 109 for the purposes of recognising impairment gains or losses. Any reference to financial assets or financial instruments in these paragraphs shall include those rights unless otherwise specified”;

(ii) for paragraph 21, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“21 In accordance with paragraph 117 of Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, an entity discloses its significant accounting policies, comprising the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements.”;

(iii) in Appendix B, -

(a) in paragraph B5, for the opening paragraph starting with ‘Paragraph 21 requires’ and ending with ‘disclosure may include:’, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“B5 Paragraph 21 requires disclosure of the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements. For financial instruments, such disclosure may include:”;

(b) in paragraph B5, for the last paragraph starting with ‘Paragraph 122 of’ and ending with ‘in the financial statements.’ the following paragraph shall be substituted, namely:-

“Paragraph 122 of Ind AS 1 also requires entities to disclose, along with its significant accounting policies or other notes, the judgements, apart from those involving estimations, that management has made in the process of applying the entity’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.”;

(c) for paragraph B30, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“B30 An entity does not have a continuing involvement in a transferred financial asset if, as part of the transfer, it neither retains any of the contractual rights or obligations inherent in the transferred financial asset nor acquires any new contractual rights or obligations relating to the transferred financial asset. An entity does not have continuing involvement in a

transferred financial asset if it has neither an interest in the future performance of the transferred financial asset nor a responsibility under any circumstances to make payments in respect of the transferred financial asset in the future. The term ‘payment’ in this context does not include cash flows of the transferred financial asset that an entity collects and is required to remit to the transferee.”;

(d) after paragraph B30, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“B30A When an entity transfers a financial asset, the entity may retain the right to service that financial asset for a fee that is included in, for example, a servicing contract. The entity assesses the servicing contract in accordance with the guidance in paragraphs 42C and B30 to decide whether the entity has continuing involvement as a result of the servicing contract for the purposes of the disclosure requirements. For example, a servicer will have continuing involvement in the transferred financial asset for the purposes of the disclosure requirements if the servicing fee is dependent on the amount or timing of the cash flows collected from the transferred financial asset. Similarly, a servicer has continuing involvement for the purposes of the disclosure requirements if a fixed fee would not be paid in full because of non-performance of the transferred financial asset. In these examples, the servicer has an interest in the future performance of the transferred financial asset. This assessment is independent of whether the fee to be received is expected to compensate the entity adequately for performing the servicing.”;

(iv) in Appendix C, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2. Appendix A, *Service Concession Arrangements*, contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*.”.

10. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 109”,

(i) in paragraph 2.1, for item (j), the following item shall be substituted, namely:-

“(j) **rights and obligations within the scope of Ind AS 11, *Construction Contracts*, and Ind AS 18, *Revenue*, that are financial instruments, except for those that Ind AS 11 and Ind AS 18 specify are accounted for in accordance with this Standard.**”;

(ii) for paragraph 2.2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2.2 **The impairment requirements of this Standard shall be applied to those rights that Ind AS 11 and Ind AS 18 specify are accounted for in accordance with this Standard for the purposes of recognising impairment gains or losses.**”;

(iii) in paragraph 4.2.1, in item (c), for sub-item(ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(ii) **the amount initially recognised (see paragraph 5.1.1) less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS 18.**”;

(iv) in paragraph 4.2.1, in item (d), for sub-item(ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(ii) **the amount initially recognised (see paragraph 5.1.1) less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS 18.**”;

(v) for paragraph 5.1.1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5.1.1 **At initial recognition, an entity shall measure a financial asset or financial liability at its fair value plus or minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.**”;

(vi) paragraph 5.1.3 shall be omitted*,

* Refer Appendix 1

(vii) for paragraph 5.5.1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5.5.1 An entity shall recognise a loss allowance for *expected credit losses* on a financial asset that is measured in accordance with paragraphs 4.1.2 or 4.1.2A, a lease receivable, a loan commitment and a financial guarantee contract to which the impairment requirements apply in accordance with paragraphs 2.1(g), 4.2.1(c) or 4.2.1(d). ”;

(viii) for paragraph 5.5.15, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5.5.15 Despite paragraphs 5.5.3 and 5.5.5, an entity shall always measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses for:

- (a) trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 11 and Ind AS 18.**
- (b) lease receivables that result from transactions that are within the scope of Ind AS 17, if the entity chooses as its accounting policy to measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses. That accounting policy shall be applied to all lease receivables but may be applied separately to finance and operating lease receivables. ”;**

(ix) in Appendix A,-

(a) the definition of ‘contract assets’ shall be omitted.

(b) for the last paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“ The following terms are defined in paragraph 11 of Ind AS 32, Appendix A of Ind AS 107 or Appendix A of Ind AS 113 and are used in this Standard with the meanings specified in Ind AS 32, Ind AS 107 or Ind AS 113:

- (a) credit risk;¹
- (b) equity instrument;
- (c) fair value;
- (d) financial asset;
- (e) financial instrument;
- (f) financial liability .”;

(x) in Appendix B,

(a) for paragraph B2.2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“B2.2 This Standard does not change the requirements relating to royalty agreements based on the volume of sales or service revenues that are accounted for under Ind AS 18, *Revenue*. ”;

(b) in paragraph B2.5, in item (a), for sub-item(ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with Ind AS 18 (see paragraph 4.2.1(c)). ”;

(c) in paragraph B2.5, for item (c), the following item shall be substituted, namely:-

“(c) If a financial guarantee contract was issued in connection with the sale of goods, the issuer applies Ind AS 18 in determining when it recognises the revenue from the guarantee and from the sale of goods. ”;

¹This term (as defined in Ind AS107) is used in the requirements for presenting the effects of changes in credit risk on liabilities designated as at fair value through profit or loss (see paragraph 5.7.7).

(d) in paragraph B3.2.13, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a) If a guarantee provided by an entity to pay for default losses on a transferred asset prevents the transferred asset from being derecognised to the extent of the continuing involvement, the transferred asset at the date of the transfer is measured at the lower of (i) the carrying amount of the asset and (ii) the maximum amount of the consideration received in the transfer that the entity could be required to repay (‘the guarantee amount’). The associated liability is initially measured at the guarantee amount plus the fair value of the guarantee (which is normally the consideration received for the guarantee). Subsequently, the initial fair value of the guarantee is recognised in profit or loss on a time proportion basis (see Ind AS 18) and the carrying value of the asset is reduced by any loss allowance.”;

(e) for paragraph B5.4.3, the following paragraph shall be substituted namely:-

“B5.4.3 Fees that are not an integral part of the effective interest rate of a financial instrument and are accounted for in accordance with Ind AS 18 include:

- (a) fees charged for servicing a loan;
- (b) commitment fees to originate a loan when the loan commitment is not measured in accordance with paragraph 4.2.1(a) and it is unlikely that a specific lending arrangement will be entered into; and
- (c) loan syndication fees received by an entity that arranges a loan and retains no part of the loan package for itself (or retains a part at the same effective interest rate for comparable risk as other participants).”;

(xi) in Appendix E, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted namely:-

“2. Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*. ”;

(xii) in Appendix 1, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted namely:-

“3. Following paragraphs deal with Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*. As Ind AS 115 is not yet effective, these paragraphs have not been included in this standard. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, the paragraph numbers are retained in Ind AS 109:

- (i) Paragraph 5.1.3
- (ii) 5.5.15 (a)(i)
- (iii) 5.2.15(a)(ii) ”;

11. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 110”,-

(i) in paragraph 4, in item (a), for sub-item (iv), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(iv) its ultimate or any intermediate parent produces financial statements that are available for public use and comply with Ind ASs, in which subsidiaries are consolidated or are measured at fair value through profit or loss in accordance with this Ind AS. ”;

(ii) in paragraph 4, item (b), shall be omitted*;

(iii) in paragraph 4, item (c), shall be omitted*;

(iv) after paragraph 4, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“4A This Ind AS does not apply to post-employment benefit plans or other long-term employee benefit plans to which Ind AS 19, *Employee Benefits*, applies.

4B A parent that is an investment entity shall not present consolidated financial statements if it is required, in accordance with paragraph 31 of this Ind AS, to measure all of its subsidiaries at fair value through profit or loss.”;

(v) for paragraph 32, the following paragraph shall be substituted, namely:-

* Refer Appendix 1

* Refer Appendix 1

“32. Notwithstanding the requirement in paragraph 31, if an investment entity has a subsidiary that is not itself an investment entity and whose main purpose and activities are providing services that relate to the investment entity’s investment activities (see paragraphs B85C–B85E), it shall consolidate that subsidiary in accordance with paragraphs 19–26 of this Ind AS and apply the requirements of Ind AS 103 to the acquisition of any such subsidiary.”;

(vi) In Appendix B,-

(a) for paragraph B85C, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“B85C An investment entity may provide investment-related services (eg investment advisory services, investment management, investment support and administrative services), either directly or through a subsidiary, to third parties as well as to its investors, even if those activities are substantial to the entity, subject to the entity continuing to meet the definition of an investment entity.”;

(b) for paragraph B85E, the following paragraph shall be substituted namely:-

“B85E If an investment entity has a subsidiary that is not itself an investment entity and whose main purpose and activities are providing investment-related services or activities that relate to the investment entity’s investment activities, such as those described in paragraphs B85C–B85D, to the entity or other parties, it shall consolidate that subsidiary in accordance with paragraph 32. If the subsidiary that provides the investment-related services or activities is itself an investment entity, the investment entity parent shall measure that subsidiary at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 31.”;

(vii) in Appendix 1, after paragraph 3, following paragraph shall be inserted, namely:-

“4. Following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IFRS 10. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 10, the paragraph numbers are retained in Ind AS 110:

(i) Paragraph 4(b)

(ii) Paragraph 4(c)”.

12. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 112”, in paragraph 6, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) an entity’s separate financial statements to which Ind AS 27, *Separate Financial Statements*, applies. However:

- (i) if an entity has interests in unconsolidated structured entities and prepares separate financial statements as its only financial statements, it shall apply the requirements in paragraphs 24–31 when preparing those separate financial statements.
- (ii) an investment entity that prepares financial statements in which all of its subsidiaries are measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 31 of Ind AS 110 shall present the disclosures relating to investment entities required by this Ind AS.”.

13. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, Indian Accounting Standard (Ind AS) 115 shall be omitted.

14. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 1”,

(i) in paragraph 10, for following item(e), the following item shall be substituted namely:-

“(e) notes, comprising significant accounting policies and other explanatory information;”;

(ii) after paragraph 30, following paragraph shall be inserted, namely:-

“30A When applying this and other Ind ASs an entity shall decide, taking into consideration all relevant facts and circumstances, how it aggregates information in the financial statements, which include the notes. An entity shall not reduce the understandability of its financial statements by

obscuring material information with immaterial information or by aggregating material items that have different natures or functions.”;

(iii) for paragraph 31, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“31 Some Ind ASs specify information that is required to be included in the financial statements, which include the notes. An entity need not provide a specific disclosure required by an Ind AS if the information resulting from that disclosure is not material except when required by law. This is the case even if the Ind AS contains a list of specific requirements or describes them as minimum requirements. An entity shall also consider whether to provide additional disclosures when compliance with the specific requirements in Ind AS is insufficient to enable users of financial statements to understand the impact of particular transactions, other events and conditions on the entity’s financial position and financial performance.”;

(iv) for paragraph 34, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“34 Ind AS 18, *Revenue*, defines revenue and requires an entity to measure it at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the amount of any trade discounts and volume rebates the entity allows. An entity undertakes, in the course of its ordinary activities, other transactions that do not generate revenue but are incidental to the main revenue-generating activities. An entity presents the results of such transactions, when this presentation reflects the substance of the transaction or other event, by netting any income with related expenses arising on the same transaction. For example:

- (a) an entity presents gains and losses on the disposal of non-current assets, including investments and operating assets, by deducting from the proceeds on disposal the carrying amount of the asset and related selling expenses; and
- (b) an entity may net expenditure related to a provision that is recognised in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, and reimbursed under a contractual arrangement with a third party (for example, a supplier’s warranty agreement) against the related reimbursement.”;

(v) in paragraph 54, for the opening paragraph opening with ‘**As a minimum, the**’ and ending with ‘**following amounts:**’, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“54 The balance sheet shall include line items that present the following amounts:”;

(vi) for paragraph 55, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“55 An entity shall present additional line items (including by disaggregating the line items listed in paragraph 54), headings and subtotals in the balance sheet when such presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial position.”;

(vii) after paragraph 55, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“55A When an entity presents subtotals in accordance with paragraph 55, those subtotals shall:

- (a) be comprised of line items made up of amounts recognised and measured in accordance with Ind AS;
- (b) be presented and labelled in a manner that makes the line items that constitute the subtotal clear and understandable;
- (c) be consistent from period to period, in accordance with paragraph 45; and
- (d) not be displayed with more prominence than the subtotals and totals required in Ind AS for the balance sheet.”;

(viii) for paragraph 82A, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“82A The other comprehensive income section shall present line items for the amounts for the period of:

- (a) items of other comprehensive income (excluding amounts in paragraph (b)), classified by nature and grouped into those that, in accordance with other Ind ASs:**
 - (i) will not be reclassified subsequently to profit or loss; and**
 - (ii) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.**
- (b) the share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method, separated into the share of items that, in accordance with other Ind ASs:**
 - (i) will not be reclassified subsequently to profit or loss; and**
 - (ii) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.”;**

(ix) for paragraph 85, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“85 An entity shall present additional line items (including by disaggregating the line items listed in paragraph 82), headings and subtotals in the statement of profit and loss, when such presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial performance.”;

(x) after paragraph 85, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“85A When an entity presents subtotals in accordance with paragraph 85, those subtotals shall:

- (a) be comprised of line items made up of amounts recognised and measured in accordance with Ind AS;**
- (b) be presented and labelled in a manner that makes the line items that constitute the subtotal clear and understandable;**
- (c) be consistent from period to period, in accordance with paragraph 45; and**
- (d) not be displayed with more prominence than the subtotals and totals required in Ind AS for the statement of profit and loss.**

85B An entity shall present the line items in the statement of profit and loss that reconcile any subtotals presented in accordance with paragraph 85 with the subtotals or totals required in Ind AS for such statement.”;

(xi) for paragraph 113, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“113 An entity shall present notes in a systematic manner. In determining a systematic manner, the entity shall consider the effect on the understandability and comparability of its financial statements. An entity shall cross-reference each item in the balance sheet and in the statement of profit and loss, and in the statements of changes in equity and of cash flows to any related information in the notes.”;

(xii) for paragraph 114, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“114 Examples of systematic ordering or grouping of the notes include:

- (a) giving prominence to the areas of its activities that the entity considers to be most relevant to an understanding of its financial performance and financial position, such as grouping together information about particular operating activities;**
- (b) grouping together information about items measured similarly such as assets measured at fair value; or**
- (c) following the order of the line items in the statement of profit and loss and the balance sheet, such as:**
 - (i) statement of compliance with Ind ASs (see paragraph 16);**
 - (ii) significant accounting policies applied (see paragraph 117);**
 - (iii) supporting information for items presented in the balance sheet and in the statement**

of profit and loss, and in the statements of changes in equity and of cash flows, in the order in which each statement and each line item is presented; and

(iv) other disclosures, including:

- (1) contingent liabilities (see Ind AS 37) and unrecognised contractual commitments; and
- (2) non-financial disclosures, eg the entity's financial risk management objectives and policies (see Ind AS 107).'';

(xiii) paragraph 115 shall be omitted*;

(xiv) for paragraph 117, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“117 An entity shall disclose its significant accounting policies comprising:

(a) the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements; and

(b) the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements.’’;

(xv) for paragraph 119, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“119 In deciding whether a particular accounting policy should be disclosed, management considers whether disclosure would assist users in understanding how transactions, other events and conditions are reflected in reported financial performance and financial position. Each entity considers the nature of its operations and the policies that the users of its financial statements would expect to be disclosed for that type of entity. Disclosure of particular accounting policies is especially useful to users when those policies are selected from alternatives allowed in Ind ASs. An example is disclosure of a regular way purchase or sale of financial assets using either trade date accounting or settlement date accounting (see Ind AS 109, *Financial Instruments*). Some Ind ASs specifically require disclosure of particular accounting policies, including choices made by management between different policies they allow. For example, Ind AS 16 requires disclosure of the measurement bases used for classes of property, plant and equipment.’’;

(xvi) paragraph 120 shall be omitted*;

(xvii) for paragraph 122, the following shall be substituted, namely:-

“122 An entity shall disclose, along with its significant accounting policies or other notes, the judgements, apart from those involving estimations (see paragraph 125), that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.’’;

(xviii) in Appendix 1, for paragraph 6, following paragraph shall be substituted, namely:-

“6. Following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 1. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 1.

- (i) paragraph 12
- (ii) paragraphs 39-40
- (iii) paragraph 81
- (iv) paragraph 82(e)
- (v) paragraphs 82(f)-(i)
- (vi) paragraphs 83-84
- (vii) paragraph 106(c)

* Refer Appendix 1

* Refer Appendix 1

- (viii) paragraph 123(a)
 - (ix) paragraph 115
 - (x) paragraph 120”;
15. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 2”, -
- (i) in paragraph 2, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a) **work in progress arising under construction contracts, including directly related service contracts (see Ind AS 11, *Construction Contracts*);**”;
 - (ii) for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“8. Inventories encompass goods purchased and held for resale including, for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also encompass finished goods produced, or work in progress being produced, by the entity and include materials and supplies awaiting use in the production process. In the case of a service provider, inventories include the costs of the service, as described in paragraph 19, for which the entity has not yet recognised the related revenue (see Ind AS 18, *Revenue*). ”;
 - (iii) for paragraph 19, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“19. To the extent that service providers have inventories, they measure them at the costs of their production. These costs consist primarily of the labour and other costs of personnel directly engaged in providing the service, including supervisory personnel, and attributable overheads. Labour and other costs relating to sales and general administrative personnel are not included but are recognised as expenses in the period in which they are incurred. The cost of inventories of a service provider does not include profit margins or non-attributable overheads that are often factored into prices charged by service providers.”;
 - (iv) for paragraph 29, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“29. Inventories are usually written down to net realisable value item by item. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or end uses, are produced and marketed in the same geographical area, and cannot be practicably evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write inventories down on the basis of a classification of inventory, for example, finished goods, or all the inventories in a particular operating segment. Service providers generally accumulate costs in respect of each service for which a separate selling price is charged. Therefore, each such service is treated as a separate item. ”;
 - (v) for paragraph 37, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“37. Information about the carrying amounts held in different classifications of inventories and the extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common classifications of inventories are merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods. The inventories of a service provider may be described as work in progress. ”;
 - (vi) in Appendix 1, paragraph 2 shall be omitted.
16. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, after Indian Accounting Standard (Ind AS) 10, the following Indian Accounting Standard shall be inserted, namely:-

“Indian Accounting Standard (Ind AS) 11
Construction Contracts

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment of revenue and costs associated with construction contracts. Because of the nature of the activity undertaken in construction contracts, the date at which the contract activity is entered into and the date when the activity is completed usually fall into different accounting periods. Therefore, the primary issue in accounting for construction contracts is the allocation of contract revenue and contract costs to the accounting periods in which construction work is performed. This Standard uses the recognition criteria established in the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India to determine when contract revenue and contract costs should be recognised as revenue and expenses in the statement of profit and loss. It also provides practical guidance on the application of these criteria.

Scope

1. **This Standard shall be applied in accounting for construction contracts in the financial statements of contractors.**
- 1A The impairment of any contractual right to receive cash or another financial asset arising from this Standard shall be dealt in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*.
2. *

Definitions

3. **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use.

A fixed price contract is a construction contract in which the contractor agrees to a fixed contract price, or a fixed rate per unit of output, which in some cases is subject to cost escalation clauses.

A cost plus contract is a construction contract in which the contractor is reimbursed for allowable or otherwise defined costs, plus a percentage of these costs or a fixed fee.
4. A construction contract may be negotiated for the construction of a single asset such as a bridge, building, dam, pipeline, road, ship or tunnel. A construction contract may also deal with the construction of a number of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use; examples of such contracts include those for the construction of refineries and other complex pieces of plant or equipment.
5. For the purposes of this Standard, construction contracts include:
 - (a) contracts for the rendering of services which are directly related to the construction of the asset, for example, those for the services of project managers and architects; and
 - (b) contracts for the destruction or restoration of assets, and the restoration of the environment following the demolition of assets.
6. Construction contracts are formulated in a number of ways which, for the purposes of this Standard, are classified as fixed price contracts and cost plus contracts. Some construction contracts may contain characteristics of both a fixed price contract and a cost plus contract, for example in the case of a cost plus contract with an agreed maximum price. In such circumstances, a contractor needs to consider all the conditions in paragraphs 23 and 24 in order to determine when to recognise contract revenue and expenses.

Combining and segmenting construction contracts

7. The requirements of this Standard are usually applied separately to each construction contract. However, in certain circumstances, it is necessary to apply the Standard to the separately identifiable components of a single contract or to a group of contracts together in order to reflect the substance of a contract or a group of contracts.
8. **When a contract covers a number of assets, the construction of each asset shall be treated as a separate construction contract when:**
 - (a) separate proposals have been submitted for each asset;
 - (b) each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset; and
 - (c) the costs and revenues of each asset can be identified.

* Refer Appendix 1

9. **A group of contracts, whether with a single customer or with several customers, shall be treated as a single construction contract when:**
- (a) **the group of contracts is negotiated as a single package;**
 - (b) **the contracts are so closely interrelated that they are, in effect, part of a single project with an overall profit margin; and**
 - (c) **the contracts are performed concurrently or in a continuous sequence.**
10. **A contract may provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of an additional asset. The construction of the additional asset shall be treated as a separate construction contract when:**
- (a) **the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or assets covered by the original contract; or**
 - (b) **the price of the asset is negotiated without regard to the original contract price.**

Contract revenue

11. **Contract revenue shall comprise:**
- (a) **the initial amount of revenue agreed in the contract; and**
 - (b) **variations in contract work, claims and incentive payments:**
 - (i) **to the extent that it is probable that they will result in revenue; and**
 - (ii) **they are capable of being reliably measured.**
12. Contract revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. The measurement of contract revenue is affected by a variety of uncertainties that depend on the outcome of future events. The estimates often need to be revised as events occur and uncertainties are resolved. Therefore, the amount of contract revenue may increase or decrease from one period to the next. For example:
- (a) a contractor and a customer may agree variations or claims that increase or decrease contract revenue in a period subsequent to that in which the contract was initially agreed;
 - (b) the amount of revenue agreed in a fixed price contract may increase as a result of cost escalation clauses;
 - (c) the amount of contract revenue may decrease as a result of penalties arising from delays caused by the contractor in the completion of the contract; or
 - (d) when a fixed price contract involves a fixed price per unit of output, contract revenue increases as the number of units is increased.
13. A variation is an instruction by the customer for a change in the scope of the work to be performed under the contract. A variation may lead to an increase or a decrease in contract revenue. Examples of variations are changes in the specifications or design of the asset and changes in the duration of the contract. A variation is included in contract revenue when:
- (a) it is probable that the customer will approve the variation and the amount of revenue arising from the variation; and
 - (b) the amount of revenue can be reliably measured.
14. A claim is an amount that the contractor seeks to collect from the customer or another party as reimbursement for costs not included in the contract price. A claim may arise from, for example, customer caused delays, errors in specifications or design, and disputed variations in contract work. The measurement of the amounts of revenue arising from claims is subject to a high level of uncertainty and often depends on the outcome of negotiations. Therefore, claims are included in contract revenue only when:
- (a) negotiations have reached an advanced stage such that it is probable that the customer will accept the claim; and
 - (b) the amount that it is probable will be accepted by the customer can be measured reliably.
15. Incentive payments are additional amounts paid to the contractor if specified performance standards are met or exceeded. For example, a contract may allow for an incentive payment to the contractor for early completion of the contract. Incentive payments are included in contract revenue when:
- (a) the contract is sufficiently advanced that it is probable that the specified performance standards will be met or exceeded; and
 - (b) the amount of the incentive payment can be measured reliably.

Contract costs

16. Contract costs shall comprise:

- (a) costs that relate directly to the specific contract;
- (b) costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract; and
- (c) such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

17. Costs that relate directly to a specific contract include:

- (a) site labour costs, including site supervision;
- (b) costs of materials used in construction;
- (c) depreciation of plant and equipment used on the contract;
- (d) costs of moving plant, equipment and materials to and from the contract site;
- (e) costs of hiring plant and equipment;
- (f) costs of design and technical assistance that is directly related to the contract;
- (g) the estimated costs of rectification and guarantee work, including expected warranty costs; and
- (h) claims from third parties.

These costs may be reduced by any incidental income that is not included in contract revenue, for example income from the sale of surplus materials and the disposal of plant and equipment at the end of the contract.

18. Costs that may be attributable to contract activity in general and can be allocated to specific contracts include:

- (a) insurance;
- (b) costs of design and technical assistance that are not directly related to a specific contract; and
- (c) construction overheads.

Such costs are allocated using methods that are systematic and rational and are applied consistently to all costs having similar characteristics. The allocation is based on the normal level of construction activity. Construction overheads include costs such as the preparation and processing of construction personnel payroll. Costs that may be attributable to contract activity in general and can be allocated to specific contracts also include borrowing costs.

19. Costs that are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract may include some general administration costs and development costs for which reimbursement is specified in the terms of the contract.

20. Costs that cannot be attributed to contract activity or cannot be allocated to a contract are excluded from the costs of a construction contract. Such costs include:

- (a) general administration costs for which reimbursement is not specified in the contract;
- (b) selling costs;
- (c) research and development costs for which reimbursement is not specified in the contract; and
- (d) depreciation of idle plant and equipment that is not used on a particular contract.

21. Contract costs include the costs attributable to a contract for the period from the date of securing the contract to the final completion of the contract. However, costs that relate directly to a contract and are incurred in securing the contract are also included as part of the contract costs if they can be separately identified and measured reliably and it is probable that the contract will be obtained. When costs incurred in securing a contract are recognised as an expense in the period in which they are incurred, they are not included in contract costs when the contract is obtained in a subsequent period.

Recognition of contract revenue and expenses

22. When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and contract costs associated with the construction contract shall be recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period. An expected loss on the construction contract shall be recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.

23. **In the case of a fixed price contract, the outcome of a construction contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied:**
- total contract revenue can be measured reliably;**
 - it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the entity;**
 - both the contract costs to complete the contract and the stage of contract completion at the end of the reporting period can be measured reliably; and**
 - the contract costs attributable to the contract can be clearly identified and measured reliably so that actual contract costs incurred can be compared with prior estimates.**
24. **In the case of a cost plus contract, the outcome of a construction contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied:**
- it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the entity; and**
 - the contract costs attributable to the contract, whether or not specifically reimbursable, can be clearly identified and measured reliably.**
25. The recognition of revenue and expenses by reference to the stage of completion of a contract is often referred to as the percentage of completion method. Under this method, contract revenue is matched with the contract costs incurred in reaching the stage of completion, resulting in the reporting of revenue, expenses and profit which can be attributed to the proportion of work completed. This method provides useful information on the extent of contract activity and performance during a period.
26. Under the percentage of completion method, contract revenue is recognised as revenue in profit or loss in the accounting periods in which the work is performed. Contract costs are usually recognised as an expense in profit or loss in the accounting periods in which the work to which they relate is performed. However, any expected excess of total contract costs over total contract revenue for the contract is recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.
27. A contractor may have incurred contract costs that relate to future activity on the contract. Such contract costs are recognised as an asset provided it is probable that they will be recovered. Such costs represent an amount due from the customer and are often classified as contract work in progress.
28. The outcome of a construction contract can only be estimated reliably when it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the entity. However, when an uncertainty arises about the collectibility of an amount already included in contract revenue, and already recognised in profit or loss, the uncollectible amount or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognised as an expense rather than as an adjustment of the amount of contract revenue.
29. An entity is generally able to make reliable estimates after it has agreed to a contract which establishes:
- each party's enforceable rights regarding the asset to be constructed;
 - the consideration to be exchanged; and
 - the manner and terms of settlement.
- It is also usually necessary for the entity to have an effective internal financial budgeting and reporting system. The entity reviews and, when necessary, revises the estimates of contract revenue and contract costs as the contract progresses. The need for such revisions does not necessarily indicate that the outcome of the contract cannot be estimated reliably.
30. The stage of completion of a contract may be determined in a variety of ways. The entity uses the method that measures reliably the work performed. Depending on the nature of the contract, the methods may include:
- the proportion that contract costs incurred for work performed to date bear to the estimated total contract costs;
 - surveys of work performed; or
 - completion of a physical proportion of the contract work.
- Progress payments and advances received from customers often do not reflect the work performed.
31. When the stage of completion is determined by reference to the contract costs incurred to date, only those contract costs that reflect work performed are included in costs incurred to date. Examples of contract costs which are excluded are:

- (a) contract costs that relate to future activity on the contract, such as costs of materials that have been delivered to a contract site or set aside for use in a contract but not yet installed, used or applied during contract performance, unless the materials have been made specially for the contract; and
- (b) payments made to subcontractors in advance of work performed under the subcontract.

32. When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably:

- (a) revenue shall be recognised only to the extent of contract costs incurred that it is probable will be recoverable; and
- (b) contract costs shall be recognised as an expense in the period in which they are incurred.

An expected loss on the construction contract shall be recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.

33. During the early stages of a contract it is often the case that the outcome of the contract cannot be estimated reliably. Nevertheless, it may be probable that the entity will recover the contract costs incurred. Therefore, contract revenue is recognised only to the extent of costs incurred that are expected to be recoverable. As the outcome of the contract cannot be estimated reliably, no profit is recognised. However, even though the outcome of the contract cannot be estimated reliably, it may be probable that total contract costs will exceed total contract revenues. In such cases, any expected excess of total contract costs over total contract revenue for the contract is recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.
34. Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as an expense immediately. Examples of circumstances in which the recoverability of contract costs incurred may not be probable and in which contract costs may need to be recognised as an expense immediately include contracts:
- (a) that are not fully enforceable, ie their validity is seriously in question;
 - (b) the completion of which is subject to the outcome of pending litigation or legislation;
 - (c) relating to properties that are likely to be condemned or expropriated;
 - (d) where the customer is unable to meet its obligations; or
 - (e) where the contractor is unable to complete the contract or otherwise meet its obligations under the contract.
35. **When the uncertainties that prevented the outcome of the contract being estimated reliably no longer exist, revenue and expenses associated with the construction contract shall be recognised in accordance with paragraph 22 rather than in accordance with paragraph 32.**

Recognition of expected losses

36. **When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognised as an expense immediately.**
37. The amount of such a loss is determined irrespective of:
- (a) whether work has commenced on the contract;
 - (b) the stage of completion of contract activity; or
 - (c) the amount of profits expected to arise on other contracts which are not treated as a single construction contract in accordance with paragraph 9.

Changes in estimates

38. The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period to the current estimates of contract revenue and contract costs. Therefore, the effect of a change in the estimate of contract revenue or contract costs, or the effect of a change in the estimate of the outcome of a contract, is accounted for as a change in accounting estimate (see Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*). The changed estimates are used in the determination of the amount of revenue and expenses recognised in profit or loss in the period in which the change is made and in subsequent periods.

Disclosure

39. **An entity shall disclose:**
- (a) the amount of contract revenue recognised as revenue in the period;
 - (b) the methods used to determine the contract revenue recognised in the period; and
 - (c) the methods used to determine the stage of completion of contracts in progress.
40. **An entity shall disclose each of the following for contracts in progress at the end of the reporting period:**

- (a) the aggregate amount of costs incurred and recognised profits (less recognised losses) to date;
 - (b) the amount of advances received; and
 - (c) the amount of retentions.
41. Retentions are amounts of progress billings that are not paid until the satisfaction of conditions specified in the contract for the payment of such amounts or until defects have been rectified. Progress billings are amounts billed for work performed on a contract whether or not they have been paid by the customer. Advances are amounts received by the contractor before the related work is performed.
42. **An entity shall present:**
- (a) the gross amount due from customers for contract work as an asset; and
 - (b) the gross amount due to customers for contract work as a liability.
43. The gross amount due from customers for contract work is the net amount of:
- (a) costs incurred plus recognised profits; less
 - (b) the sum of recognised losses and progress billings
- for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings.
44. The gross amount due to customers for contract work is the net amount of:
- (a) costs incurred plus recognised profits; less
 - (b) the sum of recognised losses and progress billings
- for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses).
45. An entity discloses any contingent liabilities and contingent assets in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Contingent liabilities and contingent assets may arise from such items as warranty costs, claims, penalties or possible losses.

Appendix A

Service Concession Arrangements

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS)

Background

- 1 Infrastructure for public services—such as roads, bridges, tunnels, prisons, hospitals, airports, water distribution facilities, energy supply and telecommunication networks—has traditionally been constructed, operated and maintained by the public sector and financed through public budget appropriation.
- 2 In recent times, governments have introduced contractual service arrangements to attract private sector participation in the development, financing, operation and maintenance of such infrastructure. The infrastructure may already exist, or may be constructed during the period of the service arrangement. An arrangement within the scope of this Appendix typically involves a private sector entity (an operator) constructing the infrastructure used to provide the public service or upgrading it (for example, by increasing its capacity) and operating and maintaining that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for its services over the period of the arrangement. The arrangement is governed by a contract that sets out performance standards, mechanisms for adjusting prices, and arrangements for arbitrating disputes. Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’ service concession arrangement.
- 3 A feature of these service arrangements is the public service nature of the obligation undertaken by the operator. Public policy is for the services related to the infrastructure to be provided to the public, irrespective of the identity of the party that operates the services. The service arrangement contractually obliges the operator to provide the services to the public on behalf of the public sector entity. Other common features are:
 - (a) the party that grants the service arrangement (the grantor) is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.
 - (b) the operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.
 - (c) the contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.
 - (d) the operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration, irrespective of which party initially financed it.

Scope

- 4 This Appendix gives guidance on the accounting by operators for public-to-private service concession arrangements
- 5 This Appendix applies to public-to-private service concession arrangements if:
 - (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price; and
 - (b) the grantor controls—through ownership, beneficial entitlement or otherwise—any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.
6. Infrastructure used in a public-to-private service concession arrangement for its entire useful life (whole of life assets) is within the scope of this Appendix if the conditions in paragraph 5(a) of this Appendix are met. Paragraphs AG1–AG8 of the Application Guidance of this Appendix provide guidance on determining whether, and to what extent, public-to-private service concession arrangements are within the scope of this Appendix.
- 7 This Appendix applies to both:
 - (a) infrastructure that the operator constructs or acquires from a third party for the purpose of the service arrangement; and
 - (b) existing infrastructure to which the grantor gives the operator access for the purpose of the service arrangement.
- 8 This Appendix does not specify the accounting for infrastructure that was held and recognised as property, plant and equipment by the operator before entering the service arrangement. The derecognition requirements of Indian Accounting Standards (as set out in Ind AS 16) apply to such infrastructure.
- 9 This Appendix does not specify the accounting by grantors.

Issues

- 10 This Appendix sets out general principles on recognising and measuring the obligations and related rights in service concession arrangements. Requirements for disclosing information about service concession arrangements are in Appendix B to this Indian Accounting Standard. The issues addressed in this Appendix are:
 - (a) treatment of the operator's rights over the infrastructure;
 - (b) recognition and measurement of arrangement consideration;
 - (c) construction or upgrade services;
 - (d) operation services;
 - (e) borrowing costs;
 - (f) subsequent accounting treatment of a financial asset and an intangible asset; and
 - (g) items provided to the operator by the grantor.

Accounting Principles

Treatment of the operator's rights over the infrastructure

- 11 Infrastructure within the scope of this Appendix shall not be recognised as property, plant and equipment of the operator because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

Recognition and measurement of arrangement consideration

- 12 Under the terms of contractual arrangements within the scope of this Appendix, the operator acts as a service provider. The operator constructs or upgrades infrastructure (construction or upgrade services) used to provide a public service and operates and maintains that infrastructure (operation services) for a specified period of time.
- 13 The operator shall recognise and measure revenue in accordance with Ind AS 11 and Ind AS 18 for the services it performs. If the operator performs more than one service (ie construction or upgrade services and operation services) under a single contract or arrangement, consideration received or receivable shall be allocated by reference to the relative fair values of the services delivered, when the amounts are separately identifiable. The nature of the consideration determines its subsequent accounting treatment. The subsequent accounting for consideration received as a financial asset and as an intangible asset is detailed in paragraphs 23–26 below.

Construction or upgrade services

- 14 The operator shall account for revenue and costs relating to construction or upgrade services in accordance with this standard.

Consideration given by the grantor to the operator

- 15 If the operator provides construction or upgrade services the consideration received or receivable by the operator shall be recognized at its fair value. The consideration may be rights to:
 - (a) a financial asset, or
 - (b) an intangible asset.

- 16 The operator shall recognise a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the direction of the grantor for the construction services; the grantor has little, if any, discretion to avoid payment, usually because the agreement is enforceable by law. The operator has an unconditional right to receive cash if the grantor contractually guarantees to pay the operator (a) specified or determinable amounts or (b) the shortfall, if any, between amounts received from users of the public service and specified or determinable amounts, even if payment is contingent on the operator ensuring that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements.
- 17 The operator shall recognise an intangible asset to the extent that it receives a right (a licence) to charge users of the public service. A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash because the amounts are contingent on the extent that the public uses the service.
- 18 If the operator is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset it is necessary to account separately for each component of the operator's consideration. The consideration received or receivable for both components shall be recognised initially at the fair value of the consideration received or receivable.
- 19 The nature of the consideration given by the grantor to the operator shall be determined by reference to the contract terms and, when it exists, relevant contract law.

Operation services

- 20 The operator shall account for revenue and costs relating to operation services in accordance with Ind AS 18.

Contractual obligations to restore the infrastructure to a specified level of serviceability

- 21 The operator may have contractual obligations it must fulfil as a condition of its licence (a) to maintain the infrastructure to a specified level of serviceability or (b) to restore the infrastructure to a specified condition before it is handed over to the grantor at the end of the service arrangement. These contractual obligations to maintain or restore infrastructure, except for any upgrade element (see paragraph 14 of this Appendix), shall be recognised and measured in accordance with Ind AS 37, ie at the best estimate of the expenditure that would be required to settle the present obligation at the end of the reporting period.

Borrowing costs incurred by the operator

- 22 In accordance with Ind AS 23, borrowing costs attributable to the arrangement shall be recognised as an expense in the period in which they are incurred unless the operator has a contractual right to receive an intangible asset (a right to charge users of the public service). In this case borrowing costs attributable to the arrangement shall be capitalised during the construction phase of the arrangement in accordance with that Standard.

Financial asset

- 23 Ind AS 32, Ind AS 107 and Ind AS 109 apply to the financial asset recognised under paragraphs 16 and 18 of this Appendix.
- 24 The amount due from or at the direction of the grantor is accounted for in accordance with Ind AS 109 at:
 - (a) amortised cost;
 - (b) fair value through other comprehensive income; or
 - (c) fair value through profit or loss.
- 25 If the amount due from the grantor is measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income, Ind AS 109 requires interest calculated using the effective interest method to be recognised in profit or loss.

Intangible asset

- 26 Ind AS 38 applies to the intangible asset recognised in accordance with paragraphs 17 and 18 of this Appendix. Paragraphs 45–47 of Ind AS 38 provide guidance on measuring intangible assets acquired in exchange for a non-monetary asset or assets or a combination of monetary and non-monetary assets.

Items provided to the operator by the grantor

- 27 In accordance with paragraph 11, infrastructure items to which the operator is given access by the grantor for the purposes of the service arrangement are not recognised as property, plant and equipment of the operator. The grantor may also provide other items to the operator that the operator can keep or deal with as it wishes. If such assets form part of the consideration payable by the grantor for the services, they are not government grants as defined in Ind AS 20. They are recognised as assets of the operator, measured at fair value on initial recognition. The operator shall recognise a liability in respect of unfulfilled obligations it has assumed in exchange for the assets.

Application Guidance on Appendix A

This Application Guidance is an integral part of Appendix A

Scope (paragraph 5 of Appendix A)

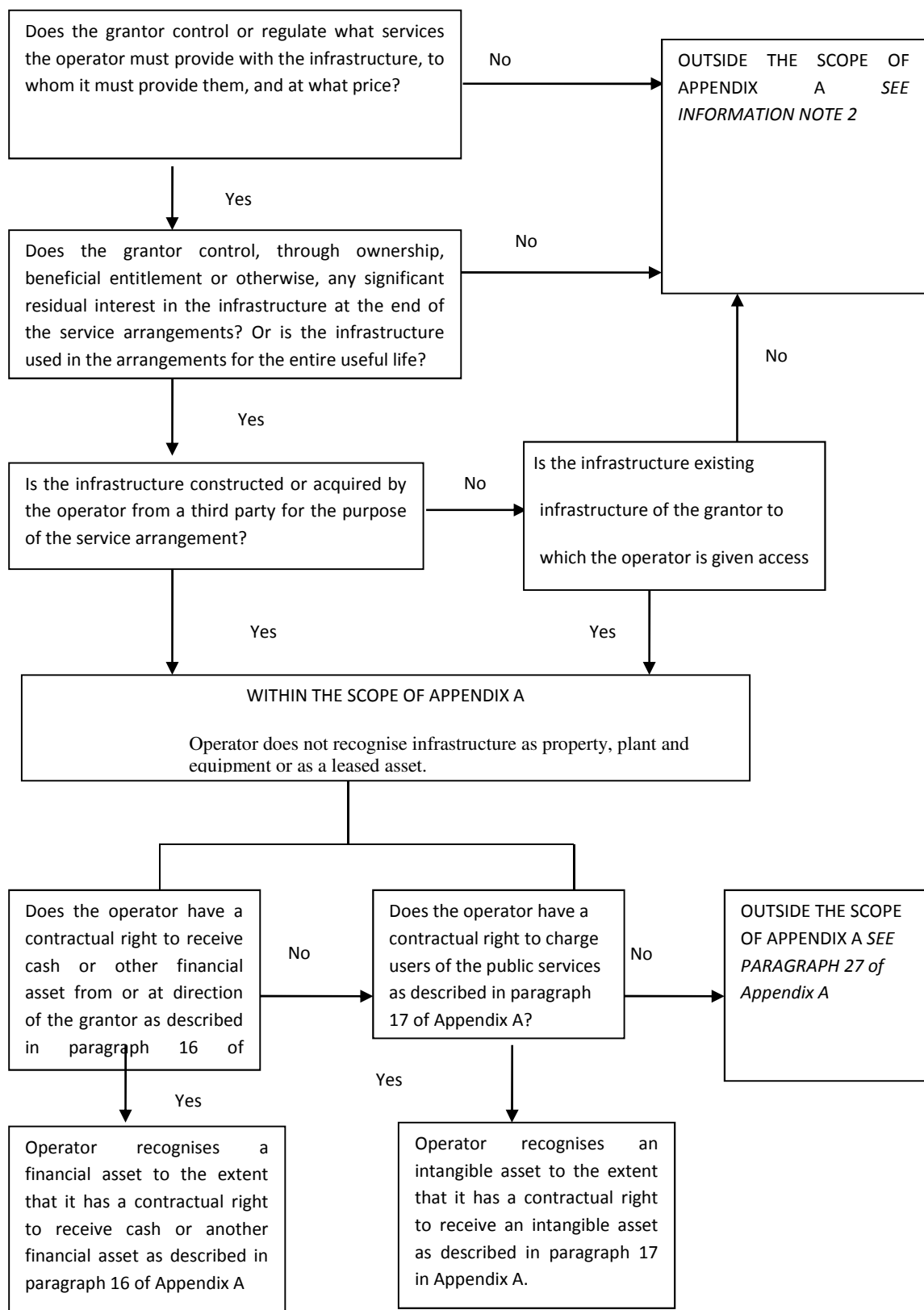
- AG1 Paragraph 5 of Appendix A specifies that infrastructure is within the scope of the Appendix when the following conditions apply:
- (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price; and
 - (b) the grantor controls—through ownership, beneficial entitlement or otherwise—any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.
- AG2 The control or regulation referred to in condition (a) could be by contract or otherwise (such as through a regulator), and includes circumstances in which the grantor buys all of the output as well as those in which some or all of the output is bought by other users. In applying this condition, the grantor and any related parties shall be considered together. If the grantor is a public sector entity, the public sector as a whole, together with any regulators acting in the public interest, shall be regarded as related to the grantor for the purposes of this Appendix A.
- AG3 For the purpose of condition (a), the grantor does not need to have complete control of the price: it is sufficient for the price to be regulated by the grantor, contract or regulator, for example by a capping mechanism. However, the condition shall be applied to the substance of the agreement. Non-substantive features, such as a cap that will apply only in remote circumstances, shall be ignored. Conversely, if for example, a contract purports to give the operator freedom to set prices, but any excess profit is returned to the grantor, the operator's return is capped and the price element of the control test is met.
- AG4 For the purpose of condition (b), the grantor's control over any significant residual interest should both restrict the operator's practical ability to sell or pledge the infrastructure and give the grantor a continuing right of use throughout the period of the arrangement. The residual interest in the infrastructure is the estimated current value of the infrastructure as if it were already of the age and in the condition expected at the end of the period of the arrangement.
- AG5 Control should be distinguished from management. If the grantor retains both the degree of control described in paragraph 5(a) of Appendix A and any significant residual interest in the infrastructure, the operator is only managing the infrastructure on the grantor's behalf—even though, in many cases, it may have wide managerial discretion.
- AG6 Conditions (a) and (b) together identify when the infrastructure, including any replacements required (see paragraph 21 of Appendix A), is controlled by the grantor for the whole of its economic life. For example, if the operator has to replace part of an item of infrastructure during the period of the arrangement (eg the top layer of a road or the roof of a building), the item of infrastructure shall be considered as a whole. Thus condition (b) is met for the whole of the infrastructure, including the part that is replaced, if the grantor controls any significant residual interest in the final replacement of that part.
- AG7 Sometimes the use of infrastructure is partly regulated in the manner described in paragraph 5(a) of Appendix A and partly unregulated. However, these arrangements take a variety of forms:
- (a) any infrastructure that is physically separable and capable of being operated independently and meets the definition of a cash-generating unit as defined in Ind AS 36 shall be analysed separately if it is used wholly for unregulated purposes. For example, this might apply to a private wing of a hospital, where the remainder of the hospital is used by the grantor to treat public patients.
 - (b) when purely ancillary activities (such as a hospital shop) are unregulated, the control tests shall be applied as if those services did not exist, because in cases in which the grantor controls the services in the manner described in paragraph 5 of Appendix A, the existence of ancillary activities does not detract from the grantor's control of the infrastructure.
- AG8 The operator may have a right to use the separable infrastructure described in paragraph AG7 (a), or the facilities used to provide ancillary unregulated services described in paragraph AG7 (b). In either case, there may in substance be a lease from the grantor to the operator; if so, it shall be accounted for in accordance with Ind AS 17.

Information note 1

Accounting framework for public-to-private service arrangements

This note accompanies, but is not part of, Appendix A

The diagram below summarises the accounting for service arrangements established by Appendix A



Information note 2**References to Indian Accounting Standards that apply to typical types of public-to-private arrangements**

This note accompanies, but is not part of, Appendix A.

The table sets out the typical types of arrangements for private sector participation in the provision of public sector services and provides references to Indian Accounting Standards that apply to those arrangements. The list of arrangements types is not exhaustive. The purpose of the table is to highlight the continuum of arrangements. It is not Appendix A's intention to convey the impression that bright lines exist between the accounting requirements for public-to-private arrangements

Category	Lessee	Service provider			Owner	
Typical arrangement types	Lease (eg Operator leases asset from grantor)	Service and/or maintenance contract (specific tasks eg debt collection)	Rehabilitate – operate - transfer	Build - operate - transfer	Build - own - operate	100% Divestment/ Privatisation/ Corporation
Asset ownership	Grantor				Operator	
Capital investment	Grantor		Operator			
Demand risk	Shared	Grantor	Operator and/or Grantor		Operator	
Typical duration	8–20 years	1–5 years	25–30 years			Indefinite (or may be limited by licence)
Residual interest	Grantor				Operator	
Relevant Indian Accounting Standards	Ind AS 17	Ind AS 18	This Appendix A		Ind AS 16	

Appendix B***Service Concession Arrangements: Disclosures***

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 11.

Issues

1. An entity (the operator) may enter into an arrangement with another entity (the grantor) to provide services that give the public access to major economic and social facilities. The grantor may be a public or private sector entity, including a governmental body. Examples of service concession arrangements involve water treatment and supply facilities, motorways, car parks, tunnels, bridges, airports and telecommunication networks. Examples of arrangements that are not service concession arrangements include an entity outsourcing the operation of its internal services (eg employee cafeteria, building maintenance, and accounting or information technology functions).
2. A service concession arrangement generally involves the grantor conveying for the period of the concession to the operator:
 - (a) the right to provide services that give the public access to major economic and social facilities, and
 - (b) in some cases, the right to use specified tangible assets, intangible assets, or financial assets, in exchange for the operator:

- (c) committing to provide the services according to certain terms and conditions during the concession period, and
 - (d) when applicable, committing to return at the end of the concession period the rights received at the beginning of the concession period and/or acquired during the concession period.
3. The common characteristic of all service concession arrangements is that the operator both receives a right and incurs an obligation to provide public services.
 4. The issue is what information should be disclosed in the notes in the financial statements of an operator and a grantor.
 5. Certain aspects and disclosures relating to some service concession arrangements are addressed by Indian Accounting Standards (eg Ind AS 16 applies to acquisitions of items of property, plant and equipment, Ind AS 17 applies to leases of assets, and Ind AS 38 applies to acquisitions of intangible assets). However, a service concession arrangement may involve executory contracts that are not addressed in Indian Accounting Standards, unless the contracts are onerous, in which case Ind AS 37 applies. Therefore, this Appendix addresses additional disclosures of service concession arrangements.

Accounting Principles

6. All aspects of a service concession arrangement shall be considered in determining the appropriate disclosures in the notes. An operator and a grantor shall disclose the following in each period:
 - (a) a description of the arrangement;
 - (b) significant terms of the arrangement that may affect the amount, timing and certainty of future cash flows (eg the period of the concession, re-pricing dates and the basis upon which re-pricing or re-negotiation is determined);
 - (c) the nature and extent (eg quantity, time period or amount as appropriate) of:
 - (i) rights to use specified assets;
 - (ii) obligations to provide or rights to expect provision of services;
 - (iii) obligations to acquire or build items of property, plant and equipment;
 - (iv) obligations to deliver or rights to receive specified assets at the end of the concession period;
 - (v) renewal and termination options; and
 - (vi) other rights and obligations (eg major overhauls);
 - (d) changes in the arrangement occurring during the period; and
 - (d) how the service arrangement has been classified.
- 6A An operator shall disclose the amount of revenue and profits or losses recognized in the period on exchanging construction services for a financial asset or an intangible asset.
- 7 The disclosures required in accordance with paragraph 6 of this Appendix shall be provided individually for each service concession arrangement or in aggregate for each class of service concession arrangements. A class is a grouping of service concession arrangements involving services of a similar nature (eg toll collections, telecommunications and water treatment services).

Appendix C

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 11.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and makes reference to Ind AS 11, *Construction Contracts*.

1. Appendix A *Intangible Assets—Web Site Costs* contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 11 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 11, Construction Contracts, IFRIC 12, Service Concession Arrangements and SIC 29, Service Concession Arrangements: Disclosures

Comparison with IAS 11, *Construction Contracts*, IFRIC 12, *Service Concession Arrangements* and SIC 29, *Service Concession Arrangements: Disclosures*

1. The transitional provisions given in IFRIC 12 have not been given in Ind AS 11, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
 2. Different terminology is used in this standard, e.g., the term ‘balance sheet’ is used instead of ‘Statement of financial position’ and ‘Statement of profit and loss’ is used instead of ‘Statement of comprehensive income’.
 3. Paragraph 2 of IAS 11 which states that IAS 11 supersedes the earlier version of IAS 11 is deleted in Ind AS 11 as this is not relevant in Ind AS 11. However, paragraph number 2 is retained in Ind AS 11 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 11.’’.
17. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 12”, in paragraph 59, for item (a), the following item shall be substituted namely:-
- “(a) Royalty or dividend revenue is received in arrears and is included in accounting profit on a time apportionment basis in accordance with Ind AS 18, *Revenue*, or Ind AS 109, *Financial Instruments*, as relevant, but is included in taxable profit (tax loss) on a cash basis; and ’’.
18. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 16”,-
- (i) for paragraph 68A, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“68A However, an entity that, in the course of its ordinary activities, routinely sells items of property, plant and equipment that it has held for rental to others shall transfer such assets to inventories at their carrying amount when they cease to be rented and become held for sale. The proceeds from the sale of such assets shall be recognised as revenue in accordance with Ind AS 18, *Revenue*. Ind AS 105 does not apply when assets that are held for sale in the ordinary course of business are transferred to inventories.’’;
 - (ii) for paragraph 69, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“69 The disposal of an item of property, plant and equipment may occur in a variety of ways (eg by sale, by entering into a finance lease or by donation). In determining the date of disposal of an item, an entity applies the criteria in Ind AS 18 for recognising revenue from the sale of goods. Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback.’’;
 - (iii) for paragraph 72, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“72 The consideration receivable on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised initially at its fair value. If payment for the item is deferred, the consideration received is recognised initially at the cash price equivalent. The difference between the nominal amount of the consideration and the cash price equivalent is recognised as interest revenue in accordance with Ind AS 18 reflecting the effective yield on the receivable.’’;
 - (iv) in Appendix C,
 - (a) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“1 Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*.’’;
 - (b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2 Appendix B, *Service Concession Arrangements: Disclosures* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*.’’;

19. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 17”,
- (i) in Appendix B, in paragraph 8, for opening paragraph starting with ‘The requirements in’ and ending with ‘is inappropriate include:’, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “8. The criteria in paragraph 20 of Ind AS 18, *Revenue*, shall be applied to the facts and circumstances of each arrangement in determining when to recognise a fee as income that an Entity might receive. Factors such as whether there is continuing involvement in the form of significant future performance obligations necessary to earn the fee, whether there are retained risks, the terms of any guarantee arrangements, and the risk of repayment of the fee, shall be considered. Indicators that individually demonstrate that recognition of the entire fee as income when received, if received at the beginning of the arrangement, is inappropriate include: ”;
- (ii) in Appendix C, in paragraph 4, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-
- “(b)are public-to-private service concession arrangements within the scope of Appendix A of Ind AS 11, *Service Concession Arrangements*. ”;
- (iii) in Appendix D,
- (a) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “1 Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*. ”;
- (b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “2 Appendix B, *Service Concession Arrangements: Disclosures* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*. ”;
20. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, after Indian Accounting Standard (Ind AS) 17, the following Indian Accounting Standard shall be inserted, namely:-

“Indian Accounting Standard (Ind AS) 18

Revenue

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

Income is defined in the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India as increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants. Income encompasses both revenue and gains. Revenue is income that arises in the course of ordinary activities of an entity and is referred to by a variety of different names including sales, fees, interest, dividends and royalties. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events.

The primary issue in accounting for revenue is determining when to recognise revenue. Revenue is recognised when it is probable that future economic benefits will flow to the entity and these benefits can be measured reliably. This Standard identifies the circumstances in which these criteria will be met and, therefore, revenue will be recognised. It also provides practical guidance on the application of these criteria.

Scope

- 1 **This Standard shall be applied in accounting for revenue arising from the following transactions and events²:**
- (a) **the sale of goods;**
- (b) **the rendering of services; and**
- (c) **the use by others of entity assets yielding interest and royalties.**

² For real estate developers, revenue shall be accounted for in accordance with the Guidance Note on the subject being issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- 1A** This Standard deals with recognition of interest. However, the following are dealt in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*:
- (a) measurement of interest charges for the use of cash or cash equivalents or amounts due to the entity; and
 - (b) recognition and measurement of dividend.
- 1B** The impairment of any contractual right to receive cash or another financial asset arising from this Standard shall be dealt in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*.
- 2** *
- 3** Goods includes goods produced by the entity for the purpose of sale and goods purchased for resale, such as merchandise purchased by a retailer or land and other property held for resale.
- 4** The rendering of services typically involves the performance by the entity of a contractually agreed task over an agreed period of time. The services may be rendered within a single period or over more than one period. Some contracts for the rendering of services are directly related to construction contracts, for example, those for the services of project managers and architects. Revenue arising from these contracts is not dealt with in this Standard but is dealt with in accordance with the requirements for construction contracts as specified in Ind AS 11 *Construction Contracts*.
- 5** The use by others of entity assets gives rise to revenue in the form of:
- (a) interest—charges for the use of cash or cash equivalents or amounts due to the entity;
 - (b) royalties—charges for the use of long-term assets of the entity, for example, patents, trademarks, copyrights and computer software; and
 - (c) dividends—distributions of profits to holders of equity investments in proportion to their holdings of a particular class of capital.
- 6** This Standard does not deal with revenue arising from:
- (a) lease agreements (see Ind AS 17 *Leases*);
 - (b) dividends arising from investments which are accounted for under the equity method (see Ind AS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures*);
 - (c) insurance contracts within the scope of Ind AS 104 *Insurance Contracts*;
 - (d) changes in the fair value of financial assets and financial liabilities or their disposal (see Ind AS 109 *Financial Instruments*);
 - (e) changes in the value of other current assets;
 - (f) initial recognition and from changes in the fair value of biological assets related to agricultural activity (see Ind AS 41 *Agriculture*);
 - (g) initial recognition of agricultural produce (see Ind AS 41); and
 - (h) the extraction of mineral ores.

Definitions

- 7** The following terms are used in this Standard with the meanings specified:
- Revenue** is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of the ordinary activities of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants.
- Fair value** is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. (See Ind AS 113, *Fair Value Measurement*)
- 8** Revenue includes only the gross inflows of economic benefits received and receivable by the entity on its own account. Amounts collected on behalf of third parties such as sales taxes, goods and services taxes and value added taxes are not economic benefits which flow to the entity and do not result in increases in equity. Therefore, they are excluded from revenue. Similarly, in an agency relationship, the gross inflows of economic benefits include amounts collected on behalf of the principal and which do not result in increases in equity for the entity. The amounts collected on behalf of the principal are not revenue. Instead, revenue is the amount of commission.

* Refer Appendix 1

Measurement of revenue

- 9 Revenue shall be measured at the fair value of the consideration received or receivable.³**
- 10 The amount of revenue arising on a transaction is usually determined by agreement between the entity and the buyer or user of the asset. It is measured at the fair value of the consideration received or receivable taking into account the amount of any trade discounts and volume rebates allowed by the entity.
- 11 In most cases, the consideration is in the form of cash or cash equivalents and the amount of revenue is the amount of cash or cash equivalents received or receivable. However, when the inflow of cash or cash equivalents is deferred, the fair value of the consideration may be less than the nominal amount of cash received or receivable. For example, an entity may provide interest-free credit to the buyer or accept a note receivable bearing a below-market interest rate from the buyer as consideration for the sale of goods. When the arrangement effectively constitutes a financing transaction, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest. The imputed rate of interest is the more clearly determinable of either:
- (a) the prevailing rate for a similar instrument of an issuer with a similar credit rating; or
 - (b) a rate of interest that discounts the nominal amount of the instrument to the current cash sales price of the goods or services.
- The difference between the fair value and the nominal amount of the consideration is recognised as interest revenue in accordance with Ind AS 109.
- 12 When goods or services are exchanged or swapped for goods or services which are of a similar nature and value, the exchange is not regarded as a transaction which generates revenue. This is often the case with commodities like oil or milk where suppliers exchange or swap inventories in various locations to fulfil demand on a timely basis in a particular location. When goods are sold or services are rendered in exchange for dissimilar goods or services, the exchange is regarded as a transaction which generates revenue. The revenue is measured at the fair value of the goods or services received, adjusted by the amount of any cash or cash equivalents transferred. When the fair value of the goods or services received cannot be measured reliably, the revenue is measured at the fair value of the goods or services given up, adjusted by the amount of any cash or cash equivalents transferred.

Identification of the transaction

- 13 The recognition criteria in this Standard are usually applied separately to each transaction. However, in certain circumstances, it is necessary to apply the recognition criteria to the separately identifiable components of a single transaction in order to reflect the substance of the transaction. For example, when the selling price of a product includes an identifiable amount for subsequent servicing, that amount is deferred and recognised as revenue over the period during which the service is performed. Conversely, the recognition criteria are applied to two or more transactions together when they are linked in such a way that the commercial effect cannot be understood without reference to the series of transactions as a whole. For example, an entity may sell goods and, at the same time, enter into a separate agreement to repurchase the goods at a later date, thus negating the substantive effect of the transaction; in such a case, the two transactions are dealt with together.

Sale of goods

- 14 Revenue from the sale of goods shall be recognised when all the following conditions have been satisfied:**
- (a) the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
 - (b) the entity retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
 - (c) the amount of revenue can be measured reliably;
 - (d) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and
 - (e) the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.
- 15 The assessment of when an entity has transferred the significant risks and rewards of ownership to the buyer requires an examination of the circumstances of the transaction. In most cases, the transfer of the risks and rewards of ownership coincides with the transfer of the legal title or the passing of possession to the buyer. This is the case for most retail sales. In other cases, the transfer of risks and rewards of ownership occurs at a different time from the transfer of legal title or the passing of possession.

³ See also Appendix A of this standard, *Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services*.

- 16 If the entity retains significant risks of ownership, the transaction is not a sale and revenue is not recognised. An entity may retain a significant risk of ownership in a number of ways. Examples of situations in which the entity may retain the significant risks and rewards of ownership are:
- (a) when the entity retains an obligation for unsatisfactory performance not covered by normal warranty provisions;
 - (b) when the receipt of the revenue from a particular sale is contingent on the derivation of revenue by the buyer from its sale of the goods;
 - (c) when the goods are shipped subject to installation and the installation is a significant part of the contract which has not yet been completed by the entity; and
 - (d) when the buyer has the right to rescind the purchase for a reason specified in the sales contract and the entity is uncertain about the probability of return.
- 17 If an entity retains only an insignificant risk of ownership, the transaction is a sale and revenue is recognised. For example, a seller may retain the legal title to the goods solely to protect the collectability of the amount due. In such a case, if the entity has transferred the significant risks and rewards of ownership, the transaction is a sale and revenue is recognised. Another example of an entity retaining only an insignificant risk of ownership may be a retail sale when a refund is offered if the customer is not satisfied. Revenue in such cases is recognised at the time of sale provided the seller can reliably estimate future returns and recognises a liability for returns based on previous experience and other relevant factors.
- 18 Revenue is recognised only when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity. In some cases, this may not be probable until the consideration is received or until an uncertainty is removed. For example, it may be uncertain that a foreign governmental authority will grant permission to remit the consideration from a sale in a foreign country. When the permission is granted, the uncertainty is removed and revenue is recognised. However, when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognised as an expense, rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognised.
- 19 Revenue and expenses that relate to the same transaction or other event are recognised simultaneously; this process is commonly referred to as the matching of revenues and expenses. Expenses, including warranties and other costs to be incurred after the shipment of the goods can normally be measured reliably when the other conditions for the recognition of revenue have been satisfied. However, revenue cannot be recognised when the expenses cannot be measured reliably; in such circumstances, any consideration already received for the sale of the goods is recognised as a liability.

Rendering of services

- 20 **When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, revenue associated with the transaction shall be recognised by reference to the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period. The outcome of a transaction can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied:**
- (a) the amount of revenue can be measured reliably;**
 - (b) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;**
 - (c) the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and**
 - (d) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.⁴**
- 21 The recognition of revenue by reference to the stage of completion of a transaction is often referred to as the percentage of completion method. Under this method, revenue is recognised in the accounting periods in which the services are rendered. The recognition of revenue on this basis provides useful information on the extent of service activity and performance during a period. Ind AS 11 also requires the recognition of revenue on this basis. The requirements of that Standard are generally applicable to the recognition of revenue and the associated expenses for a transaction involving the rendering of services.

⁴ See also Appendix A of this standard, *Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services* and Appendix B of Ind AS 17, *Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease*.

- 22 Revenue is recognised only when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity. However, when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognised as an expense, rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognised.
- 23 An entity is generally able to make reliable estimates after it has agreed to the following with the other parties to the transaction:
- (a) each party's enforceable rights regarding the service to be provided and received by the parties;
 - (b) the consideration to be exchanged; and
 - (c) the manner and terms of settlement.
- It is also usually necessary for the entity to have an effective internal financial budgeting and reporting system. The entity reviews and, when necessary, revises the estimates of revenue as the service is performed. The need for such revisions does not necessarily indicate that the outcome of the transaction cannot be estimated reliably.
- 24 The stage of completion of a transaction may be determined by a variety of methods. An entity uses the method that measures reliably the services performed. Depending on the nature of the transaction, the methods may include:
- (a) surveys of work performed;
 - (b) services performed to date as a percentage of total services to be performed; or
 - (c) the proportion that costs incurred to date bear to the estimated total costs of the transaction. Only costs that reflect services performed to date are included in costs incurred to date. Only costs that reflect services performed or to be performed are included in the estimated total costs of the transaction.
- Progress payments and advances received from customers often do not reflect the services performed.
- 25 For practical purposes, when services are performed by an indeterminate number of acts over a specified period of time, revenue is recognised on a straight-line basis over the specified period unless there is evidence that some other method better represents the stage of completion. When a specific act is much more significant than any other acts, the recognition of revenue is postponed until the significant act is executed.
- 26 When the outcome of the transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue shall be recognised only to the extent of the expenses recognised that are recoverable.**
- 27 During the early stages of a transaction, it is often the case that the outcome of the transaction cannot be estimated reliably. Nevertheless, it may be probable that the entity will recover the transaction costs incurred. Therefore, revenue is recognised only to the extent of costs incurred that are expected to be recoverable. As the outcome of the transaction cannot be estimated reliably, no profit is recognised.
- 28 When the outcome of a transaction cannot be estimated reliably and it is not probable that the costs incurred will be recovered, revenue is not recognised and the costs incurred are recognised as an expense. When the uncertainties that prevented the outcome of the contract being estimated reliably no longer exist, revenue is recognised in accordance with paragraph 20 rather than in accordance with paragraph 26.

Interest and Royalties

- 29 Revenue arising from the use by others of entity assets yielding interest and royalties shall be recognised on the bases set out in paragraph 30 when:**
- (a) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and
 - (b) the amount of the revenue can be measured reliably.
- 30 Revenue shall be recognised on the following bases:**
- (a) interest shall be recognised using the effective interest method as set out in Ind AS109; and
 - (b) royalties shall be recognised on an accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement.
 - (c) **Omitted***
- 31 Omitted*
- 32 Omitted*

* Refer Appendix 1

* Refer Appendix 1

* Refer Appendix 1

- 33 Royalties accrue in accordance with the terms of the relevant agreement and are usually recognised on that basis unless, having regard to the substance of the agreement, it is more appropriate to recognise revenue on some other systematic and rational basis.
- 34 Revenue is recognised only when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity. However, when an uncertainty arises about the collectibility of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognised as an expense, rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognised.

Disclosure

- 35 **An entity shall disclose:**
- (a) **the accounting policies adopted for the recognition of revenue, including the methods adopted to determine the stage of completion of transactions involving the rendering of services;**
 - (b) **the amount of each significant category of revenue recognised during the period, including revenue arising from:**
 - (i) **the sale of goods;**
 - (ii) **the rendering of services; and**
 - (iii) **Omitted***
 - (iv) **royalties**
 - (v) **Omitted***
 - (c) **the amount of revenue arising from exchanges of goods or services included in each significant category of revenue.**
- 36 An entity discloses any contingent liabilities and contingent assets in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Contingent liabilities and contingent assets may arise from items such as warranty costs, claims, penalties or possible losses.

Appendix A

Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services

Issue

- 1 An entity (Seller) may enter into a barter transaction to provide advertising services in exchange for receiving advertising services from its customer (Customer). Advertisements may be displayed on the Internet or poster sites, broadcast on the television or radio, published in magazines or journals, or presented in another medium.
- 2 In some cases, no cash or other consideration is exchanged between the entities. In some other cases, equal or approximately equal amounts of cash or other consideration are also exchanged.
- 3 A Seller that provides advertising services in the course of its ordinary activities recognises revenue under Ind AS 18 from a barter transaction involving advertising when, amongst other criteria, the services exchanged are dissimilar (paragraph 12 of Ind AS 18) and the amount of revenue can be measured reliably (paragraph 20(a) of Ind AS 18). This Appendix only applies to an exchange of dissimilar advertising services. An exchange of similar advertising services is not a transaction that generates revenue under Ind AS 18.
- 4 The issue is under what circumstances can a Seller reliably measure revenue at the fair value of advertising services received or provided in a barter transaction.

Accounting Principles

- 5 Revenue from a barter transaction involving advertising cannot be measured reliably at the fair value of advertising services received. However, a Seller can reliably measure revenue at the fair value of the advertising services it provides in a barter transaction, by reference only to non-barter transactions that:
 - (a) involve advertising similar to the advertising in the barter transaction;

* Refer Appendix 1

* Refer Appendix 1

- (b) occur frequently;
- (c) represent a predominant number of transactions and amount when compared to all transactions to provide advertising that is similar to the advertising in the barter transaction;
- (d) involve cash and/or another form of consideration (eg marketable securities, non-monetary assets, and other services) that has a reliably measurable fair value; and
- (e) do not involve the same counterparty as in the barter transaction.

Appendix B

Customer Loyalty Programmes

Background

- 1 Customer loyalty programmes are used by entities to provide customers with incentives to buy their goods or services. If a customer buys goods or services, the entity grants the customer award credits (often described as 'points'). The customer can redeem the award credits for awards such as free or discounted goods or services.
- 2 The programmes operate in a variety of ways. Customers may be required to accumulate a specified minimum number or value of award credits before they are able to redeem them. Award credits may be linked to individual purchases or groups of purchases, or to continued custom over a specified period. The entity may operate the customer loyalty programme itself or participate in a programme operated by a third party. The awards offered may include goods or services supplied by the entity itself and/or rights to claim goods or services from a third party.

Scope

- 3 This Appendix applies to customer loyalty award credits that:
 - (a) an entity grants to its customers as part of a sales transaction, ie a sale of goods, rendering of services or use by a customer of entity assets; and
 - (b) subject to meeting any further qualifying conditions, the customers can redeem in the future for free or discounted goods or services.

The Appendix addresses accounting by the entity that grants award credits to its customers.

Issues

- 4 The issues addressed in this Appendix are:
 - (a) whether the entity's obligation to provide free or discounted goods or services ('awards') in the future should be recognised and measured by:
 - (i) allocating some of the consideration received or receivable from the sales transaction to the award credits and deferring the recognition of revenue (applying paragraph 13 of Ind AS 18); or
 - (ii) providing for the estimated future costs of supplying the awards (applying paragraph 19 of Ind AS 18); and
 - (b) if consideration is allocated to the award credits:
 - (i) how much should be allocated to them;
 - (ii) when revenue should be recognised; and
 - (iii) if a third party supplies the awards, how revenue should be measured.

Accounting Principles

- 5 An entity shall apply paragraph 13 of Ind AS 18 and account for award credits as a separately identifiable component of the sales transaction(s) in which they are granted (the 'initial sale'). The fair value of the consideration received or receivable in respect of the initial sale shall be allocated between the award credits and the other components of the sale.

- 6 The consideration allocated to the award credits shall be measured by reference to their fair value.
- 7 If the entity supplies the awards itself, it shall recognise the consideration allocated to award credits as revenue when award credits are redeemed and it fulfils its obligations to supply awards. The amount of revenue recognised shall be based on the number of award credits that have been redeemed in exchange for awards, relative to the total number expected to be redeemed.
- 8 If a third party supplies the awards, the entity shall assess whether it is collecting the consideration allocated to the award credits on its own account (ie as the principal in the transaction) or on behalf of the third party (ie as an agent for the third party).
- (a) If the entity is collecting the consideration on behalf of the third party, it shall:
- (i) measure its revenue as the net amount retained on its own account, ie the difference between the consideration allocated to the award credits and the amount payable to the third party for supplying the awards; and
 - (ii) recognise this net amount as revenue when the third party becomes obliged to supply the awards and entitled to receive consideration for doing so. These events may occur as soon as the award credits are granted. Alternatively, if the customer can choose to claim awards from either the entity or a third party, these events may occur only when the customer chooses to claim awards from the third party.
- (b) If the entity is collecting the consideration on its own account, it shall measure its revenue as the gross consideration allocated to the award credits and recognise the revenue when it fulfils its obligations in respect of the awards.
- 9 If at any time the unavoidable costs of meeting the obligations to supply the awards are expected to exceed the consideration received and receivable for them (ie the consideration allocated to the award credits at the time of the initial sale that has not yet been recognised as revenue plus any further consideration receivable when the customer redeems the award credits), the entity has onerous contracts. A liability shall be recognised for the excess in accordance with Ind AS 37. The need to recognise such a liability could arise if the expected costs of supplying awards increase, for example if the entity revises its expectations about the number of award credits that will be redeemed.

Application guidance on Appendix B

This application guidance is an integral part of Appendix B.

Measuring the fair value of award credits

- AG1 Paragraph 6 of Appendix B requires the consideration allocated to award credits to be measured by reference to their fair value. If there is not a quoted market price for an identical award credit, fair value must be measured using another valuation technique.
- AG2 An entity may measure the fair value of award credits by reference to the fair value of the awards for which they could be redeemed. The fair value of the award credits takes into account, as appropriate:
- (a) the amount of the discounts or incentives that would otherwise be offered to customers who have not earned award credits from an initial sale;
 - (b) the proportion of award credits that are not expected to be redeemed by customers; and
 - (c) non-performance risk.
- If customers can choose from a range of different awards, the fair value of the award credits reflects the fair values of the range of available awards, weighted in proportion to the frequency with which each award is expected to be selected.
- AG3 In some circumstances, other valuation techniques may be used. For example, if a third party will supply the awards and the entity pays the third party for each award credit it grants, it could measure the fair value of the award credits by reference to the amount it pays the third party, adding a reasonable profit margin. Judgement is required to select and apply the valuation technique that satisfies the requirements of paragraph 6 of Appendix B and is most appropriate in the circumstances.

Appendix C

Transfers of Assets from Customers

Background

- 1 In the utilities industry, an entity may receive from its customers items of property, plant and equipment that must be used to connect those customers to a network and provide them with ongoing access to a supply of commodities such as electricity, gas or water. Alternatively, an entity may receive cash from customers for the acquisition or construction of such items of property, plant and equipment. Typically, customers are required to pay additional amounts for the purchase of goods or services based on usage.
- 2 Transfers of assets from customers may also occur in industries other than utilities. For example, an entity outsourcing its information technology functions may transfer its existing items of property, plant and equipment to the outsourcing provider.
- 3 In some cases, the transferor of the asset may not be the entity that will eventually have ongoing access to the supply of goods or services and will be the recipient of those goods or services. However, for convenience this Appendix refers to the entity transferring the asset as the customer.

Scope

- 4 This Appendix applies to the accounting for transfers of items of property, plant and equipment by entities that receive such transfers from their customers.
- 5 Agreements within the scope of this Appendix are agreements in which an entity receives from a customer an item of property, plant and equipment that the entity must then use either to connect the customer to a network or to provide the customer with ongoing access to a supply of goods or services, or to do both.
- 6 This Appendix also applies to agreements in which an entity receives cash from a customer when that amount of cash must be used only to construct or acquire an item of property, plant and equipment and the entity must then use the item of property, plant and equipment either to connect the customer to a network or to provide the customer with ongoing access to a supply of goods or services, or to do both.
- 7 This Appendix does not apply to agreements in which the transfer is either a government grant as defined in Ind AS 20 or infrastructure used in a service concession arrangement that is within the scope of Appendix A of Ind AS 11 *Service Concession Arrangements*.

Issues

- 8 The Appendix addresses the following issues:
 - (a) Is the definition of an asset met?
 - (b) If the definition of an asset is met, how should the transferred item of property, plant and equipment be measured on initial recognition?
 - (c) If the item of property, plant and equipment is measured at fair value on initial recognition, how should the resulting credit be accounted for?
 - (d) How should the entity account for a transfer of cash from its customer?

Accounting Principles

Is the definition of an asset met?

- 9 When an entity receives from a customer a transfer of an item of property, plant and equipment, it shall assess whether the transferred item meets the definition of an asset set out in the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Paragraph 49(a) of the Framework states that 'an asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity.' In most circumstances, the entity obtains the right of ownership of the transferred item of property, plant and equipment. However, in determining whether an asset exists, the right of ownership is not essential. Therefore, if the customer continues to control the transferred item, the asset definition would not be met despite a transfer of ownership.
- 10 An entity that controls an asset can generally deal with that asset as it pleases. For example, the entity can exchange that asset for other assets, employ it to produce goods or services, charge a price for others to use it, use it to settle liabilities, hold it, or distribute it to owners. The entity that receives from a customer a transfer of an item of property, plant and equipment shall consider all relevant facts and circumstances when assessing control of the transferred item. For example, although the entity must use the transferred item of property, plant

and equipment to provide one or more services to the customer, it may have the ability to decide how the transferred item of property, plant and equipment is operated and maintained and when it is replaced. In this case, the entity would normally conclude that it controls the transferred item of property, plant and equipment.

How should the transferred item of property, plant and equipment be measured on initial recognition?

- 11 If the entity concludes that the definition of an asset is met, it shall recognise the transferred asset as an item of property, plant and equipment in accordance with paragraph 7 of Ind AS 16 and measure its cost on initial recognition at its fair value in accordance with paragraph 24 of that Standard.

How should the credit be accounted for?

- 12 The following discussion assumes that the entity receiving an item of property, plant and equipment has concluded that the transferred item should be recognised and measured in accordance with paragraphs 9–11.
- 13 Paragraph 12 of Ind AS 18 states that ‘When goods are sold or services are rendered in exchange for dissimilar goods or services, the exchange is regarded as a transaction which generates revenue.’ According to the terms of the agreements within the scope of this Appendix, a transfer of an item of property, plant and equipment would be an exchange for dissimilar goods or services. Consequently, the entity shall recognise revenue in accordance with Ind AS 18.

Identifying the separately identifiable services

- 14 An entity may agree to deliver one or more services in exchange for the transferred item of property, plant and equipment, such as connecting the customer to a network, providing the customer with ongoing access to a supply of goods or services, or both. In accordance with paragraph 13 of Ind AS 18, the entity shall identify the separately identifiable services included in the agreement.
- 15 Features that indicate that connecting the customer to a network is a separately identifiable service include:
- (a) a service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer;
 - (b) the fair value of the service connection can be measured reliably.
- 16 A feature that indicates that providing the customer with ongoing access to a supply of goods or services is a separately identifiable service is that, in the future, the customer making the transfer receives the ongoing access, the goods or services, or both at a price lower than would be charged without the transfer of the item of property, plant and equipment.
- 17 Conversely, a feature that indicates that the obligation to provide the customer with ongoing access to a supply of goods or services arises from the terms of the entity’s operating licence or other regulation rather than from the agreement relating to the transfer of an item of property, plant and equipment is that customers that make a transfer pay the same price as those that do not for the ongoing access, or for the goods or services, or for both.

Revenue recognition

- 18 If only one service is identified, the entity shall recognise revenue when the service is performed in accordance with paragraph 20 of Ind AS 18. If such a service is ongoing, revenue shall be recognised in accordance with paragraph 20 of this Appendix.
- 19 If more than one separately identifiable service is identified, paragraph 13 of Ind AS 18 requires the fair value of the total consideration received or receivable for the agreement to be allocated to each service and the recognition criteria of Ind AS 18 are then applied to each service.
- 20 If an ongoing service is identified as part of the agreement, the period over which revenue shall be recognised for that service is generally determined by the terms of the agreement with the customer. If the agreement does not specify a period, the revenue shall be recognised over a period no longer than the useful life of the transferred asset used to provide the ongoing service.

How should the entity account for a transfer of cash from its customer?

- 21 When an entity receives a transfer of cash from a customer, it shall assess whether the agreement is within the scope of this Appendix in accordance with paragraph 6. If it is, the entity shall assess whether the constructed or acquired item of property, plant and equipment meets the definition of an asset in accordance with paragraphs 9 and 10. If the definition of an asset is met, the entity shall recognise the item of property, plant and equipment at its cost in accordance with Ind AS 16 and shall recognise revenue in accordance with paragraphs 13–20 at the amount of cash received from the customer.

Appendix D

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard 18.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 18, *Revenues*

1. Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11 *Construction Contracts*.
2. Appendix B, *Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease* contained in Ind AS 17 *Leases*.

Appendix 1

Note: This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 18 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 18, Revenue, SIC 31, Revenue- Barter Transactions Involving Advertising Services, IFRIC 13, Customer Loyalty Programmes and IFRIC 18, Transfers Of Assets from Customers.

Comparison with IAS 18, Revenue, SIC 31, IFRIC 13 and IFRIC 18

1. The transitional provisions given in IAS 18, SIC 13 and IFRIC 13 have not been given in Ind AS 18, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
2. On the basis of principles of the IAS 18, IFRIC 15 on *Agreement for Construction of Real Estate* prescribes that construction of real estate should be treated as sale of goods and revenue should be recognised when the entity has transferred significant risks and rewards of ownership and retained neither continuing managerial involvement nor effective control. IFRIC 15 has not been included in Ind AS 18. Instead, a footnote has been given specifying that the Guidance Note on the subject being issued by the Institute of Chartered Accountants of India shall be followed.
3. Paragraph 2 of IAS 18 which states that IAS 18 supersedes the earlier version IAS 18 is deleted in Ind AS 18 as this is not relevant in Ind AS 18. However, paragraph number 2 is retained in Ind AS 18 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 18.
4. Paragraph number 31 appear as 'Deleted' in IAS 18. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 18, the paragraph number is retained in Ind AS 18.
5. Paragraph 30(c), 32, 35 b(iii), 35b(v) appear as 'Deleted' in Ind AS 18 which addresses revenue in form of interest and dividend. The recognition, measurement of dividend is given in Ind AS 109, whereas the measurement of interest is given in Ind AS 109.
6. Paragraph 1A is inserted which states that recognition of interest is dealt in this standard whereas measurement of interest charges for the use of cash or cash equivalents or amounts due to the entity and recognition and measurement of dividend is dealt in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*.
7. Paragraph 1B is inserted, which prescribes the impairment of any contractual right to receive cash or another financial asset arising from this standard, shall be dealt in accordance with Ind AS 109, *Financial Instruments*.
21. In the principal rules, in the "Annexure", under the heading "B. Indian Accounting Standards (Ind AS)", in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 19", -
 - (i) for paragraph 83, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“83 The rate used to discount post-employment benefit obligations (both funded and unfunded) shall be determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. However, for currencies other than Indian rupee for which there is deep market in high quality corporate bonds, the market yields (at the end of the reporting period) on such high quality corporate bonds denominated in that currency shall be used. The currency and term of the government bonds or corporate bonds shall be consistent with the currency and estimated term of the post-employment benefit obligations.”;
 - (ii) in Appendix 1, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

- “2 According to Ind AS 19 the rate to be used to discount post-employment benefit obligation shall be determined by reference to the market yields on government bonds, whereas under IAS 19, the government bonds can be used only for those currencies where there is no deep market of high quality corporate bonds. However, requirements given in IAS 19 in this regard have been retained with appropriate modifications for currencies other than Indian rupee.”.
22. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 23”, in Appendix A, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “2 Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*, makes reference to this Standard also.”.
23. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 28”, -
- (i) in paragraph 17, for item (d), the following item shall be substituted, namely:-
- “(d) The ultimate or any intermediate parent of the entity produces financial statements available for public use that comply with Ind ASs, in which subsidiaries are consolidated or are measured at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 110.”;
- (ii) for paragraph 27, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “27 A group’s share in an associate or a joint venture is the aggregate of the holdings in that associate or joint venture by the parent and its subsidiaries. The holdings of the group’s other associates or joint ventures are ignored for this purpose. When an associate or a joint venture has subsidiaries, associates or joint ventures, the profit or loss, other comprehensive income and net assets taken into account in applying the equity method are those recognised in the associate’s or joint venture’s financial statements (including the associate’s or joint venture’s share of the profit or loss, other comprehensive income and net assets of its associates and joint ventures), after any adjustments necessary to give effect to uniform accounting policies (see paragraphs 35–36A).”;
- (iii) for paragraph 36, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “36 Except as described in paragraph 36A, if an associate or a joint venture uses accounting policies other than those of the entity for like transactions and events in similar circumstances, adjustments shall be made to make the associate’s or joint venture’s accounting policies conform to those of the entity when the associate’s or joint venture’s financial statements are used by the entity in applying the equity method.”;
- (iv) after paragraph 36, the following paragraph shall be inserted, namely:-
- “36A Notwithstanding the requirement in paragraph 36, if an entity that is not itself an investment entity has an interest in an associate or joint venture that is an investment entity, the entity may, when applying the equity method, retain the fair value measurement applied by that investment entity associate or joint venture to the investment entity associate’s or joint venture’s interests in subsidiaries.”.
24. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 32”,
- (i) in Appendix A, for paragraph AG21, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “AG21 A contract that involves the receipt or delivery of physical assets does not give rise to a financial asset of one party and a financial liability of the other party unless any corresponding payment is deferred past the date on which the physical assets are transferred. Such is the case with the purchase or sale of goods on trade credit.”;
- (ii) in Appendix B, for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

- “1. Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*.”.
25. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 34”,-
- (i) in paragraph 5, for item (e), the following item shall be substituted, namely:-

“(e) notes, comprising significant accounting policies and other explanatory information;”;
 - (ii) in paragraph 15B, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) recognition of a loss from the impairment of financial assets, property, plant and equipment, intangible assets, or other assets, and the reversal of such an impairment loss;”;
 - (iii) in paragraph 16A, for the opening paragraph, starting with ‘In addition to’ and ending with ‘year-to-date basis.’, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“16A In addition to disclosing significant events and transactions in accordance with paragraphs 15–15C, an entity shall include the following information, in the notes to its interim financial statements or elsewhere in the interim financial report. The following disclosures shall be given either in the interim financial statements or incorporated by cross-reference from the interim financial statements to some other statement (such as management commentary or risk report) that is available to users of the financial statements on the same terms as the interim financial statements and at the same time. If users of the financial statements do not have access to the information incorporated by cross-reference on the same terms and at the same time, the interim financial report is incomplete. The information shall normally be reported on a financial year-to-date basis.”;
 - (iv) in paragraph 16A, item (l) shall be omitted.
26. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 36”, in paragraph 2, for item (b), the following item shall be substituted namely:-
- “(b) assets arising from construction contracts (see Ind AS 11, *Construction Contracts* and Ind AS 18, *Revenue*);”.**
27. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 37”, -
- (i) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5. When another Standard deals with a specific type of provision, contingent liability or contingent asset, an entity applies that Standard instead of this Standard. For example, some types of provisions are addressed in Standards on:

 - (a) construction contracts (see Ind AS 11, *Construction Contracts*);
 - (b) income taxes (see Ind AS 12, *Income Taxes*);
 - (c) leases (see Ind AS 17, *Leases*). However, as Ind AS 17 contains no specific requirements to deal with operating leases that have become onerous, this Standard applies to such cases;
 - (d) employee benefits (see Ind AS 19, *Employee Benefits*);
 - (e) insurance contracts (see Ind AS 104, *Insurance Contracts*). However, this Standard applies to provisions, contingent liabilities and contingent assets of an insurer, other than those arising from its contractual obligations and rights under insurance contracts within the scope of Ind AS 104; and
 - (f) contingent consideration of an acquirer in a business combination (see Ind AS 103, *Business Combinations*).”;
 - (ii) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“6. Some amounts treated as provisions may relate to the recognition of revenue, for example where an entity gives guarantees in exchange for a fee. This Standard does not address the recognition of revenue. Ind AS 18, *Revenue*, identifies the circumstances in which revenue is recognised and provides practical

guidance on the application of the recognition criteria. This Standard does not change the requirements of Ind AS 18.”;

(iii) in Appendix D, for paragraph (i), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(i) Appendix A, *Service Concession Arrangements* and Appendix B, *Service Concession Arrangements: Disclosures*, contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*.”;

(iv) in Appendix 1, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“3. The following paragraph numbers appear as ‘Deleted’ in IAS 37. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 37, the paragraph numbers are retained in Ind AS 37 :

(i) paragraph 1(b)

(ii) paragraph 4”.

28. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 38”,

(i) in paragraph 3, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a) intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business (see Ind AS 2, *Inventories*, and Ind AS 11, *Construction Contracts*).”;

(ii) in paragraph 3, item (i) shall be omitted.

(iii) for paragraph 114, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“114 The disposal of an intangible asset may occur in a variety of ways (eg by sale, by entering into a finance lease, or by donation). In determining the date of disposal of such an asset, an entity applies the criteria in Ind AS 18, *Revenue*, for recognising revenue from the sale of goods. Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback. ”

(iv) for paragraph 116, the following shall be substituted, namely:-

“116 The consideration receivable on disposal of an intangible asset is recognised initially at its fair value. If payment for the intangible asset is deferred, the consideration received is recognised initially at the cash price equivalent. The difference between the nominal amount of the consideration and the cash price equivalent is recognised as interest revenue in accordance with Ind AS 18 reflecting the effective yield on the receivable. ”;

(v) in Appendix A, for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“6 Ind AS 38 does not apply to intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business (see Ind AS 2 and Ind AS 11) or leases that fall within the scope of Ind AS 17. Accordingly, this Appendix does not apply to expenditure on the development or operation of a web site (or web site software) for sale to another entity. When a web site is leased under an operating lease, the lessor applies this Appendix. When a web site is leased under a finance lease, the lessee applies this Appendix after initial recognition of the leased asset. ”;

(vi) in Appendix B, -

(a) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“1 Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*. ”;

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2 Appendix B, *Service Concession Arrangements: Disclosures* contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*. ”.

29. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”, in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 40”,

(i) in paragraph 3, for item (b), the following item shall be substituted namely:-

“(b) recognition of lease income from investment property (see also Ind AS 18, *Revenue*); ”;

(ii) in paragraph 9, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) property being constructed or developed on behalf of third parties (see Ind AS 11, *Construction Contracts*). ”;

(iii) for paragraph 67, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“67 The disposal of an investment property may be achieved by sale or by entering into a finance lease. In determining the date of disposal for investment property, an entity applies the criteria in Ind AS 18 for recognising revenue from the sale of goods. Ind AS 17 applies to a disposal effected by entering into a finance lease and to a sale and leaseback. ”;

(iv) for paragraph 70, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“70 The consideration receivable on disposal of an investment property is recognised initially at fair value. In particular, if payment for an investment property is deferred, the consideration received is recognised initially at the cash price equivalent. The difference between the nominal amount of the consideration and the cash price equivalent is recognised as interest revenue in accordance with Ind AS 18 using the effective interest method. ”;

(v) in Appendix 1, in paragraph 7, item (i) shall be omitted.

[F. No. 01/01/2009-CL-V(Part)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.